

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021

तारांकित प्रश्नोत्तर

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में भूदान जमीन का क्रय-विक्रय

1. (*क्र. 2202) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक राजस्व विभाग में ऐसे कितनी शिकायत प्राप्त हुई, जो भूदान स्वरूप जीवन-यापन हेतु गरीब परिवार को दिया गया था, जिसे-बेचा या खरीदा गया? कृपया तहसीलवार जानकारी बतावें? (ख) उक्त भूदान घास जमीन को किस नियम या शर्त के तहत बेचा या खरीदा जा सकता है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक राजस्व विभाग में भूदान स्वरूप जीवन-यापन हेतु गरीब परिवार को दिये गये भूमि के बेचने व खरीदने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की कंडिका (7-ए) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी भी भूमि स्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिर्दिष्ट की गई अपनी भूमि के किसी भी हित का कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अंतरण कर दे.

जिला कांकेर में अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित स्कूल

2. (*क्र. 2222) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम हेतु किन-किन स्कूलों का चयन किया गया? (ख) क्या उक्त अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित स्कूल के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधन तथा उपकरण के लिए राशि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की गई एवं कितनी-कितनी शेष है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम हेतु शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर का चयन किया गया. (ख) जी हां. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि

3. (*क्र. 519) डॉ. लक्ष्मी धुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के आदिवासी उप योजना (Tribal sub-plan) क्षेत्रों में आदिवासी कृषि प्रणालियों का नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की स्थानीय अवधारणा के अनुसार पुर्णोद्धार जिसमें मोटे अनाज millets (मड़िया, कोदो, कुटकी आदि) को फिर से प्रचलन में लाना शामिल है, के अंतर्गत कितनी राशि धमतरी जिले के लिए स्वीकृत की गई है? (ख) इनमें से कितनी राशि का व्यय किन-किन कार्यों में किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) राशि रुपये 18.00 लाख स्वीकृत किया गया है. (ख) राशि रुपये 18.00 लाख का व्यय मक्का फसल उत्पादन कार्य में किया गया है.

जिला जांजगीर-चांपा में अवैध प्लाटिंग की शिकायतों पर कार्यवाही

4. (*क्र. 106) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2020 से 26 जनवरी, 2021 तक किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ अवैध प्लाटिंग करने की शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) उपरोक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? तहसील, पटवारी हल्का नम्बर, ग्राम एवं खसरा नम्बर सहित जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2020 से 26 जनवरी 2021 तक निम्नानुसार व्यक्तियों के खिलाफ अवैध प्लाटिंग करने की शिकायत प्राप्त हुई है :-

1. कृष्ण कुमार देवांगन, साकिन चांपा
2. जगदीश कश्यप, मुन्द
3. विकास पालीवाल एवं अन्य साकिन जांजगीर
4. बजरंग पिता अमृतलाल एवं रामकुमार यादव
5. वार्ड नंबर 04 पार्सद जांजगीर

(ख) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम तहत पट्टा वितरण

5. (*क्र. 1230) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 31-01-2021 तक कितने परिवारों को, कितने पट्टे वितरित किये गये?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 31-01-2021 तक 4,37,550 व्यक्तियों को 4,37,550 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं.

सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित सहकारी समितियां

6. (*क्र. 1733) डॉ. प्रीतम राम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग अंतर्गत कितनी सहकारी समितियां संचालित हैं? जिलेवार विवरण दें? (ख) उक्त समितियों द्वारा कितने कृषकों का पंजीयन किया गया है? (ग) कृषकों के शत-प्रतिशत पंजीयन के लिए क्या कार्य योजना है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल 2369 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) सरगुजा संभाग में पंजीकृत सहकारी समितियों में से 177 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा कुल 2,98,311 भूमिधारी कृषकों का पंजीयन किया गया है, जिसकी जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	पंजीकृत किसानों की संख्या
1.	सरगुजा	73635
2.	बलरामपुर	53442
3.	सूरजपुर	76084
4.	कोरिया	47528
5.	जशपुर	47622
योग		298311

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी कृषक उक्त सहकारी समिति की सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में भूमिधारी कृषकों को उनकी इच्छा से ही सदस्य बनाया जाता है. इन सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को समिति से जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष सदस्यता अभियान चलाकर नवीन सदस्य बनाये जाते हैं. सहकारी बैंकों द्वारा नवीन सदस्यता हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किये जाते हैं. तदनुसार सहकारी समितियों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है.

राजस्व विभाग कोरिया द्वारा भूमि आवंटन

7. (*क्र. 2226) डॉ. विनय जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व विभाग द्वारा कोरिया जिले में पिछले 2 वर्षों में किन-किन समाजों, संस्थाओं, व्यक्तियों को कितनी शासकीय भूमि आवंटित की गई? (ख) राजस्व विभाग के पास पिछले 9 माह में शासकीय भूमि आवंटन के कितने और कहीं-कहीं से प्रस्ताव आये हैं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बैकुण्ठपुर में जिला कांग्रेस कमेटी बैकुण्ठपुर को खसरा नंबर 74/14 रकबा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटित की गई है. (ख) अनुभाग बैकुण्ठपुर के अंतर्गत भूमि आवंटन हेतु कुल 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

- (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर
- (2) अम्बिका सिंहदेव विधायक महोदय बैकुण्ठपुर
- (3) जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बैकुण्ठपुर
- (4) उद्यान विभाग बैकुण्ठपुर
- (5) नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर
- (6) नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरघा
- (7) महिला एवं बाल विकास विभाग बैकुण्ठपुर
- (8) लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर
- (9) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बैकुण्ठपुर
- (10) कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं बैकुण्ठपुर
- (11) उप संचालक, कृषि बैकुण्ठपुर
- (12) भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज बैकुण्ठपुर
- (13) यास्मेन आ. मुख्तार आलम बैकुण्ठपुर

फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारक शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही

8. (*क्र. 1770) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग दिनांक 25-01-2021 तक उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने कितने शासकीय सेवकों का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है? (ख) सामान्य प्रशासन छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 25-11-2020 के अनुसार प्रशानक "क" के आधार पर कितने फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध कब-कब क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा दिनांक 25-01-2021 तक लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के कुल 23 शासकीय सेवकों का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला कबीरधाम में किसानों की कर्ज माफी

9. (*क्र. 1065) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कबीरधाम में वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा किसानों की पूर्ण कर्ज माफी करने के पश्चात् सहकारी समिति में कर्ज शून्य नहीं होने के क्या कारण है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जिला कबीरधाम में वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा पात्र किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों की पूर्ण कर्ज माफी की गयी है. कबीरधाम जिले के सहकारी समितियों में 769 कृषकों का रुपये 114.65 लाख की ऋण माफी योग्य नहीं पाए जाने के कारण सहकारी समितियों में ऋण शेष शून्य नहीं हो सका.

कोरबा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प.ह.नं. 19 के खसरा नं. 188/1 की भूमि

10. (*क्र. 1762) **श्री ननकौराम कंवर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. कोरबा तह. व जिला कोरबा की भूमि खसरा नं. 188/1 ख-2 रकबा 0.012 हे. भूमि 01-07-2019 के पूर्व किसके स्वामित्व की थी? दिनांक 01-07-2019 को जारी नक्शा अनुसार उक्त भूमि किस के नाम पर दर्ज है? (ख) क्या यह बात सही है, कि ह. पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 04-07-2019 को जारी नक्शा में भूमि ख.नं. 188/1 ख-2 को सड़क से लगा हुआ बताया गया है? यदि हां, तो उक्त जारी नक्शा में कौन सा नक्शा सही है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. कोरबा-1, तहसील व जिला कोरबा में स्थित भूमि खसरा नंबर 188/1/ख/2 रकबा 0.12 एकड़ 01-07-2019 के पूर्व खसरा अभिलेख के अनुसार महावीर प्रसाद पिता रामकुमार, श्रीमती विमला देवी पति महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल के नाम पर दर्ज है. दिनांक 01-07-2019 के मौका नजरी नक्शा अनुसार उक्त भूमि महावीर प्रसाद अग्रवाल एवं श्रीमती विमला देवी के नाम दर्शित है. (ख) हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 04-07-2019 को सत्यापित मूल नक्शा की प्रतिलिपि में खसरा नंबर 188/1/ख/2 सड़क से लगा हुआ बताया गया है. उक्त दोनों नक्शा सही है. दिनांक 01-07-2019 का नजरी नक्शा तथा दिनांक 04-07-2019 का नक्शा, मूल नक्शा की प्रतिलिपि है.

दुर्ग जिले में संचालित आदिवासी छात्रावास

11. (*क्र. 2032) **श्री अरुण चोरा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में कितने आदिवासी छात्रावास संचालित है? नगरीय क्षेत्रवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवे? (ख) दुर्ग नगर निगम अंतर्गत संचालित छात्रावासों में कुल कितने बच्चों की रहने की व्यवस्था है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दुर्ग जिले में कुल 09 आदिवासी छात्रावास संचालित है. नगरीय क्षेत्रवार एवं विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

विकास खंड	निकाय	संचालित आदिवासी छात्रावासों की संख्या
दुर्ग	दुर्ग (नगरीय निकाय)	06
	मिलाई (नगरीय निकाय)	-
	ग्राम पंचायत	01
पाटन	पाटन (नगरीय निकाय)	01
धमधा	धमधा (नगरीय निकाय)	01
	अहिवारा (नगरीय निकाय)	-
	ग्राम पंचायत	-
योग		09

(ख) दुर्ग नगर निगम अंतर्गत संचालित छात्रावासों में 901 बच्चों को रहने की व्यवस्था है.

जिला जांजगीर चांपा में पावर कंपनियों द्वारा किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

12. (*क्र. 1498) **श्री रामकुमार यादव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत RKM पावर जोन प्राइवेट लिमिटेड उच्चापिंडा, ऐथेना छ.म. पावर लिमिटेड सिधीतराई एवं DB पावर लिमिटेड बाणादरहा के द्वारा कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गयी? कंपनीवार रकबा एवं स्थान की जानकारी देवे? (ख) प्रभावित किसानों को किस दर पर मुआवजा दिया गया तथा कितने किसानों को नौकरी दी गयी एवं कितनी नौकरी देना शेष है? (ग) नौकरी से शेष किसानों को क्या मासिक भत्ता दिया जा रहा है, यदि हां, तो किस दर पर, यदि नहीं, तो कब तक दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत RKM पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड उच्चपिंडा, एथेना छ.ग. पावर लिमिटेड सिंघीतराई एवं DB पावर लिमिटेड बाड़ादरहा के द्वारा 790 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है. कंपनीवार रकबा एवं स्थान की जानकारी परिशिष्ट “अ” में संलग्न है. (ख) प्रभावित किसानों को जिस दर पर मुआवजा दिया गया है वह † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. 312 किसानों को नौकरी दी गयी एवं 478 किसानों को नौकरी देना शेष है. (ग) नौकरी से शेष प्रभावित किसानों को वर्तमान में मासिक भत्ता नहीं दिया जा रहा है. RKM पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड उच्चपिंडा से प्रभावित किसानों को माननीय उच्च न्यायालय से वाद निराकरण उपरांत एवं एथेना छतीसगढ़ पावर लिमिटेड सिंघीतराई से प्रभावित किसानों को NCLT द्वारा विघटन की प्रक्रिया का आदेश प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही संभव हो पाएगी.

प्रदेश में कोटवारी जमीन की खरीदी बिक्री

13. (*क्र. 2239) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में मिली है? यदि हां, तो कितने कोटवारों द्वारा कितनी-कितनी भूमि बेची है? जिलेवार जानकारी दें? (ख) क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इन जमीनों को बेचने व खरीदने दोनों के खिलाफ संभाग आयुक्त व कलेक्टरों को कोई निर्देश जारी किया गया है? यदि हां तो क्या? और कब?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नांश “क” की जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-11/2000/आ.प्र./पार्ट-2 दिनांक 10-03-2014 द्वारा भूमि स्वामी हक पर प्रदत्त भूमि का विक्रय कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किये जाने तथा कोटवारों को प्रदान की गई भूमि के अभिलेखों में ‘अहस्तांतरणीय’ शब्द लिखे जाने एवं कोटवारों द्वारा अवैधानिक रूप से विक्रय की गई भूमि के विक्रय विलेख को भी व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर निरस्त किये जाने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिये गये थे. विभागीय पत्र दिनांक 27-02-2021 द्वारा पुनः समस्त जिला कलेक्टरों को उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर, की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु लिखा गया है.

जिला बस्तर में कोसारटेडा जलाशय हेतु अधिग्रहित भूमि

14. (*क्र. 2243) **श्री चंदन कश्यप** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिला कोसारटेडा सिंचाई परियोजना हेतु कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है? (ख) अधिग्रहित भूमि के एवज में कितनी मुआवजा राशि किस दर पर दी गई है? नाम सहित जानकारी दें? (ग) भूविस्थापितों में से कितने को नौकरी तथा अन्य सुविधाएं दी गई है? नाम सहित जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) कोसारटेडा सिंचाई परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

1.	बांध निर्माण हेतु शासकीय भूमि	-	738.375 हेक्टेयर
	निजी भूमि	-	615.354 हेक्टेयर
	योग	-	1353.729 हेक्टेयर
2.	नहर निर्माण के लिए शासकीय भूमि	-	306.746 हेक्टेयर
	निजी भूमि	-	115.776 हेक्टेयर
	योग	-	422.522 हेक्टेयर

(ख) अधिग्रहित भूमि के एवज में बांध हेतु राशि 8,74,59,284.00 एवं नहर हेतु रुपए 1,59,94,650.00 का मुआवजा राशि वितरित की गई है. बांध निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि रुपए 57778.86 प्रति एकड़ एवं नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का रुपए 55,932.00 प्रति एकड़ की दर मुआवजा दी गई है. नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ में है. (ग) भूमि विस्थापितों में से किसी को भी नौकरी नहीं दी गई है. भूमि विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत दी गई अन्य सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब में है.

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन थाला, आश्रम एवं छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति

15. (*क्र. 347) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में कितनी नवीन थाला, आश्रम एवं छात्रावास भवन की स्वीकृति प्रदान की गई? नाम सहित जानकारी दें? (ख) कितने प्रारंभ हैं कितने पूर्ण हैं एवं कितने प्रस्तावित हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

मुंगेली जिला में किसानों की कर्ज माफी

16. (*क्र. 2079) श्री पुन्नुलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुंगेली में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया है? और कितने किसानों को देना बाकी है? (ख) किस-किस राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितनी-कितनी राशि माफ की गयी है, एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों व ग्रामीण बैंकों से कितनी राशि माफ की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक, किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया है. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

बस्तर जिले में नियम 170-क के तहत पंजीकृत प्रकरण

17. (*क्र. 2190) श्री बघोल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में नियम 170-क (आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के द्वारा खरीदना) से संबंधित कुल कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं? (ख) निराकृत व लंबित प्रकरणों की संख्या बतावें? (ग) लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बस्तर जिले में नियम 170-क (आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के द्वारा खरीदना) से संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने से जानकारी निरंक है. (ख) एवं (ग) जानकारी निरंक है.

कोण्डागांव जिले अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोगना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्य

18. (*क्र. 1934) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले अंतर्गत वर्ष 2017-18 में विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोगना मद में किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी? कार्य की राशि सहित ब्यौरा दें? (ख) कंडिका “क” के अनुसार कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? अप्रारंभ का क्या कारण है? (ग) कंडिका “ख” के अनुसार क्या प्रारंभ कार्यों के विरुद्ध नवीन कार्यों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो स्वीकृति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है. (ग) प्रारंभ कार्यों के विरुद्ध नवीन कार्यों का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ 30 कार्यों के विरुद्ध नवीन कार्यों के भिन्न-भिन्न प्रस्ताव प्राप्त होने से, परीक्षण एवं स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

ग्राम टेडेंसरा एवं अंजोरा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान बेचने, लोन निकालने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

19. (*क्र. 2249) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 से 10-02-21 तक राजस्व विभाग राजनांदगांव को ग्राम टेडेंसरा एवं अंजोरा के किसानों/ग्रामीणों द्वारा जमीन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान बेचने, लोन निकालने एवं फसल बीमा प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? किस स्तर के अधिकारी से जांच कराई गई है? जांच में क्या पाया गया, किन-किन लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. (ख) कंडिका “क”के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनांदगांव से जांच कराया गया. जांच में यह पाया गया कि सुदर्शन मानिकपुरी का ग्राम अंजोरा में स्थित भूमि पर कब्जा नहीं पाया गया. परन्तु उसके रकबा 1.3480 हेक्टर में से 0.959 हेक्टर में ग्राम अंजोरा के हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण धान फसल गिरदावरी में दर्ज किया गया है. सुदर्शन मानिकपुरी की भूमि मौके में चिन्हांकित नहीं है तथा उसका कब्जा भी नहीं पाया गया, परन्तु उनके द्वारा सोसायटी से लोन लिया गया है और बीमा राशि प्राप्त की गई है. उक्त के संबंध में कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा शाखा प्रबंधक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था. जिनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित ऋण पुस्तिका, सी-फार्म एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर समिति से ऋण लेने, फसल बीमा का लाभ लेने तथा धान बेचने की प्रक्रिया को न्याय संगत माना है. अतः हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण गिरदावरी कार्य किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजनांदगांव द्वारा हल्का पटवारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उनका एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है.

ग्राम पंचायत पुरा तहसील नवागढ़ में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर कार्यवाही

20. (*क्र. 2044) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कलेक्टर व नायब तहसीलदार बेमेतरा को उपसरपंच ग्राम पंचायत पुरा तहसील नवागढ़ के द्वारा भूमि खसरा नंबर 794 पर अतिक्रमण की शिकायत की गई है? यदि हां, तो शिकायत कब-कब की गई है व शिकायत पर जांच कब की गई है और जांच में कौन दोषी पाया गया है? (ख) क्या यह सही है, कि खसरा नंबर 794 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है और उस पर बेजा कब्जा किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा कब से किया गया है व उस पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम पुरा तहसील नवागढ़ का उल्लेख किया गया है, परन्तु उक्त ग्राम इस तहसील में स्थित नहीं है. तहसील नवागढ़ के उपतहसील नांदघाट में ग्राम कुंरा स्थित है. ग्राम कुंरा के उपसरपंच एवं अन्य के द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन आवेदन पेश कर अवगत कराया गया था कि सरपंच द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है जिसमें अतिक्रमण प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए परन्तु आवेदक द्वारा उक्त शिकायत आवेदन में खसरा नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है. उक्त शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार नांदघाट द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-68/2019-20 दिनांक 22-06-2020 में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है. जांच हेतु राजस्व निरीक्षक एवं 03 पटवारियों का टीम गठित किया गया था. जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में नक्शे एवं मौके का मिलान कर उल्लेखित किया गया है कि सरपंच के द्वारा बनाया गया मकान शासकीय भूमि खसरा नंबर 794 पर मकान निर्माण नहीं किया गया है बल्कि 795/1 में स्थित है. (ख) खसरा नंबर 794 राजस्व अभिलेख में सेवाभूमि स्वत्व के रूप से दर्ज है. जिस पर 02 व्यक्तियों रामसनेही पिता सुधाराम रकबा 213 वर्गफुट तथा रामकुमार पिता मंबत डहरिया रकबा 936 वर्गफुट भूमि पर कब्जा कर विगत 20-25 वर्षों से मकान निर्माण किया गया है. जिसका प्रकरण तहसील नांदघाट में दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन हायर सेकेण्डरी स्कूल

21. (*क्र. 1217) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है? (ख) भवन विहीन स्कूलों में कब तक भवन निर्माण किया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) 13 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है. (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

राजस्व विभाग द्वारा रिक्त एवं अतिक्रमित भूमि की बिक्री

22. (*क्र. 1312) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग ने रिक्त एवं अतिक्रमित जमीन को बेचने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसके लिये क्या नियम प्रक्रिया तय की गई? (ख) शासन के इस निर्णय के पश्चात् (निर्णय के दिनांक से) कितनी रिक्त भूमि और कितनी अतिक्रमित भूमि की बिक्री हुयी है? दोनों प्रकार की भूमि का अलग-अलग जिलावार बताने का कष्ट करें? (ग) जमीनों की बिक्री से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? दोनों प्रकार की भूमि का अलग-अलग जिलावार बताने का कष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जिला रायपुर के ग्राम चम्पारण में शासकीय घास भूमि का आवंटन

23. (*क्र. 2005) श्री धनेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि रायपुर जिले की ग्राम-चम्पारण प.ह.नं.-154/27 की खसरा नम्बर 738/2 एवं 738/3, रकबा 1.800 हेक्टे. एवं 0.600 हेक्टे., कुल 2.40 हेक्टे. भूमि जो कि घास चरणोई दर्ज शासकीय भूमि थी जिसे नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर श्री महाप्रभु जी महाराज सर्वराकार श्री बृजमोहन लाल जी के नाम पर दर्ज कर दिया तथा ग्रामवासियों की शिकायत पर जाँच कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमनपुर द्वारा दिनांक 26-02-2020 को आदेश देकर उक्त भूमि को शासन के नाम पर दर्ज करने पारित किया गया? (ख) क्या यह सही है, कि उक्त आदेश को निरस्त कर संभागायुक्त रायपुर द्वारा दिनांक 05-01-2021 को आदेश पारित उक्त घास भूमि शासकीय को रसाल द्विवेदी पिता श्री बी.एन.द्विवेदी के नाम पर दर्ज करने आदेश पारित कर दिया है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमनपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के प्रकरण क्रमांक 312/ब-121/वर्ष 2018-19 में पारित आदेश दिनांक 26-02-2020 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 75/अ-6(अ) वर्ष 2007-08 में पारित आदेश को निरस्त कर ग्राम चंपारण स्थित भूमि खसरा नंबर 738/2, 738/3 रकबा क्रमशः 0.60, 1.80 हेक्टर को घास मट (शासकीय भूमि) के रूप में दर्ज किया गया है. (ख) न्यायालय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 30 ब/121/वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 05-01-2021 द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमनपुर जिला रायपुर, के पारित आदेश दिनांक 26-02-2020 को निरस्त किया जाकर उपरोक्त भूमि को रसाल द्विवेदी पिता श्री बी. एन. द्विवेदी के नाम पर दर्ज किया गया है.

प्रदेश में स्कूलों में व्हाईट बोर्ड एवं ग्रीन बोर्ड की खरीदी

24. (*क्र. 2178) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के स्कूल कब से कब तक बंद रखे जाने के निर्देश जारी किये गये थे? (ख) क्या यह सही है, कि मार्च, 2020 से जनवरी, 2021 तक प्रदेश के स्कूलों में व्हाईट बोर्ड तथा ग्रीन बोर्ड क्रय कर लगाया गया है यदि हाँ, तो किस दर पर कुल कितनी लागत के लगे गये? विकासखण्डवार ब्यौरा दें? (ग) कंडिका “ख” के बोर्ड स्कूलों में लगे जाने का निर्णय कब और किस स्तर पर लिया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कोरोना संक्रमण काल में दिनांक 12 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक बंद रखे जाने के निर्देश जारी किये गये. (ख) जानकारी परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) निर्णय तिथि एवं स्तर की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	जिला	निर्णय तिथि
व्हाईट बोर्ड		
1.	सक्ती	25-07-2020
2.	जांजगीर	04-07-2020 एवं 25-07-2020
3.	बलौदाबाजार	15-07-2020
4.	धमतरी	10-07-2020
5.	नारायणपुर	13-08-2020
ग्रीन बोर्ड		
1.	सक्ती	22-05-2020
2.	जांजगीर	22-05-2020

बिलासपुर जिले अंतर्गत धान खरीदी

25. (*क्र. 190) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में कितनी धान खरीदी समितियाँ हैं? (ख) इस वर्ष कितनी धान समितियों द्वारा खरीदा गया और कितना भुगतान किसानों को किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2020-21 में बिलासपुर जिले में धान खरीदी करने वाली 114 सहकारी समितियां हैं, जिसमें 124 उपार्जन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं. (ख) बिलासपुर जिले में वर्ष 2020-21 में 114 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अंतर्गत 124 धान उपार्जन केन्द्रों के द्वारा 45,11,422.80 विक्टल धान खरीदा गया. जिसके लिए किसानों को दिनांक 25-02-2021 की स्थिति में राशि रुपये 84,452.16 लाख का भुगतान किया गया.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जांजगीर चाम्पा में सामग्री क्रय

1. (क्र. 107) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चाम्पा जिले में वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 26-01-2021 तक किस-किस मद से प्राप्त राशि से कौन-कौन सी सामग्री किस-किस दर से किस-किस एजेंसी से खरीदी गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

बिलासपुर जिले अंतर्गत पंजीकृत समितियां

2. (क्र. 191) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में 01-01-2019 से 31-12-2020 तक कितनी उपभोक्ता समिति, मछली पालन, गृह निर्माण समिति, बुनकर समिति का पंजीयन हुआ है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में 01-01-2019 से 31-12-2020 तक 285 उपभोक्ता समिति (खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति) एवं 09 मछली पालन सहकारी समिति का पंजीयन किया गया है. प्रश्नांकित अवधि में गृह निर्माण समिति एवं बुनकर समिति का पंजीयन नहीं हुआ है.

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में शालाओं का उन्नयन

3. (क्र. 303) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्थित किन-किन प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक, किन-किन माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक तथा किन-किन उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन की पात्रता है ? कब तक उन्नयन किया जायेगा ? (ख) कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन है कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कांशीरामनगर को पूर्व माध्यमिक में, पूर्व माध्यमिक शाला कांपा पंडरीतराई रायपुर को उच्च माध्यमिक तथा शा. उच्च माध्यमिक खमारडीह शंकरनगर रायपुर को उच्चतर माध्यमिक में, उन्नयन की पात्रता है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शाला भवन विहीन नहीं है, 02 माध्यमिक शाला तथा 01 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

रायगढ़ जिले को आपदा प्रबंधन मद में प्राप्त एवं व्यय राशि

4. (क्र. 346) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ को आपदा प्रबंधन मद में वर्ष 2019-20 से जनवरी 2021 तक की अवधि में कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) कितनी राशि शेष है ? कितनी राशि किस-किस मद में किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई, वर्षवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले को आपदा प्रबंधन मद से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है. (ख) कोई राशि शेष नहीं है. अतः कार्यवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

रायपुर के बैजनाथपारा स्थित शासकीय नजूल भूमि के लीज की जांच

5. (क्र. 1429) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर के बैजनाथपारा लकड़गंज मौलाना अब्दुल रउफ वार्ड, शहीद स्मारक भवन के सामने, जी ई रोड स्थित ब्लॉक नंबर 98 प्लॉट नंबर 1/2 रकबा 8925 वर्गफुट और प्लॉट नंबर 1/3 रकबा 18750 वर्गफुट शासकीय नजूल भूमि को किसे और कब लीज पर दिया गया था ? उक्त लीज होल्डर के नाम से बैनामा कब बनाया गया ? (ख) क्या उक्त बैनामों में इस भूमि के मूल लीज होल्डर के दस्तखत थे ? (ग) क्या शासन के संज्ञान में यह विषय आया है कि उपरोक्त दो भूमि के बैनामों में 2 अलग-अलग व्यक्तियों के दस्तखत हैं ? (घ) क्या मई 2019 में गृह मंत्री ने रायपुर कलेक्टर को इस मामले की त्वरित जांच के आदेश दिए थे ? यदि हां तो जांच का नतीजा क्या निकला और इस मामले में दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वर्तमान नजूल संधारण खसरा के ब्लॉक नंबर 98 प्लॉट नंबर 1/2 रकबा 8925 वर्गफीट भूमि फरिस्ता इन्टरप्राइजेस रायपुर के नाम पर दर्ज है, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2022 तक है तथा प्लॉट नंबर 1/3 रकबा 18750 वर्गफीट भूमि फर्म रायपुर ट्रान्सपोर्ट मोटर कंपनी लिमिटेड रायपुर के नाम पर दर्ज है, जिसके पट्टे की अवधि 31 मार्च, 2008 तक है. नजूल संधारण खसरा वर्ष 1945-46 में लकड़गंज ब्लॉक नंबर 98 प्लॉट नंबर 1 रकबा 59960 वर्गफीट भूमि मि. सैय्यद वकील अहमद सी.बी.ई. वकील वल्द सैय्यद सादिक अली मुसलमान के नाम पर दर्ज है, जिस पर पट्टा अवधि 31-03-1950 है. प्लॉट नंबर 1 का टुकड़ा (1/2) रकबा 8925 वर्गफीट भूमि का पंजीयन विलेख दिनांक 19-03-1955 में बेचने वाले का नाम सैय्यद वकील अहमद रिजवी एडवोकेट तथा खरीददार का नाम दन्तेश्वरी ट्रान्सपोर्ट कंपनी मौदहापारा रायपुर पार्टनर्स वली मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद खीजा मुसलमान नवलशंकर दुबे वल्द जैयशंकर दुबे का नाम उल्लेखित है, जो कि वर्ष 2006-2007 के नजूल संधारण खसरा तक दर्ज रहा है तथा 2007-2008 में फरिस्ता इन्टरप्राइजेस रायपुर के नाम पर दर्ज हुआ है. उसी प्रकार प्लॉट नंबर 1 का टुकड़ा (1/3) रकबा 18750 के पंजीयन विलेख दिनांक 19-01-1955 अनुसार विक्रेता सैय्यद वकील अहमद रिजवी तथा क्रेता फर्म ट्रान्सपोर्ट मोटर कंपनी रायपुर मौदहापारा तहसील व जिला रायपुर है, जो वर्तमान में फर्म रायपुर ट्रान्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड रायपुर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहनलाल व्यास के नाम पर दर्ज है. (ख) उक्त बैनामा क्रमशः दिनांक 19-03-1955 एवं 19-01-1955 निष्पादित हुआ है, जिसमें विक्रेता का नाम अंकित है तथा हस्ताक्षर स्पष्ट हैं. (ग) शिकायतकर्ता इकबाल अहमद रिजवी के द्वारा इस बाबत शिकायत किया गया है कि उपरोक्त दो बैनामों में दो अलग-अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं. (घ) जी हां. जांच प्रक्रियाधीन है.

जिला बालोद में शासकीय शालाओं की भूमि पर अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतें

6. (क्र. 1667) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अंतर्गत संचालित किन-किन शासकीय शालाओं की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत विभाग को विगत 02 वर्षों में प्राप्त हुई है ? (ख) कपिडका “क” में प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? अब तक किन-किन शालाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला सरगुजा में वनाधिकार पत्रक धारक किसानों की जमीन अधिग्रहण

7. (क्र. 1725) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत साल्ही एवं घाटबर्ग पंचायत के 32 वनाधिकार पत्रक धारक किसानों की जमीनों को बिना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाए अडानी कंपनी द्वारा गैर कानूनी रूप से खरीदी गई है ? (ख) यदि हां, तो उक्त प्रकरण की शिकायत पर जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी के प्रतिवेदन में क्या नियम विरुद्ध तरीके से जमीन खरीदने की शिकायत सही पाई गई ? यदि हां, तो प्रतिवेदन के आधार पर कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अडानी कंपनी के द्वारा ग्राम पंचायत साल्ही एवं घाटबर्ग में कोई भूमि क्रय नहीं की गई है. ग्राम घाटबर्ग के 32 वनाधिकार पत्र धारकों को जारी व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र की वन भूमि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ नं. 8-31/2010-एफ.सी. दिनांक 15-03-2012 के द्वारा गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि 1898.328 हेक्टेयर में शामिल है. (ख) चूंकि 32 वनाधिकार पत्र धारकों की भूमि पहले से ही भारत सरकार द्वारा गैर वानिकी प्रयोजन हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए व्यपवर्तित की जा चुकी है. अतः राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है.

जिला जांजगीर चांपा भूस्थापित परिवारों को मुआवजा

8. (क्र. 1916) **श्री नारायण चंदेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा पावर प्लांट, के.एस.के. महानदी पावर प्लांट द्वारा भूस्थापित परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास नीति के तहत प्राप्त सुविधाएं नहीं देने संबंधित कितनी शिकायतें वर्ष 2020 में कब-कब प्राप्त हुई हैं ? (ख) उपरोक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) प्रश्न “क” व “ख” के संदर्भ में इन दोनों पावर प्लांटों में भू-स्थापित परिवारों को भूस्थापित पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा नहीं दिये जाने हेतु कौन दोषी हैं ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा प्लांट, के.एस.के. महानदी पावर प्लांट द्वारा भूस्थापित परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास नीति के तहत प्राप्त सुविधाएं नहीं देने संबंधित कुल 49 शिकायतें वर्ष 2020 में प्राप्त हुई हैं। विस्तृत विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में है। (ख) मड़वा तेन्दूभाटा ताप विद्युत परियोजना से संबंधित कुल 33 प्राप्त आवेदन पत्र/शिकायतें निराकरण के लिए अधीक्षण अभियंता मड़वा तेन्दूभाटा ताप विद्युत परियोजना मड़वा-तेन्दूभाटा को प्रेषित किया गया है। जिसमें से 07 आवेदन पत्र/शिकायत का निराकरण किया गया है, शेष 26 आवेदन पत्र/शिकायत के संबंध में निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा से संबंधित कुल 16 प्राप्त आवेदन पत्र/शिकायत का निराकरण के लिए महाप्रबंधक के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा एवं श्रम पदाधिकारी जिला-जांजगीर-चाम्पा को प्रेषित किया गया है जिसमें से 03 आवेदन पत्र/शिकायत का निराकरण किया गया है, शेष 13 आवेदन पत्र/शिकायत के संबंध में निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) अधीक्षण अभियंता मड़वा तेन्दूभाटा ताप विद्युत परियोजना मड़वा-तेन्दूभाटा तथा महाप्रबंधक के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा/श्रम पदाधिकारी जिला-जांजगीर-चाम्पा में शेष आवेदन पत्र/शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

जिला रायपुर के ग्राम चम्पारण में शासकीय चरणोई घास भूमि का रकबा

9. (क्र. 2006) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के ग्राम चम्पारण प.ह.नं.-154/27 में बंदोबस्त के पूर्व किस-किस खसरा नम्बर की कितने-कितने रकबे में शासकीय चरणोई घास भूमि दर्ज थी ? (ख) वर्तमान में किस-किस ख.नं. की कितने-कितने रकबे में शासकीय चरणोई घास भूमि दर्ज है ? (ग) उक्त घास भूमि में से किस-किस व्यक्ति को, किस-किस ख.नं. की, कितने-कितने रकबे की, भूमि को कब-कब पट्टे में आबंटन किया गया या उनके नाम पर दर्ज किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नांश “क” की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है। (ग) प्रश्नांश “ग” की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” पर है।

दुर्ग जिले में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा वितरण

10. (क्र. 2033) **श्री अरूण चोरा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में शासकीय भूमि पर काबिज कितने कब्जाधारियों को 31 जनवरी, 2021 तक की स्थिति में पट्टा वितरण किया गया है ? (ख) कितने हितग्राहियों को पट्टा वितरण करना शेष है ? इन्हें कब तक पट्टा वितरण किया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दुर्ग जिले में शासकीय भूमि पर काबिज 2136 कब्जाधारियों को राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत, दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक की स्थिति में पट्टा वितरण किया गया है। (ख) 630 हितग्राहियों को पट्टा वितरण करना शेष है। शेष हितग्राहियों को, शासन के निर्देशानुसार निर्धारित विकास प्रभार की राशि जमा करने के पश्चात् पट्टा वितरण की कार्यवाही की जावेगी।

घोटिया रोड स्थित भूमि की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

11. (क्र. 2045) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कलेक्टर कबीरधाम को जनवरी 2020 में घोटिया रोड पर स्थित भूमि खसरा नंबर 485 से 489 व 552/2 के संबंध में शिकायत की गई थी ? यदि हां तो किसके द्वारा क्या शिकायत की गई थी व उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी कौन पाया गया व दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी हां. उक्त शिकायत अफजल खान आ. स्व. अख्तर खान, निवासी ग्राम कवर्धा तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. के द्वारा की गई थी कि हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा गलत तरीके से उक्त भूमि के रिकार्ड में हेर-फेर किया गया है एवं आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कर भूमि का नाप किया जाकर, उक्त भूमि का बिक्री नकल दिया गया है. उक्त शिकायत के संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) कवर्धा जिला कबीरधाम के राजस्व प्रकरण क्रमांक 155/ब-121/2019-20 ई-कोर्ट नंबर 202001080800009, पक्षकार अफजल खान आ. स्व. अख्तर खान, निवासी ग्राम कवर्धा विरुद्ध 1. तत्कालिक हल्का पटवारी, 2. तत्कालिक राजस्व निरीक्षक तहसील कवर्धा में पारित आदेश दिनांक 14-08-2020 में कार्यवाही करते हुए तत्कालिक हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही जब तक वादभूमि का नक्शा शीट अद्यतन नहीं हो जाता तब तक संबंधित भूमियों की खरीदी बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है. उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदकगणों के द्वारा अपील माननीय कलेक्टर न्यायालय जिला कबीरधाम के समक्ष पेश किया गया है, जो कि विचाराधीन है.

जिला कांकेर एवं कोण्डागांव में धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण

12. (क्र. 2076) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कांकेर तथा कोण्डागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन केन्द्र में चबूतरा के ऊपर शेड का निर्माण कराया गया है ? अगर हां, तो कितने शेड का निर्माण कराया गया है और किस मद से, कुल कितनी राशि खर्च की गयी ? (ख) क्या शेड निर्माण कराने वाली एजेंसियों का भुगतान कर दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों, तथा इस कार्य के लिए कितने में प्रशासकीय स्वीकृति ली गई तथा कितनों में नहीं ? यदि नहीं, तो किसकी अनुमति से निर्माण कराया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन केन्द्र में चबूतरा के ऊपर शेड निर्माण कराया गया है, 61 कार्य पूर्ण तथा 85 कार्य अपूर्ण है, किंतु जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश निरस्त किए जाने के कारण राशि खर्च नहीं की गयी है. वर्ष 2020-21 में कोण्डागांव जिले में चबूतरा के ऊपर शेड निर्माण नहीं कराए गए हैं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) शेड निर्माण कराने वाली एजेंसी ग्राम पंचायतों को प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में योजना/मद का उल्लेख नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र दिनांक 21-09-2020 के निर्देशानुसार 53 धान उपार्जन केन्द्रों में कुल 162 धान चबूतरा के ऊपर शेड निर्माण हेतु कलेक्टर जिला कांकेर के आदेश दिनांक 23-09-2020 द्वारा राशि रुपये 427.68 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसे आदेश दिनांक 19-11-2020 द्वारा निरस्त किया गया है.

जिला बलौदा बाजार में एकीकृत विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श अंतर्गत ग्रामों का चयन

13. (क्र. 2179) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से 31 जनवरी, 2021 तक जिला बलौदाबाजार में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श के अंतर्गत किन-किन ग्रामों का चयन किया गया है, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांक “क” की अवधि में एकीकृत विकास हेतु कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में एकीकृत विकास हेतु प्राप्त आबंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त राशि (राशि रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)
01	2018-19	1594.00
02	2019-20	2712.10
03	2020-21	7658.30

धमतरी नगरपालिक निगम क्षेत्र के बांसपारा वार्ड के शासकीय भूमि की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

14. (क्र. 2182) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि धमतरी नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत बांसपारा वार्ड के पटवारी हल्का नं. 16 जिसमें खसरा नं. 1008 एवं रकबा 0.69 हेक्टेयर है जो शासकीय भूमि है, को कुटरचित दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त खसरा नं. वर्तमान में किस कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : धमतरी स्थित बांसपारा के (पूर्व पटवारी हल्का नं. 16) वर्तमान हल्का नंबर 33 के खसरा नंबर 1008 कुल रकबा 1.86 एकड़ भूमि वर्ष 1926-27 मिसल बंदोबस्त के अनुसार पानी मद में दर्ज थी. खसरा नंबर 1008 का टुकड़ा (बटांकन पश्चात्) खसरा नंबर 1008/3 रकबा 0.486 हेक्टर भूमि पर वर्तमान में भी देवतराई तालाब स्थित है तथा उसके कुछ भाग पर दीपक जैन वल्द मोहन लाल जैन के द्वारा मुरुम डाला गया है. खसरा नंबर 1008/3 के रकबा 0.486 हेक्टेयर भूमि को सुखराम नाग वल्द भालूराम नाग से दीपक जैन वल्द मोहनलाल जैन के द्वारा दिनांक 22-06-2018 में क्रय किया है, जिसका नामांतरण क्रमांक 520 आदेश दिनांक 14-07-2018 है. वर्तमान में उक्त भूमि दीपक जैन के नाम दर्ज है तथा उसके कुछ भाग पर भूमिस्वामी के द्वारा मुरुम डाला गया है, जिसके संबंध में दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि में प्रकाशित समाचार के आधार पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 174/202101130700036 दर्ज कर जांच की जा रही है. प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है. स्थगन आदेश जारी है तथा प्रकरण अनावेदक दीपक जैन के जवाब हेतु नियत है. खसरा नंबर 1008 के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) वर्ष 1926-27 मिसल बंदोबस्त अनुसार खसरा नंबर 1008 का कुल रकबा 1.86 एकड़ है, जो पानी मद में दर्ज है. वर्ष 2008-09 में बटांकन पश्चात् 1008/1 रकबा 0.15 एकड़, ख.नं. 1008/2 रकबा 0.30 एकड़, ख. नं. 1008/3 रकबा 1.20 एकड़ कुल रकबा 1.65 एकड़ दर्ज है.
- (2) वर्ष 1983-84 से 1992-93 तक खसरा नंबर 1008/1, 1008/3 क्रमशः रकबा 0.51 एकड़, 1.20 एकड़ पानी के नीचे, खसरा नंबर 1007 शामिल 1008/2, 1009 क्रमशः रकबा 1.02, 0.15, 0.05 कुल रकबा 1.22 एकड़ मो. अब्दुल शकुर वगैरह. परिवर्तन वर्ष 1986-87 में गणेशीबाई पति चोखेलाल के नाम खसरा नंबर 1007/1 से 0.30 डिसमिल भूमि इन्द्राज है.
- (3) उपरोक्त ख.नं. 1008 के बटांकन पश्चात् 2008-09 अनुसार निर्मित खसरा बटा नंबर 1007/1 शामिल खसरा नंबर 1008/1 रकबा 0.72 एकड़, 0.15 एकड़ कुल रकबा 0.87 एकड़ भूमिस्वामी जानकी बाई पति सुखराम, खसरा नंबर 1008/2 स्वतंत्र नंबर भूमिस्वामी गणेशीबाई पति चोखेलाल रकबा 0.30 एकड़ एवं खसरा नंबर 1007/2 शामिल खसरा नंबर 1008/3 क्रमशः रकबा 0.51, 1.20 कुल रकबा 1.71 एकड़ पानी के नीचे दर्ज अभिलेख है. वर्तमान में खसरा नंबर 1007/1 शामिल 1008/1, रकबा 0.352 हेक्टर, खसरा नंबर 1007/2 में शामिल खसरा नंबर 1007/1, 1008/1, 1010/3 रकबा 0.749 हेक्टर नया प्रतिस्थापित खसरा नंबर 15023 रा.प्र.क्र. 07/अ/05 वर्ष 2018-19 पारित आदेश दिनांक 07-02-2019 द्वारा भूमिस्वामी मुकेश पति हरिलाल वरदियानी, सत्यप्रकाश पति रमेशलाल मुंजवानी, रोमी पति मोहनलाल सावलानी का नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 1008/2 रकबा 0.121 हेक्टर गणेशीबाई पति चोखेलाल, खसरा नंबर 1008/3 रकबा 0.486 हेक्टर भूमि तहसीलदार धमतरी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 59-अ-6, अ/वर्ष 2017-18 दिनांक 21-06-2018 अनुसार सुखराम पति भालूराम नाग का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है. पश्चात् विक्रेता सुखराम पति भालूराम नाग द्वारा रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 22-06-2018 को क्रेता दीपक पति मोहनलाल जैन के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया, जिसका नामांतरण क्रमांक 520 दिनांक 14-07-2018 अनुसार दीपक पति मोहनलाल जैन भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है.

धमतरी विधान सभा क्षेत्र के कृषि सहकारी संस्था द्वारा खाद क्रय-विक्रय

15. (क्र. 2183) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में कृषि साख सहकारी संस्था के माध्यम से कौन-कौन से खाद का विक्रय किया जाता है एवं विक्रय के बदले संस्था को कितना कमीशन मिलता है ? वर्तमान में संस्था को विक्रय हेतु खाद का उठाव कहां से प्राप्त होता है ? (ख) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी कृषि साख सहकारी संस्था है, उक्त कृषि साख सहकारी संस्था के द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खाद विक्रय से कुल कितना कमीशन प्राप्त हुआ एवं खाद विक्रय करने में कितनी राशि व्यय की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा विक्रय

की जाने वाली रासायनिक खाद पर प्राप्त होने वाले कमीशन का खादवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	खाद का नाम	मार्जिन प्रति टन (वेट टैक्स सहित) (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	यूरिया	319.00
2.	सुपर फास्फेट	200.00
3.	डीएपी	400.00
4.	पोटाश	400.00
5.	एनपीके	400.00

वर्तमान में धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 15 समितियों में से 13 समितियों को विपणन संघ के खाद भण्डारण केन्द्र धमतरी से एवं 2 समितियों को खाद भण्डारण केन्द्र मखारा से खाद की आपूर्ति की जाती है. (ख) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल 20 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं हैं. उक्त समितियों में से पुनर्गठन के पूर्व की 15 समितियों द्वारा खाद का विक्रय किया जा रहा है. समितियों को प्राप्त कमीशन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)

वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
प्राप्त मार्जिन	व्यय राशि	प्राप्त मार्जिन	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
24.42	30.48	27.53	33.65

जिला जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ को स्कूल शिक्षा विभाग को डी.एम.एफ. मद से प्राप्त राशि

16. (क. 2186) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में स्कूल शिक्षा विभाग को डीएमएफ मद से कितनी राशि कब-कब, किस-किस कार्य के लिए प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त दोनों जिलों में डीएमएफ, मद की राशि का आवंटन किसी अनुशंसा व किन नियमों के तहत किया गया है ? (ग) उक्त राशि का उपयोग किस-किस कार्य के लिए किया गया है ? कितनी राशि शेष है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जिला जांजगीर-चांपा शैक्षणिक जिला सवती एवं जिला रायगढ़ में डीएमएफ की राशि का आवंटन जिला खनिज संस्थान न्यास में शासी परिषद की अनुशंसा व छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 यथा संशोधित 14 अगस्त, 2019 के कंडिका 12 व कंडिका 22 (2) (घ) के तहत किया गया. (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. शेष राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2019-20 रु.	वर्ष 2020-21 रु.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जांजगीर-चांपा	400000	22734509
2.	रायगढ़	2008062	निरंक

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 111 के चौड़ीकरण/निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

17. (क्र. 2194) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 111 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 130-बिलासपुर कटघोरा सेवसन), को चौड़ा करने, चारलेन बनाने, निर्माण के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 27-02-2018, के परिप्रेक्ष्य में मौजा संबलपुरी, प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. संकरी तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर के किन-किन भू-स्वामी हक की भूमि का, कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की गई? नाम, भूमि खसरा नं. रकबा सहित बतावे ? (ख) कंडिका “क” के प्रभावित भूमि स्वामियों की कितनी-कितनी भूमि की कितनी-कितनी राशि, मुआवजा मद में भुगतान की गयी ? (ग) कंडिका “क” के लिए भू-अधिग्रहण प्रकरण में मुआवजा नहीं मिलने/अधिग्रहण भूमि से अधिक भूमि पर राजमार्ग निर्माण करने संबंधी शिकायतें मिली है, हां तो शिकायत कर्ता के नाम बतावें, एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बिलासपुर जिले के तहसील तखतपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 111/130 बिलासपुर-कटघोरा सेवसन के मार्ग चौड़ीकरण निर्माण हेतु प्रकाशित अधिसूचना 27-02-2018 के परिप्रेक्ष्य में ग्राम संबलपुरी प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. संकरी तहसील तखतपुर स्थित 38 भू-धारकों की निजी भूमि रकबा 2.7839 हे./27839 व.मी. का भू-अर्जन हुआ है. इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग निर्माण चौड़ीकरण हेतु आवेदित विभाग से प्रस्ताव अनुसार प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21-08-2019 में 20 भू-धारकों की निजी भूमि रकबा 0.5830 हे./5830 व.मी. पूरक प्रकरण में भू-अर्जन हुआ है. इस प्रकार ग्राम संबलपुरी में स्थित 58 भू-धारकों की निजी भूमि रकबा 3.3669 हे./33669 व.मी. मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन किया गया. (ख) उपरोक्त मार्ग चौड़ीकरण निर्माण में 58 प्रभावित भू-धारकों की उनके द्वारा धारित निजी भूमि रकबा 3.3669 हे./33669 व.मी. का परिसम्पत्ति सहित मुआवजा रु. 8,06,12,340/- निर्धारित हुआ है. जिसमें आज दिनांक तक 42 भू-धारकों को उनकी निर्धारित मुआवजा राशि रु. 6,36,19,657/- का भुगतान किया जा चुका है. शेष 16 भू-धारकों को उनकी निर्धारित मुआवजा का भुगतान उनकी अनुपस्थिति, दस्तावेज पूर्ण नहीं होने एवं आपसी विवाद होने से भुगतान लंबित है.(ग) उपरोक्त अधिग्रहित भूमि के प्रभावित भू-धारकों से मुआवजा नहीं मिलने अथवा अधिग्रहित भूमि से अधिक भूमि पर राजमार्ग निर्माण करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. किंतु महावीर कौशिक द्वारा इस आशय की शिकायत प्रस्तुत किया गया है कि उनके अधिग्रहित प्रभावित मकान का मूल्यांकन त्रुटि पूर्ण किया गया है. इस संबंध में आवेदन को निर्धारित मुआवजा अथवा मूल्यांकन में असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रकरण आर्बिटेरेशन में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया.

नियम विरुद्ध, गैर आधिपत्य/स्वामित्व की भूमि में नामांतरण की शिकायत पर कार्यवाही

18. (क्र. 2195) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगरीय क्षेत्र, पटवारी हल्का नं. 62, रायपुर खास के क्षेत्र में वर्ष 2017 की स्थिति में म्युनिसिपल कमेटी, नगर निगम रायपुर के भूमि स्वामी हक में कितनी-भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, खसरा नं., रकबा सहित जानकारी दें ? (ख) क्या कंडिका “क” के क्षेत्र की भूमि (म्युनिसिपल कमेटी के हक की भूमि) में प्लॉटिंग किया गया है ? यदि हां तो कुल कितने प्लॉट ? प्लॉट में काबिजों का नाम सहित बतावें ? (ग) क्या कंडिका “ख” के प्लॉट को, नियम विरुद्ध म्युनिसिपल कमेटी नगर निगम रायपुर के गैर-आधिपत्य की भूमि, खसरा नं. में नामांतरण/इंद्राज भू-अभिलेख में दर्ज किए जाने संबंधी शिकायत मिली है ? यदि हां तो उस क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर नगरीय क्षेत्र पटवारी हल्का नंबर 62 ग्राम रायपुर में वर्ष 2017 की स्थिति में म्युनिसिपल कमेटी नगर निगम रायपुर की भूमिस्वामी हक में भूमि बी-1 खाता क्रमांक 2505 म्युनिसिपल कमेटी नगर निगम रायपुर भूमिस्वामी के नाम पर खसरा नंबर क्रमशः 32, 35, 38, 42, 46/1, 46/2, 62, 90/1, 91, 93/1, 93/2, 94, 95/1, 98/4, 386/2, 382/1, 387, 392/2, 406, 469/2 क्रमशः रकबा 0.142, 0.450, 0.239, 0.134, 0.696, 0.656, 0.057, 0.267, 0.053, 0.134, 0.173, 0.652, 0.259, 0.020, 0.567, 0.121, 0.493, 0.020, 0.109, 0.073 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है. (ख) नगरपालिक निगम रायपुर द्वारा प्लॉटिंग की गई है एवं संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नक्शे के अनुसार 227 प्लॉट है. वर्तमान में काबिजों से संबंधित सधारित अभिलेख उपलब्ध नहीं है. (ग) इस संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शालाओं का उन्नयन

19. (क्र. 2203) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन मिडिल स्कूल को हाईस्कूल एवं किन-किन हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन की पात्रता है ? कहां-कहां के उन्नयन प्रस्ताव शासन को कब-कब भेजे गये हैं ? कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा ? (ख) कितने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवनविहीन हैं ? कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति मिल जायेगी ? स्कूलवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल बेंदाडी को उन्नयन की पात्रता है. इस स्कूल के उन्नयन का प्रस्ताव 20 फरवरी 2021 को शासन को संचालक, लोक शिक्षण द्वारा भेजा गया था. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) 03 हाईस्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल क्रमशः शा. हाईस्कूल मोरकुटुम्ब, साल्हेटोला, चिरचारी खुर्द तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल, कल्लू बंजारी, करमरी, बेलरगोदी, बूचाटोला, कुमर्दा, महरूम, गोडलवाही, हालेकोसा, दाउटोला, चिखली, मवके, भड़सेना, चिल्हाटी, सिंघामेजड़ी, रेंगाकटेरा, जादूटोला, छदानपहरी, कन्या बांधाबाजार भवन विहीन है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

ग्राम पंचायत किरारी में मनोहर डबरी तालाब में भूमि संबंधी अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

20. (क्र. 2206) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत किरारी में खसरा नंबर 75 शासकीय मनोहर डबरी तालाब में भूमि संबंधी अनियमितता की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है ? (ख) यदि हां तो क्या विभाग द्वारा जांच की गयी ? क्या गड़बड़ी मिली तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. (ख) शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार मस्तूरी के द्वारा ग्राम किरारी प.ह.नं. 26 स्थित (तालाब) खसरा नंबर 75 की जांच की गई, जिसमें मनोहर डबरी तालाब रकबा 2.0430 हे. शासकीय मद की भूमि है, जो कि तत्कालीन समय के राजस्व अभिलेख में ग्राम किरारी निवासी तामेश्वर सिंह पिता गनपत सिंह के नाम पर उनके अन्य खसरा के साथ शामिल रूप से उनके निजी स्वामित्व में दर्ज हो गया था. तहसीलदार द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच कर तहसीलदार मस्तूरी के न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/ब-121/2020 में दर्ज कर दिनांक 26-02-2021 को उक्त तालाब की भूमि को खातेदार तामेश्वर सिंह पिता गनपत सिंह के नाम को विलोपित करते हुए पूर्ववत् छ.ग. शासन (तालाब) के नाम पर सुधार किया जा चुका है. उक्त त्रुटि/गलती कब एवं किसके द्वारा की गई है की जांच हेतु आयुक्त, भू-अभिलेख, नवा रायपुर को तहसीलदार मस्तूरी के पत्र क्रमांक वयू/तह./कानू./2021 दिनांक 21-01-2021 द्वारा दिनांक 01-01-2019 से दिनांक 01-01-2020 तक खसरा नंबर 75 का लॉग रिपोर्ट प्रदाय करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है. जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् सलिप्त दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

बिलासपुर संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति एवं समयमान वेतनमान के लंबित आवेदन

21. (क्र. 2207) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 10-02-2021 की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल कितने प्रकरण लंबित है ? इन प्रकरणों में कब तक नियुक्ति की जावेगी ? जिलेवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर संभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल लंबित प्रकरणों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	दिनांक 10-02-2021 की स्थिति में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	रायगढ़	44
2.	बिलासपुर	16
3.	जांजगीर-चांपा	15
4.	सवती	07
5.	कोरबा	34
6.	पेण्ड्रा गौरैला मरवाही	0
7.	मुंगेली	22
योग		138

लंबित अनुकम्पा नियुक्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जांजगीर चाम्पा जिला के धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत नियमित/अनियमित अधिकारी/कर्मचारी

22. (क्र. 2214) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चाम्पा जिला में कितने धान खरीदी केन्द्र संचालित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जांजगीर-चांपा जिले में 231 धान खरीदी केन्द्र संचालित है.

जांजगीर-चाम्पा जिला में अंतरजातिय विवाह योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही

23. (क्र. 2215) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिला में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में अंतरजातिय विवाह योजना के तहत कितने लोगों को लाभ दिया गया है ? लाभान्वित का नाम, पता, विवाह दिनांक, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी, संस्था का नाम एवं अंतरजातिय विवाह योजनांतर्गत प्रदान की गई राशि सहित जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जांजगीर-चांपा जिला में वर्ष 2019-20 में 144 एवं वर्ष 2020-21 में 94 इस प्रकार कुल 238 दंपतियों को लाभान्वित किया गया है. लाभान्वित का नाम, पता, विवाह दिनांक, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी, संस्था का नाम एवं अंतरजातिय विवाह योजनांतर्गत प्रदान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

कोरिया जिला अंतर्गत शालाओं में फर्नीचर क्रय हेतु आवंटित राशि

24. (क्र. 2227) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में संचालित शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2019-20 से 10-2-21 कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ख) किस सप्लायर/संस्था/ फर्म द्वारा कितनी-कितनी मात्रा एवं किस दर पर फर्नीचर की सप्लाय की गई ? (ग) कितनी स्कूल एवं संस्थाओं में गुणवत्ता विहीन फर्नीचर सप्लाय की शिकायत प्राप्त हुई है ? (घ) कोरिया के कितने स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, नाम सहित जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कोरिया जिले में संचालित शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2019-20 में 2 करोड़ 63 लाख 35 हजार 2 सौ 75 मात्र एवं वर्ष 2020-21 में 10-02-2021 तक 1 करोड़ 67 लाख 63 हजार 60 मात्र राशि आवंटित की गई. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (घ) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी

25. (क्र. 2240) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कितनी सहकारी समितियों को दायित्व दिया गया ? इनमें कितने धान की खरीदी की गई ? (ख) कंडिका "क" की समितियों को कब-कब कितना-कितना बारदाना सप्लाय किया गया ? क्या धान खरीदी के लिए किसानों से भी बोरा लिया गया, हां तो क्यों और कितने किसानों का ? किस-किस दर पर ? (ग) कंडिका "क" की समितियों के लिए क्या कैप कट्टर भी खरीदे गये, हां तो कितनी राशि का और कब ? नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2020-21 में 2009 सहकारी समितियों के अंतर्गत 2311 धान उपार्जन केन्द्रों को धान खरीदी का दायित्व दिया गया था, इनमें 92.00 लाख में टन उपार्जित किया गया. (ख) समितियों को उपार्जन अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार समय-समय पर कुल 497591 गठान बारदाना उपलब्ध कराया गया है. जी हां, 554822 किसानों से बारदाना लिया गया है, भारत सरकार द्वारा नये बारदाने की न्यून आपूर्ति के कारण किसानों की सुविधा के दृष्टिकोण से लिया गया. किसानों से राशि रुपये 15 प्रति नग की दर पर लिया गया. (ग) कंडिका "क" की समितियों में से महासमुंद जिले की 27 समितियों द्वारा 357 कैप कट्टर खरीदे गए हैं, जिसकी राशि रुपये 34.70 लाख है. शेष समितियों द्वारा धान की सुरक्षा हेतु तारपोलिन एवं प्लास्टिक कट्टर क्रय किये गये हैं.

अतारांकित पश्नोत्तर

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में प्रदत्त आवास पट्टा

1. (क्र. 142) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चाम्पा जिले में अकलतरा और बलौदा नगरीय क्षेत्र में दिनांक 30-01-2021 तक कितने आबादी पट्टा कितने हितग्राहियों को दिये गए हैं ? कितने आवेदन किस कारण से लंबित हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जांजगीर-चाम्पा जिले के अकलतरा नगरीय क्षेत्र में दिनांक 30-1-2021 तक सर्वेक्षित 917 हितग्राहियों में से 746 आबादी पट्टों का वितरण हितग्राहियों को किया गया। शेष 171 पट्टों का वितरण प्रक्रियाधीन है। राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत आबादी पट्टे हेतु कुल 32 हितग्राहियों को चिन्हांकन किया गया था जिसमें से 29 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। शेष 3 पट्टे वितरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं। लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है। जांजगीर-चाम्पा जिले के बलौदा नगरीय क्षेत्र में दिनांक 30-1-2021 तक सर्वेक्षित 950 हितग्राहियों में से 950 आबादी पट्टों का वितरण हितग्राहियों को किया गया। राजीव गांधी आश्रय योजनांतर्गत कुल 51 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है।

अकलतरा विधानसभा में स्कूलों में अहाता निर्माण के तहत व्यय राशि

2. (क्र. 143) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर किस-किस स्कूल के अहाता निर्माण के लिए कितनी राशि किस-किस मद से वित्तीय वर्ष 2019-20 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 26-01-2021 तक स्वीकृत हुई है।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वित्तीय वर्ष	शाला का नाम	मद का नाम	स्वीकृति राशि (लाखों में)
1.	2019-20	शास. पूर्व माध्य. शाला लेवई	लघु निर्माण मद	5.00
2.	से	शास. पूर्व माध्य. शाला, भाटापारा खैजा	लघु निर्माण मद	5.00
3.	दि. 26-01-2021	शास. प्राथ. शाला भाटापारा खैजा	लघु निर्माण मद	5.00

बिलासपुर जिले में पंजीकृत समितियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

3. (क्र. 237) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में पंजीकृत समितियों के विरुद्ध दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2020 के बीच कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? शासन ने उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही किया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में पंजीकृत समितियों के विरुद्ध दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2020 के बीच 48 शिकायतें संज्ञान में आयी हैं। इन शिकायतों में से 18 शिकायतें नस्तीबद्ध की गयी, 30 प्रकरणों में जांच प्रक्रियाधीन है।

नगर पंचायत धरमजयगढ़/घरघोड़ा के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को पट्टा वितरण

4. (क्र. 374) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत धरमजयगढ़/घरघोड़ा में जनवरी, 2021 की स्थिति में कुल कितने भूमिहीन परिवारों को नगरीय क्षेत्रों में पट्टे का वितरण किया गया है ? (ख) कितनों परिवारों को वितरण किया जाना शेष है ? कब तक कर लिए जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नगर पंचायत धरमजयगढ़/घरघोड़ा में जनवरी, 2021 की स्थिति में किसी भी भूमिहीन परिवारों को नगरीय क्षेत्रों में पट्टे का वितरण नहीं किया गया है। (ख) नगर पंचायत धरमजयगढ़ में पट्टे का वितरण नहीं किया गया है। नगर पंचायत घरघोड़ा में 74 हितग्राहियों का सर्वे किया गया था जिसमें 07 हितग्राही पात्र व 67 हितग्राही अपात्र पाये गये। पात्र 07 हितग्राहियों को पट्टा वितरण कर दिया गया है।

जिला रायगढ़ में नामांतरण सीमांकन एवं डायवर्सन के लंबित प्रकरण

5. (क्र. 377) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत तहसीलों में सीमांकन/डायवर्सन/नामांतरण/बटांकन के कितने प्रकरण लंबित है ? तहसीलवार जानकारी देवे ? (ख) लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु क्या कार्य योजना एवं समय सीमा निर्धारित है ? कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत तहसीलों में सीमांकन-852, डायवर्सन-358, नामांतरण (विवादित)-1907, नामांतरण (अविवादित)-158, बटांकन/बंटवारा (विवादित)-665, बटांकन/बंटवारा (अविवादित)-0 प्रकरण लंबित है. तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु समय सीमा में निराकृत किये जाने के निर्देश है. अविवादित प्रकरणों के लिये 03 माह एवं विवादित प्रकरणों के लिये 06 माह का समय-सीमा निर्धारित है. कुल 2682 प्रकरण समय-सीमा के भीतर एवं 1258 प्रकरण समय-सीमा के बाहर लंबित है. जिसका निराकरण 03 माह के भीतर पूर्ण कर लिये जायेंगे.

जिला रायगढ़ में सेवा सहकारी समितियों द्वारा गोदाम निर्माण

6. (क्र. 378) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से जनवरी 2021 तक की अवधि में जिला रायगढ़ में सेवा सहकारी समितियों द्वारा कितने गोदाम बनाये गये हैं एवं कितने प्रस्तावित है ? (ख) कितनी राशि कौन-कौन से मद से स्वीकृत की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला रायगढ़ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में 01 गोदाम तथा वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी तक 01 गोदाम स्वीकृत हुआ है. नरेगा योजना अंतर्गत समितियों में वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी तक 75 कार्य स्वीकृत किये गये है. (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की राशि स्वीकृत की गई है, जो निम्नानुसार है -

(राशि लाख में)

मद	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
	गोदाम संख्या	स्वीकृत राशि	गोदाम संख्या	स्वीकृत राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1	11.46	1	11.68
नरेगा योजना	0	0	75	897.97

रायपुर जिले में नामांतरण हेतु लंबित प्रकरण

7. (क्र. 662) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर में दिनांक 29-11-2019 की स्थिति में नामांतरण के कितने प्रकरण लंबित थे ? दिनांक 05-02-2021 की स्थिति में कितने प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं ? (ख) दिनांक 30-11-2019 से 30-01-2021 की अवधि में नामांतरण के कितने प्रकरण (आवेदन) प्राप्त हुए ? कितनों का निराकरण किया गया तथा कितने लंबित हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नांश “क” की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	लंबित	निराकृत
1.	रायपुर	3284	5230
2.	आरंग	149	9629
3.	अमनपुर	239	2392
4.	तिल्दा	128	643
	योग	3800	17894

(ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन	निराकृत	शेष
1.	रायपुर	6119	5230	889
2.	आरंग	10419	9967	452
3.	अभनपुर	3323	2957	366
4.	तिरुदा	663	611	52
	योग	20524	18765	1759

प्रदेश में भूमि डायवर्सन के लंबित प्रकरण

8. (क्र. 663) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भूमि डायवर्सन नियम दिनांक 04-09-2019 लागू होने के बाद से दिनांक 29-01-2021 तक कितने प्रकरण संबंधित कार्यालयों में लंबित हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका (क) की भूमि को डायवर्सन करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित 15 दिन की समय सीमा का पालन प्रदेश के किन-किन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रदेश में भूमि डायवर्सन नियम दिनांक 04-09-2019 लागू होने के बाद से दिनांक 29-01-2021 तक जिलेवार लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	लंबित प्रकरणों की संख्या (3)
1.	सूरजपुर	62
2.	कोरबा	04
3.	जांजगीर-चांपा	निरंक
4.	बिलासपुर	447
5.	बेनेतरा	201
6.	रायगढ़	358
7.	मुंगेली	170
8.	जशपुर	244
9.	राजनांदगांव	70
10.	रायपुर	461
11.	सुकमा	21
12.	बलरामपुर-रामानुजगंज	112
13.	बीजापुर	11
14.	गरियाबंद	61
15.	कोण्डागांव	निरंक
16.	बलौदाबाजार-भाटापारा	394
17.	कबीरधाम	186
18.	नारायणपुर	05
19.	दुर्ग	1656
20.	धमतरी	11
21.	सरगुजा	56
22.	कोरिया	82
23.	बस्तर	237
24.	दन्तेवाड़ा	33
25.	काकर	63

(1)	(2)	(3)
26.	महासमुंद	189
27.	गौरे ला-पेण्ड्रा-मरवाही	48
28.	बालोद	199

(ख) कंडिका (क) की भूमि को डायवर्सन करने हेतु नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय से अभिमत प्राप्त होने पर, शासन द्वारा निर्धारित 15 दिवस की समय-सीमा का सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पालन किया जा रहा है.

जिला कांकेर में परियोजना मद अंतर्गत प्राप्त आबंटन

9. (क्र. 1201) श्री अनूप नाग : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र को वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक परियोजना मद अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 मद में कितना आबंटन प्राप्त हुआ ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार उक्त अवधि में प्राप्त आबंटन से कुल कितने कार्य, कितनी राशि से स्वीकृत किये गये ? (ग) स्वीकृत कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन-कौन है ? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण है तथा कितनी राशि एजेंसी को भुगतान की गई है ? कृपया विकासखंडवार सूची उपलब्ध करावे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कुल राशि रु. 800.787 लाख. (ख) कुल 37 कार्य हेतु राशि रु. 800.787 लाख स्वीकृत किये गये. (ग) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

प्रदेश में वक्फ बोर्ड की चल/अचल संपत्ति

10. (क्र. 1319) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वक्फ बोर्ड के उद्देश्य क्या है ? (ख) प्रदेश में वक्फ बोर्ड अंतर्गत कितनी चल और अचल संपत्ति कहा-कहां हैं ? तथा कितने शेयर किन-किन कंपनियों में हैं ? प्रदेश में वक्फ बोर्ड अंतर्गत कितनी ईमारतें, कहा-कहां हैं ? कितने संस्थान संचालित है ? (ग) 1 दिसंबर, 2018 से 31 जनवरी, 2021 तक वक्फ बोर्ड को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुयी ? एवं किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) राज्य वक्फ बोर्ड का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, प्रबंधन एवं विकास है. (ख) प्रदेश में 801 वक्फ अचल संपत्तियां हैं तथा बोर्ड की कोई वक्फ चल संपत्ति नहीं है †† संलग्न (परिशिष्ट अनुसार). किसी कंपनी का कोई शेयर नहीं है. वक्फ बोर्ड स्वामित्व की ईमारत नहीं है तथा बोर्ड अंतर्गत कोई संस्थान संचालित नहीं है. (ग) 01 दिसम्बर 2018 से 31 जनवरी 2021 तक वक्फ बोर्ड को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि, व्यय एवं कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	कार्य का विवरण	व्यय
1.	11,25,000.00 (कौमी वक्फ तरविकयाती योजना)	प्रशासनिक व्यय	3,46,888.00
2.		सलाहकारों का पारिश्रमिक	4,25,806.00
योग			7,72,694.00

01 दिसम्बर 2018 से 31 जनवरी 2021 तक वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि, व्यय एवं कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

राज्य से प्राप्त राशि	कार्य का विवरण	व्यय
(1)	(2)	(3)
2,88,00,000	वेतन भत्ते मजदूरी आदि-अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण एवं कार्यालयीन कर्मचारी.	13,018,689.00

(1)	(2)	(3)
	कार्यालयीन व्यय	4,562,166.00
	प्रशासनिक व्यय	610,307.00
	कार्यक्रम-वर्क शॉप प्रशिक्षण आदि.	850,715.00
	वाहन एवं यात्रा व्यय-अध्यक्ष/सीईओ/सदस्य/आब्जर्वर	3,033,351.00
	विधिक व्यय-सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालय	868,700.00
	विज्ञापन व्यय	355,926.00
	अन्य आकस्मिक व्यय	294,858.00
	योग	2,35,94,712.00

जिला धमतरी अंतर्गत जमीन अधिग्रहण

11. (क्र. 1320) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कार्यों के लिए धमतरी जिला अंतर्गत जमीन अधिग्रहण के कितने प्रकरण, कब से लंबित है ? (ख) भखारा बाईपास रोड व केन्द्री-धमतरी तथा अभनपुर-राजिम एम.एम.-11 रेल लाईन परियोजना के जमीन अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति क्या है ? इसके अंतर्गत कौन-कौन से गांव के कितने, किसानों का, कितनी-कितनी भूमि, अधिग्रहित की गयी एवं कितने को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है एवं कितने शेष हैं, और कब तक कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) शासकीय कार्यों के लिए धमतरी जिला अंतर्गत जमीन अधिग्रहण के वर्ष 2017-18 के 04 प्रकरण, वर्ष 2018-19 के 31 प्रकरण एवं वर्ष 2019-20 के 37 प्रकरण, कुल 72 प्रकरण लंबित हैं. (ख) भखारा बाईपास रोड की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. ग्राम का नाम-भखारा, सिहाद
2. किसान की संख्या-13 (भखारा), 25 (सिहाद)
3. कितनी भूमि का अर्जन-1.640 हे. (भखारा), 12.026 हे. (सिहाद)
4. मुआवजा वितरण-भखारा-निरंक, सिहाद-निरंक

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी से मुआवजा राशि जमा करने पर मुआवजा वितरण किया जावेगा.

केन्द्री-धमतरी रेल लाईन परियोजना के जमीन अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति -

परियोजना अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में 20(ई) अधिसूचना का प्रकाशन भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 नवम्बर 2020 एवं दिनांक 08 फरवरी 2021 को किया गया है. वर्तमान में परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण नहीं हुआ है. अतः जानकारी निरंक है.

जिला बालोद में शालाओं में फर्नीचर एवं क्रय हेतु प्राप्त आबंटन

12. (क्र. 1679) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अंतर्गत संचालित कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री शालाओं में विद्यार्थियों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है एवं कितनी शालाओं में नहीं ? (ख) शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी, 2021 तक की अवधि में कुल कितना आबंटन प्राप्त हुआ ? वर्षवार जानकारी दें ? (ग) शालाओं के लिए फर्नीचर की आपूर्ति किन-किन व्ययित/फर्म/एजेंसी के माध्यम से की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बालोद जिला अंतर्गत संचालित 409 पूर्व माध्यमिक, 46 हाई स्कूल एवं 127 हायर सेकेण्डरी शालाओं में विद्यार्थियों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है, कोई भी शाला विद्यार्थी फर्नीचर विहीन नहीं है. विभाग द्वारा प्राथमिक शालाओं में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं दिया जाता है. (ख) शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2019-20 में राशि 2 करोड़ 81 लाख 25 हजार 7 सौ 80 एवं वर्ष 2020-21 में 21-01-2021 तक 1 करोड़ 90 लाख 94 हजार 6 सौ 50 आबंटित की गई. (ग) वर्ष 2019-20 में मेसर्स एस. के. फर्नीचर बालोद, मेसर्स संजय साईटिफिक राजनांदगांव, मेसर्स ढावले इंजीनियरिंग एण्ड आयरन वर्क्स बोरसी दुर्ग, मेसर्स उषा स्टील रायपुर, मेसर्स गोयल फर्नीचर रायपुर एवं मेसर्स दर्शन फेब्रिकेटर्स रायपुर तथा वर्ष 2020-21 में 21-01-2021 तक मेसर्स विशाल इण्डस्ट्रीज राजनांदगांव, मेसर्स सिद्धी इंटरप्राइजेस राजनांदगांव एवं मेसर्स संजय साईटिफिक राजनांदगांव फर्म द्वारा फर्नीचर आपूर्ति की गई.

नवापारा तहसील अमनपुर जिला रायपुर के ग्राम चोरिया की भूमि की स्थिति

13. (क्र. 1767) श्री ननकीराम कंवर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवापारा तहसील अमनपुर जिला रायपुर के ग्राम चोरिया प. ह. न. 28 खसरा नं. 171, 172/1, 173, 174, 175, 198 वर्तमान में किस-किस व्यक्ति के नाम से कब से किस मद में दर्ज है ? उक्त का नामांतरण कब एवं किसके आदेश से किया गया था ? (ख) वर्तमान में उक्त भूमि किस मद में दर्ज है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नवापारा तहसील अमनपुर जिला रायपुर के ग्राम चोरिया प.ह.नं. 28 खसरा नंबरवार जानकारी निम्नानुसार है :-

1. खसरा नंबर 171 का पुराना खसरा नंबर 100/29 था, जो वर्तमान में रवि डागा पिता राजेन्द्र डागा, साकिन रायपुर भूमि स्वामी के नाम दर्ज है, जो नामांतरण क्रमांक 01 वर्ष 1995-96 के आदेश दिनांक 21-12-1995 में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा प्रमाणित किया गया है।
2. खसरा नंबर 172/2 का पुराना खसरा नंबर 100/26 था, जो वर्तमान में रवि डागा पिता राजेन्द्र डागा साकिन रायपुर भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है, जो नामांतरण क्रमांक 02 वर्ष 1995-96 में आदेश दिनांक 21-12-1995 में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा प्रमाणित किया गया है।
3. खसरा नंबर 173 का पुराना खसरा नंबर 100/32 था, जो वर्तमान में रवि डागा पिता राजेन्द्र डागा साकिन रायपुर भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है, जो नामांतरण क्रमांक 02 वर्ष 1995-96 में आदेश दिनांक 21-12-1995 में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा प्रमाणित किया गया है।
4. खसरा नंबर 174 का पुराना खसरा नंबर 100/27 था, जो वर्तमान में रवि डागा पिता राजेन्द्र डागा साकिन रायपुर भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है जो नामांतरण क्रमांक 04 वर्ष 1995-96 में आदेश दिनांक 21-12-1995 में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, द्वारा प्रमाणित किया गया है।
5. खसरा नंबर 175 का पुराना खसरा नंबर 274/1 था, जो कि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक गृह निर्माण समिति मर्यादित द्वारा अध्यक्ष बी.एस.रावटे पिता हेमलाल रावटे, भूमिस्वामी के नाम से अभिलेख में दर्ज है।
6. खसरा नंबर 198 का पुराना खसरा नंबर 243/1 था, जो वर्तमान में रवि डागा पिता राजेन्द्र डागा साकिन रायपुर भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है, जो नामांतरण क्रमांक 03 वर्ष 1995-96 में आदेश दिनांक 21-12-1995 में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा प्रमाणित किया गया है। (ख) वर्तमान में उपरोक्त सभी खसरा नंबरों की भूमियां भूमि-स्वामी मद में दर्ज है।

राजस्व ग्राम साजा जिला बेमेतरा की शासकीय भूमि ख. नं. 1173 की स्थिति

14. (क्र. 1870) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील साजा जिला बेमेतरा के राजस्व ग्राम साजा की शासकीय भूमि ख. नं. 1173 का हिस्सा किस कोटवार को कब आबटित किया गया था ? (ख) क्या वर्तमान में उक्त कोटवार के वारिसान उक्त भूमि पर काबिज हैं ? (ग) यदि नहीं, तो उक्त भूमि पर कौन काबिज है और उक्त व्यक्ति को जमीन कैसे प्राप्त हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) तहसील साजा जिला बेमेतरा स्थित भूमि ख. नं. 1173 रकबा 0.48 हे. सुरक्षित आबादी भूमि है. उक्त ख. नं. के हिस्से पर साजा कोटवार (अंजोरदास पिता सुखरूदास फौत) की पैतृक भूमि है. ख. नं. 1173 रकबा 0.48 कोटवारी भूमि नहीं है. अतः कोटवार को आबटित नहीं किया गया है. (ख) वर्तमान में उक्त कोटवार के वारिसान उक्त भूमि पर काबिज नहीं है. पूर्व मृतक कोटवार अपने जीवन काल में बेच चुका है. (ग) उक्त आबादी भूमि पर 1. भारतीदेवी मानिकपुरी पति कमल मानिकपुरी 2. मंगल निषाद पिता अर्जन निषाद 3. महेश्वर यादव पिता हेमलाल, उक्त व्यक्तियों को जमीन अंजोरदास पिता सुखरूदास से खरीदकर प्राप्त हुई है.

एसईसीएल धरमजयगढ़-दुर्गापुर ओपन मार्ईस में प्रभावित भूमि

15. (क्र. 1950) श्री प्रकाश शकतीत नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एसईसीएल धरमजयगढ़-दुर्गापुर ओपन मार्ईस में किन-किन गांवों की कितनी-कितनी भूमि प्रभावित हो रही है ? (ख) कितनी-कितनी मुआवजा राशि निर्धारित की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) एस.ई.सी.एल. की दुर्गापुर खुली खदान हेतु तहसील धरमजयगढ़ के अन्तर्गत निम्न गांवों की भूमि प्रभावित हो रही है :-

ग्राम का नाम	निजी भूमि (हेक्ट. में)	शासकीय भूमि (हेक्ट. में)	वन भूमि (हेक्ट. में)	कुल भूमि (हेक्ट. में)
दुर्गापुर	207.815	96.695	170.760	475.270
शाहपुर	156.807	71.051	0.000	227.858
धरमजयगढ़ कॉलोनी	692.003	99.639	0.000	791.642
धरमजयगढ़	58.372	1.804	11.687	71.863
तराईमार	23.595	4.286	51.296	79.177
बायसी	0.409	0.000	18.100	18.509
बायसी कॉलोनी	12.934	0.000	0.000	12.934
महायोग	1151.935	273.475	251.843	1677.253

(ख) ग्रामीणों के विरोध की वजह से मुआवजा के आंकलन हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है. सर्वेक्षण के पश्चात् भूमि भूजन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार मुआवजा राशि दिया जायेगा.

जिला कोडागांव में राजस्व अधिकारी/पटवारी के स्वीकृत और रिक्त पद

16. (क. 1981) श्री सन्तराम नेताम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोडागांव में राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी व पटवारी के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें कितने पद रिक्त हैं और कितने भरे हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांक “क” के संदर्भ में रिक्त पदों को भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक सभी पद भर लिए जाएंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) कोडागांव जिले में राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों, सहायक राजस्व अधिकारी व पटवारी की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

कोडागांव जिला में स्थापित धान संग्रहण केंद्र

17. (क. 1982) श्री सन्तराम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के द्वारा कोडागांव जिला में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी, 2021 की स्थिति में कितने धान संग्रहण केंद्र स्थापित किए गए हैं ? उक्त धान संग्रहण केंद्रों से कितनी धान की खरीदी की गई, विकासखण्डवार, केंद्रवार जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : कोडागांव जिला में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31-01-2021 की स्थिति में 02 संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये हैं. संग्रहण केन्द्रों में धान खरीदी का कार्य नहीं किया जाता. अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

अमनपुर तहसील के ग्राम नायकबांधा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

18. (क. 2011) श्री धनेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के ग्राम नायकबांधा (तहसील-अमनपुर) के ग्राम पंचायत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमनपुर को उनको ग्राम की कौन-कौन से खसरा नम्बर की कितने-कितने रकबे की भूमि में लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे हटाने की मांग की गयी है, किन-किन लोगों के द्वारा कितनी-कितनी रकबा में अतिक्रमण किया गया है ? (ख) उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो किन कारणों से तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम नायकबांधा प. ह. नं. 49 तहसील अमनपुर जिला रायपुर स्थित भूमि ख. न. 154, 167, 168, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580/1, 1580/2, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594,

1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1643 कुल ख. नं. 92 कुल रकबा 45.16 हे. पर अतिक्रमण किये जाने का आवेदन ग्राम पंचायत नायकबांधा द्वारा किया गया है. किन-किन लोगों द्वारा कितनी-कितनी रकबा में अतिक्रमण किया गया है, संबंधी जांच के लिए दो राजस्व निरीक्षक एवं चार पटवारियों का दल गठन किया गया है. जांच दल द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी. (ख) ग्राम पंचायत नायकबांधा द्वारा कुल खसरा नंबर 92 रकबा 45.16 हे. भूमि अतिक्रमण हटायें जाने का आवेदन किया गया है. कुल खसरा नंबर की संख्या की अधिकता होने के कारण दो राजस्व निरीक्षक एवं चार पटवारियों का दल गठन किया गया है. इस दल के द्वारा जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. नियमानुसार कार्यवाही कर 90 दिवस के भीतर निराकरण कर लिया जावेगा.

अमनपुर विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

19. (क्र. 2012) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम में सहकारी समितियां एवं समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केन्द्र स्थापित है ? (ख) इस वर्ष खरीफ फसल धान की खरीदी किस-किस धान उपार्जन केन्द्रों के द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में कितने किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी गया ? किसानों की संख्या एवं खरीदे गये धान की मात्रा की अलग-अलग जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

राजनांदगांव जिले में राजस्व ग्रामों व नवशे की स्थिति

20. (क्र. 2018) **श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में ग्रामों की विरचना अथवा बन्दोस्त के बाद वर्तमान में कितने राजस्व व कितने वन ग्राम मौजूद हैं ? (ख) उपरोक्त राजस्व एवं वन ग्रामों की कुल कितनी शीट नवशा (पटवारी शीट) जारी की गई हैं ? (ग) वर्तमान में पटवारी के पास कितने राजस्व ग्रामों का मूल नवशा उपलब्ध है व कितने ग्रामों का अनुपलब्ध है ? अनुपलब्ध ग्राम की सूची ग्राम राजस्व निरीक्षण मंडल, शीट सहित जानकारी दें. (घ) प्रश्नांश “ग” अनुसार पटवारी के पास उपलब्ध मूल नवशे में से कितना शीट जीर्ण शीर्ण व अकार्य योग्य है एवं कितनी कार्य योग्य हैं ? जीर्ण अकार्य योग्य नवशा वाले ग्रामों की सूची राजस्व निरीक्षक मंडल, शीट संख्या सहित जानकारी दें. (ङ) जिले के कितने राजस्व ग्रामों की संदर्भ नवशा बनाये गये थे, जिला कार्या. अभिलेख कोष्ठ में कितने ग्रामों का कितना शीट संदर्भ नवशा उपलब्ध है व कितने ग्राम का कितना शीट अनुपलब्ध है. अनुपलब्ध ग्रामों की सूची ग्रामवार, राजस्व निरीक्षक मंडल, शीट संख्या सहित जानकारी दें. (च) ऐसे कितने ग्राम हैं जिनका पटवारी के पास मूल नवशा एवं अभिलेख कोष्ठ (जिला कार्यालय) में संदर्भ नवशा उपलब्ध नहीं है ? अर्थात् दोनों जगह नवशा अनुपलब्ध हैं. ऐसे नवशा विहीन ग्रामों की सूची शीट संख्या सहित दें. (छ) कम्प्यूटर में कितने ग्रामों का ऑनलाईन नवशा उपलब्ध नहीं है सूची प्रदान करें.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले में ग्रामों की विरचना अथवा बन्दोस्त के बाद कुल ग्राम की संख्या 1687 है. वन ग्राम की संख्या शून्य है. (ख) उपरोक्त राजस्व ग्राम के कुल 2874 शीट (पटवारी शीट) जारी किया गया है. (ग) वर्तमान में पटवारी के पास 1641 ग्राम का मूल नवशा उपलब्ध है. पटवारी के पास अनुपलब्ध नवशा वाले ग्राम की जानकारी राजस्व निरीक्षक मंडल शीट सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (घ) पटवारी के पास उपलब्ध मूल नवशा में 1378 नवशा जीर्ण-शीर्ण है. जिसमें से 918 शीट कार्ययोग्य है व 460 अकार्य योग्य शीट है. अकार्य योग्य नवशा वाले ग्रामों की सूची राजस्व निरीक्षक मण्डल शीट संख्या सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ङ) राजनांदगांव जिले के 1653 ग्राम का नवशा बनाये थे. जिला अभिलेख कोष्ठ में 1320 ग्राम के 2200 शीट संदर्भ नवशा उपलब्ध है. 333 ग्राम का 520 शीट अनुपलब्ध है. अनुपलब्ध ग्रामों की सूची ग्रामवार, राजस्व निरीक्षक मण्डल शीट संख्या सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (च) पटवारी के पास मूल नवशा एवं अभिलेख कोष्ठ अर्थात् दोनों जगह कुल 13 ग्राम के 16 शीट अनुपलब्ध है. नवशा विहीन ग्रामों की सूची शीट संख्या सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (छ) मुईयां पोर्टल में पांच ग्राम का ऑनलाईन नवशा उपलब्ध नहीं है. सूची पृथक से पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

कांकेर में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत कम्प्यूटर खरीदी हेतु आर्बिटि राशि

21. (क्र. 2050) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2019-20 में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग कांकेर को कम्प्यूटर खरीदी एवं कम्प्यूटर

लैब बनाने हेतु आबंटन दिया गया था ? यदि हां तो कितना ? क्या विभाग द्वारा कम्प्यूटर का क्रय किया गया है यदि हां तो क्या इसमें भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश “क” अनुसार खरीदी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा क्या शिकायत की गई थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि आयुक्त बस्तर के द्वारा/के निर्देश पर भी जांच की गई ? यदि हां तो कब व किसके द्वारा की गई तथा जांच प्रतिवेदन में क्या उल्लेख किया गया तथा कौन दोषी पाया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी, हां. राशि रु. 130.00 लाख. जी, हां, सविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद अंतर्गत प्राप्त राशि रु. 70.00 लाख के विरुद्ध, जिसमें भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया. (ख) जी, नहीं, अपितु दैनिक समाचार पत्र “पत्रिका ” में प्रकाशित समाचार शीर्षक “आदिम जाति कल्याण विभाग ने 60 लाख में खरीदा 75 नग कम्प्यूटर, सत्यापन से पहले ठेकेदार को भुगतान” प्राप्त हुई थी. इस पर आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के निर्देश पर श्री बी. एस. सिदार डिप्टी कमिश्नर बस्तर संभाग के द्वारा इस प्रकरण से संबंधित अभिलेखों की जांच 27-08-2020 को किया गया है. जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कांकेर द्वारा परियोजना मद से कम्प्यूटर लैब स्थापना हेतु प्राप्त राशि से कम्प्यूटर सेट एवं अन्य सामग्री जानबूझकर अनियमित रूप से क्रय समिति एवं कलेक्टर के अनुमोदन से परे जाकर क्रय किया गया. उनका यह कृत्य छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है. अतः तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कांकेर के विरुद्ध छ. ग. सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जांच से संतुष्ट नहीं होने के कारण आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर द्वारा पुनः पत्र क्रमांक/2295/जगदलपुर दिनांक 01-09-2020 के द्वारा कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक “आदिम जाति कल्याण विभाग ने 60 लाख में खरीदा 75 नग कम्प्यूटर, सत्यापन से पहले ठेकेदार को भुगतान” के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन मांगा गया था, जिस पर कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा 60.00 लाख रुपये की कम्प्यूटर खरीदी एवं ठेकेदारों को सत्यापन के पहले भुगतान बाबत संपूर्ण नस्ती एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया है, जिसमें सामग्री क्रय प्रकरण में “पत्रिका” समाचार में प्रकाशित भुगतान संबंधी समाचार असत्य एवं निराधार पाया गया है, जिसकी निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक 1761 दिनांक 15-10-2020 के द्वारा आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर को प्रेषित किया गया है.

निजी शालाओं में फीस विनियमन अधिनियम के तहत समिति का गठन

22. (क्र. 2051) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि निजी शालाओं में फीस विनियमन अधिनियम 2020 लागू किया गया है ? यह हां तो क्या इस अधिनियम के अंतर्गत फीस समिति का गठन किया जाना था ? (ख) यदि हां तो क्या इस समिति में पालकों को भी रखा जाना है ? यदि हां, तो पालकों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया है ? अधिनियम अनुसार एक वर्ष में अधिकतम कितनी फीस किस-किस मद में बढ़ाई जा सकती है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. जी हां. (ख) जी हां. विद्यालय फीस समिति हेतु अधिनियम की धारा 3 (ग) एवं 3 (घ) एवं अधिनियम के अंतर्गत नियम 3 (1) एवं 3 (3) के अनुसार तथा जिला फीस समिति हेतु अधिनियम की धारा 4 (इ.) तथा नियम 3 (7) के अनुसार पालकों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित है. अधिनियम की धारा 10 (8) के अनुसार विद्यालय फीस समिति, विद्यालय की वर्तमान फीस में अधिकतम 8 प्रतिशत की फीस वृद्धि का अनुमोदन कर सकेगी. परन्तु 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जानी है, तो जिला फीस समिति इस पर निर्णय कर फीस का निर्धारण करेगी.

सीतापुर जनपद पंचायत में कृषि प्रणाली के पुनरुद्धार हेतु स्वीकृत राशि

23. (क्र. 2063) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अवधारणा के अंतर्गत जनजाति कृषि प्रणाली पुनरुद्धार के अंतर्गत सीतापुर जनपद पंचायत में 100 से अधिक हितग्राहियों को मोटे अनाज की खेती से जुड़ने के लिए एकीकृत आदिवासी परियोजना के द्वारा 18 लाख से अधिक राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां तो किन-किन कार्यों के लिये कितनी राशि कब स्वीकृत की गई थी तथा इस राशि में हितग्राहियों को क्या-क्या दिया जाना था ? (ख) क्या यह सही है कि इस संबंध में अनियमितता को लेकर शिकायतों की गई है ? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा शिकायतों की गई है व क्या-क्या शिकायतों की गई व उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां, कुल राशि रु. 18.00 लाख की स्वीकृति दी गई है. वर्मीकम्पोस्ट टांका का निर्माण 12'x5'x5' पक्का शेड सहित केंचुआ डालकर जैविक खाद तैयार करने का उपक्रम प्रति कृषक राशि रु. 16000/

के मान से राशि रु. 17.44 लाख एवं कुटकी, रागी, मक्का, सरसों हेतु प्रति कृषक राशि रु. 500/- के मान से राशि रु. 0.545 लाख तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि रु. 0.015 लाख दिनांक 19-05-2020 के द्वारा स्वीकृत की गई थी, तथा इस राशि से हितग्राहियों को वर्मीकम्पोस्ट टांका निर्माण, कुटकी, रागी, मक्का, सरसों दिया जाना था, जिसके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) जी हां. श्रीमती शांती देवी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत सीतापुर, जिला-सरगुजा एवं श्री शैलेश सिंह, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत सीतापुर, जिला-सरगुजा के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतापुर के द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में अपनाई गई प्रक्रिया, नीति निर्देशों के विपरीत होने पर कार्य निरस्तीकरण की मांग तथा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की गई है, शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच हेतु परियोजना प्रशासक के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतापुर को जांच के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतापुर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

किसानों की गिरदावरी में धान के स्थान पर मक्का दर्ज करने के प्रकरण

24. (क्र. 2073) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि गरियाबंद जिले सेंदमुड़ा के किसानों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करते समय कई किसानों के अधिकांश रकबे में मक्का दर्ज कर दिया गया था जबकि उनके द्वारा धान बोया गया था ? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं और कितने किसानों ने अपना धान नहीं बेच पाया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : यह सही नहीं है, कि गरियाबंद जिले में सेंदमुड़ा के किसानों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करते समय कई किसानों के अधिकांश रकबे में मक्का दर्ज कर दिया गया था, वस्तुस्थिति यह है कि गिरदावरी के दौरान स्थल पर पाये गये स्थिति अनुसार बोये गये फसल (धान) दर्ज किया गया है. तहसील कार्यालय देवमोग में ग्राम सेंदमुड़ा एवं अन्य ग्राम से ऐसा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है कि किसान ने अपना धान नहीं बेचा है.

स्कूली बच्चों को निःशुल्क सायकल का प्रदाय

25. (क्र. 2075) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि स्कूली बच्चों का निःशुल्क सायकल प्रदाय की जाती है ? यदि हां, तो विगत वित्तीय वर्ष व इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 10-02-2021 तक कुल कितने छात्र व छात्राओं को सायकल उपलब्ध करायी जानी थी व कितनों को उपलब्ध करायी गयी ? जिन्हें सायकल उपलब्ध नहीं करायी गयी उन्हें सायकल कब तक दी जावेगी ? (ख) क्या यह सही है, कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण (बजट सत्र 2019) में उल्लेख अनुसार जन घोषणा पत्र 2018 को राज्य शासन द्वारा आत्मसात किया गया है ? यदि हां, तो घोषणापत्रानुसार स्कूली छात्रों को निःशुल्क सायकल व निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा कब तक दी जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) केवल कक्षा 9 वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत अनु. जाति/अनु. जन जाति एवं बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को ही निःशुल्क सायकल प्रदान की जाती है. विगत वित्तीय वर्ष (2019-20) व इस वित्तीय वर्ष (2020-21) में दिनांक 10-02-2021 तक कुल 3,37,542 छात्राओं को सायकल उपलब्ध करायी जानी थी व 1,74,652 को उपलब्ध करायी गई. निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) जी हां. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

मुंगेली जिला में संचालित स्कूलों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

26. (क्र. 2083) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिला के अंतर्गत कितने शासकीय प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं ? (ख) कितनी शालाओं में वर्ष 2019-20 से दिनांक 10-02-2021 तक बिजली, शुद्ध पेयजल एवं शौचालयों की सुविधा हैं ? कितनी शालायें सुविधाविहीन हैं, विधानसभा क्षेत्रवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) मुंगेली जिला के अंतर्गत 659 शासकीय प्राथमिक, 272 पूर्व माध्यमिक, 67 हाईस्कूल एवं 63 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं. (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	बिजली युक्त	बिजली विहीन	शुद्ध पेयजल युक्त	शुद्ध पेयजल विहीन	शौचालय युक्त	शौचालय विहीन
1.	मुंगेली	मुंगेली	369	0	369	0	369	0
		पथरिया	60	0	60	0	60	0
2.	लोरमी	लोरमी	393	21	414	0	414	0
3.	बिल्हा	पथरिया	218	0	218	0	218	0
		योग	1040	21	1061	0	1061	0

राज्य शासन द्वारा ऋण माफी और बैंको को किया गया भुगतान

27. (क्र. 2181) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा सत्र 2019-20 तथा 2020-21 में किन-किन बैंकों के कितने-कितने किसानों की कितनी-कितनी राशि का ऋण माफ किया गया ? (ख) क्या जितना ऋण माफ किया गया है उतनी राशि राज्य शासन द्वारा बैंको का प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस बैंक को कितनी राशि ? यदि नहीं, तो किस-किस बैंक की कितनी राशि बकाया है तथा कब तक राशि का भुगतान कर दिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व के लंबित प्रकरण

28. (क्र. 2184) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जमीन का रकबा नामांतरण, बटांकन, सीमा सुधार एवं त्रुटि सुधार के कितने प्रकरण लंबित है, उक्त प्रकरण में ऐसे कितने प्रकरण है जो समय सीमा के पश्चात् भी लंबित है ? लंबित होने के कारण एवं कब तक निराकरण हो जायेगा कृपया बताएं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : उत्तर निम्नानुसार है :-

क्र.	मद का नाम	लंबित प्रकरण		लंबित होने का कारण एवं निराकरण की संभावित अवधि
		समय सीमा के अंदर	समय सीमा के बाहर	
1.	नामांतरण	336	59	समय-सीमा के बाहर के प्रकरणों का निराकरण आवेदक तथा अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य, पुनरीक्षण, दावा/आपत्ति तथा कोविड -19 के प्रभाव के मद्देनजर आवेदकों को रोस्टर पद्धति से आहूत कर सुनवाई करने के कारण प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं हो पाया है. लंबित प्रकरणों का निराकरण 03 माह में कर लिया जावेगा.
2.	बटांकन	0	0	
3.	सीमा सुधार (सीमांकन)	119	11	
4.	त्रुटि सुधार	85	53	
	योग	540	123	

धमतरी विधानसभा के अंतर्गत पट्टा वितरण

29. (क्र. 2185) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा के अंतर्गत राजस्व विभाग के द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कुल कितने हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया गया है ? ग्रामीण क्षेत्र, नगर पालिका निगम क्षेत्र धमतरी एवं नगर पंचायत आमदी का अलग-अलग वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) वर्तमान में कितने पात्र हितग्राही का पट्टा वितरण करना लंबित है, लंबित होने के कारण ? शेष पात्र हितग्राहियों को कब तक वितरण कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) धमतरी विधानसभा के अंतर्गत राजस्व विभाग तहसील धमतरी द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में हितग्राहियों को पट्टा वितरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	वितरित पट्टा का वर्षवार विवरण	
	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण क्षेत्र	19738	-
नगर निगम क्षेत्र	399	-
नगर पंचायत आमदी	587	-

(ख) वर्तमान में हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने हेतु लंबित का विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	वितरित पट्टा का वर्षवार विवरण	
	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण क्षेत्र	-	-
नगर निगम क्षेत्र	100	शासन द्वारा निर्धारित विकास शुल्क की राशि 10/- प्रतिवर्ग फुट हितग्राही द्वारा नहीं पटाने से लंबित है. शेष पात्र हितग्राहियों को राशि जमा करने पर पट्टा वितरण की जावेगी
नगर पंचायत आमदी	-	-

जिला जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ में छ. ग. राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत राशि

30. (क्र. 2188) **श्री नारायण चंदेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? विधानसभावार एवं वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त योजना के तहत क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी लागत से किसकी अनुशंसा से किया गया है ? विधानसभावार एवं वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) क्या उक्त योजना के तहत स्वीकृत किये गये कार्यों को निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत कार्यों को किन कारणों निरस्त किया गया है ? विधानसभा एवं वर्षवार जानकारी देवें ? (घ) क्या जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनारी एवं ग्राम जगमहंत सहित अन्य गांवों में उक्त मद के तहत सामुदायिक भवन/मंगल भवन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इसे निरस्त करने का क्या कारण है ? क्या इस हेतु फिर से राशि स्वीकृत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वर्ष 2019-20 में राशि रु. 254.88 लाख एवं वर्ष 2020-21 में राशि रु. 256.40 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है. विधानसभावार एवं वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ग) जी नहीं. उक्त योजना के तहत स्वीकृत किये गये कार्यों को निरस्त नहीं किया गया है. किन्तु कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के फलस्वरूप स्वीकृत राशि लैप्स हुई है. (घ) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनारी एवं ग्राम जगमहंत में उक्त मद के तहत सामुदायिक भवन/मंगल भवन स्वीकृत किया गया था. कार्य को निरस्त नहीं किया गया था किन्तु राशि के लैप्स होने के कारण कार्य अप्रारंभ है. पुनः स्वीकृति देना या न देना प्राधिकरण पर निर्भर करता है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं रायगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जोड़े गए ग्राम पंचायत

31. (क्र. 2189) **श्री नारायण चंदेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा, कोरबा जिले में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कब-कब किस-किस वर्ष में किसकी अनुशंसा से जोड़ा गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का चयन नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रामों का चयन किया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा निर्देश की कंडिका -8 अनुसार जनगणना 2011 में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में से केवल उन्हीं गांवों को जिनकी आबादी 500 तक होगी उन्हें इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम अनुसूचितजाति की आबादी के घटते क्रम में चयन के लिए पात्र समझा जाएगा। तदनुसार ग्रामों का चयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

जिला बस्तर में संचालित छात्रावास/आश्रम भवनों की मरम्मत व नवीन लघु निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

32. (क्र. 2193) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर में विभागांतर्गत संचालित छात्रावासों व आश्रम भवनों के मरम्मत एवं लघु निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त राशि से जिले की कौन-कौन सी संस्था में क्या-क्या कार्य किये गये, व इसके लिए कितनी राशि खर्च की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	कार्य का प्रकार	प्राप्त राशि (लाखों में)
1.	2019-20	छात्रावास/आश्रम भवनों में मरम्मत एवं लघु निर्माण कार्य	267.24
2.	2020-21	छात्रावास/आश्रम भवनों में मरम्मत एवं लघु निर्माण कार्य	390.19
योग			657.43

(ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में दर्शित है।

छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम में पदाधिकारियों की नियुक्ति

33. (क्र. 2196) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम में किन-किन पदाधिकारी (अध्यक्ष एवं सदस्य)की नियुक्ति शासन द्वारा किन-किन पदों में की गई, किस आदेश के तहत ? (ख) क्या छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम में सदस्य का पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो किस नियम/आदेश के तहत ? (ग) कंडिका “ख” के तहत किन-किन को सदस्य के लिए नियुक्ति आदेश कब-कब जारी किए गए ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 में छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम में अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति का कोई आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किया गया। वर्ष 2020-21 में छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम में छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-6-19/2020/20-3 रायपुर, दिनांक 19-07-2020 के द्वारा श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिला बलौदाबाजार को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है तथा छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-6-19/2020/20-3, रायपुर दिनांक 19-07-2020 के द्वारा श्री नितिन सिन्हा, जिला-रायपुर को सदस्य, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। (ख) छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-122004/20 रायपुर, दिनांक 05-08-2004 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम का गठन किया गया है, जिसको छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-12/2004/20, दिनांक 09-11-2004 एवं छ. ग. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-12/2004/20, दिनांक 11-03-2005 के माध्यम से संशोधित किया गया है। उक्त आदेश के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट की उपविधियों के अनुसार छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की साधारण सभा में पदेन और नामांकित सदस्यों को प्रावधान है, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। उत्तर (ग) छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम में निम्नानुसार सदस्यों की नियुक्ति की गई है :-

क्र. (1)	सदस्य का नाम (2)	नियुक्ति आदेश दिनांक (3)
1.	श्री सुरेन्द्र गुब्बर, जिला-बिलासपुर	दिनांक 09-11-2004
2.	श्री डी. डी. शुक्ला, जिला-रायपुर	दिनांक 09-11-2004
3.	श्री आर. डी. सिंह, जिला-बिलासपुर	दिनांक 22-01-2008
4.	श्री भास्कर राव येरपुड़े, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
5.	श्री भरत मानिकपुरी, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
6.	श्री दिलीप केशरवानी, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
7.	श्री हेमन्त माहुलीकर, जिला-कोरबा	दिनांक 22-01-2008
8.	श्री एस. एस. राज, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
9.	श्री व्यास नारायण शर्मा, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
10.	श्री आर. कृष्णा दास, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
11.	श्री आत्मबोध अग्रवाल, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
12.	श्री संजीव रूंगटा, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
13.	सुश्री सुलभा देशपाण्डे, जिला-बिलासपुर	दिनांक 22-01-2008
14.	सुश्री शशि परगनिहा, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
15.	श्री आर. एल. मतपहरी, जिला-धमतरी	दिनांक 22-01-2008
16.	श्री राजेन्द्र शर्मा, जिला-धमतरी	दिनांक 22-01-2008
17.	श्री राजकुमार तांती, जिला-तिल्दा	दिनांक 22-01-2008
18.	श्री आई. आर. खुटे, जिला-जगदलपुर	दिनांक 22-01-2008
19.	श्री बबन प्रसाद मिश्र, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
20.	डॉ. सोनिया परियल, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
21.	डॉ. किरण अग्रवाल, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
22.	डॉ. करुणा पल्टा, जिला-रायपुर	दिनांक 22-01-2008
23.	श्री आसिफ, चरोदा	दिनांक 22-01-2008
24.	श्री प्रवीण भाई मसैरी, जिला-रायपुर	दिनांक 27-08-2011
25.	श्री मनोज दुबे, जिला-बिलासपुर	दिनांक 27-08-2011
26.	श्री दिलीप शुक्ला, जिला-दुर्ग	दिनांक 05-05-2016
27.	श्री राजेश शर्मा, जिला-रायगढ़	दिनांक 05-05-2016
28.	श्री नितिन सिन्हा, जिला-रायपुर	दिनांक 19-07-2020

रेटो-ग्लो साईन बोर्ड/ग्रीन बोर्ड के देयकों का भुगतान

34. (क्र. 2197) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा स्कूलों के लिए रेटो-ग्लो साईन बोर्ड एवं ग्रीन बोर्ड तैयार कराया गया ? यदि हां तो फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2021 तक जारी कार्य आदेश एवं भुगतान राशि का ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के कार्यदेश का अनुमोदन कब-कब, किसके द्वारा किया गया अधिकारी का नाम, पदनाम सहित बतावें ? (ग) कंडिका “क” के मद में देयक भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी कौन है, क्या संयुक्त हस्ताक्षर से देयक का भुगतान किया गया ? यदि हां तो ब्यौरा दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2021 तक जारी कार्य आदेश एवं भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	फर्म को जारी किये गये आदेश क्रमांक/दिनांक (2)	फर्म को भुगतान की गई राशि का विवरण (3)
1.	143/08-02-2018	1252800.00

(1)	(2)	(3)
2.	144/08-02-2018	3373150.00
3.	157A/19-03-2018	396719.00
4.	875/11-05-2018	2843392.00
5.	1145/23-05-2018	328417.00
6.	1756/18-06-2018	4775185.00
7.	1758/18-06-2018	3695371.00
8.	2095/11-07-2018	2192400.00
9.	2093/11-07-2018	2093512.00
10.	2911/26-09-2018	2312248.00
11.	2911/26-09-2018	380160.00
12.	2972/04-10-2018	380160.00
13.	2993/05-10-2018	547200.00
14.	8742/06-03-2019	10570800.00
15.	2413/27-09-2019	5694138.00
16.	3191/15-11-2019	15010537.00
Total-		6,55,48,598.00

(ख) छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा फर्म को जारी किये गये कार्यादेश का अनुमोदन कब-कब, किसके द्वारा किया गया है, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	फर्म को जारी किये गये आदेश क्रमांक/दिनांक (2)	नस्ती में कार्यादेश का अनुमोदन दिनांक (3)	कार्यादेश अनुमोदनकर्ता का नाम एवं पदनाम (4)
1.	143/08-02-2018	08-02-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
2.	144/08-02-2018	08-02-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
3.	157A/19-03-2018	19-03-2018	डॉ. संजय अलंग, प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
4.	875/11-05-2018	11-05-2018	डॉ. संजय अलंग, प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
5.	1145/23-05-2018	22-05-2018	डॉ. संजय अलंग, प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
6.	1756/18-06-2018	14-06-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
7.	1758/18-06-2018	14-06-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
8.	2095/11-07-2018	07-07-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
9.	2093/11-07-2018	11-07-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
10.	2911/26-09-2018	24-09-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
11.	2911/26-09-2018	26-09-2018	श्री देवजी माई पटेल अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	2972/04-10-2018	04-10-2018	डॉ. संजय अलंग, प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
13.	2993/05-10-2018	03-10-2018	डॉ. संजय अलंग, प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
14.	8742/06-03-2019	06-03-2019	श्री देवजी माई पटेल, अध्यक्ष, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
15.	2413/27-09-2019	27-09-2019	श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम
16.	3191/15-11-2019	15-11-2019	श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम

(ग) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में देयक भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम है। जी हां, सभी देयकों का संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया गया है। जिसमें से 14 देयकों का भुगतान महाप्रबंधक एवं प्रबंध संचालक के संयुक्त हस्ताक्षर से एवं 02 देयकों का भुगतान वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं प्रबंध संचालक के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया गया है।

जिला जांजगीर-चांपा में भारी बरसात से मकान, फसल क्षति का मुआवजा

35. (क्र. 2201) **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 में दिनांक 27-08-2020 से 29-08-2020 तक भारी बरसात के कारण जैजैपुर, बम्हनीडीह एवं मालखरौदा तहसील में कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए थे ? (ख) बरसात के कारण किस-किस गांव में घर क्षति, फसल क्षति का मुआवजा 6/4 के तहत प्रदान किया गया एवं कितने प्रकरण लंबित है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में भारी बरसात के कारण तहसील जैजैपुर, बम्हनीडीह तथा मालखरौदा के प्रभावित गांवों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाये अनुसार है। (ख) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत मकान क्षति हेतु जिन गांवों में अनुदान सहायता प्रदान की गई है, जिसका विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाये अनुसार है। फसल क्षति नहीं हुई है तथा कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लानिंग

36. (क्र. 2204) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2020-21 के 15 फरवरी, 2021 तक कृषि भूमि को अवैध प्लानिंग करने के कितने मामले दर्ज किये गये ? विकासखंडवार जानकारी बतावे ? (ख) प्रश्नांश “क” में कितने के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? तथा कितने कार्यवाही हेतु शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंबागढ़ चौकी एवं छुरिया निवेश क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लानिंग में दर्ज किये गये मामले दिनांक 15-02-2021 तक की जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
1.	अंबागढ़ चौकी-निरंक	11 विक्रेता व 04 क्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है।
2.	छुरिया-निरंक	निरंक

(ख) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंबागढ़ चौकी में 11 विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया। जवाब में केवल 01 से असंतोषप्रद जवाब प्राप्त हुआ है। शेष 10 के द्वारा जवाब अप्राप्त है तथा पृथक से 04 (क्रेताओं) को अवैध रूप से किये गये विकास के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। जवाब अप्राप्त है।

स्कूलों में सोयाबड़ी व अन्य सामग्री का प्रदाय

37. (क्र. 2209) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत स्कूलों में सोयाबड़ी व अन्य सामग्री प्रदाय किया गया है ? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में क्या-क्या सामग्री किस-किस दर पर किस-किस संस्था/फर्म के द्वारा प्रदाय किया गया है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार सामग्री प्रदायित सोयाबड़ी की दर व गुणवत्ता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. 1. चावल रु. 4.32 प्रति किलो (परिवहन दर सहित) छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदाय किया गया है. 2. सोयाबड़ी 105.28 प्रति किलो (जी.एस.टी. सहित) की दर से छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा प्रदाय किया गया है. 3. दाल, तेल, आचार एवं नमक को समेकित रूप से प्राथमिक शाला में प्रति छात्र प्रति दिवस हेतु रु. 4.14 तथा पूर्व माध्यमिक शाला में प्रति छात्र प्रति दिवस हेतु रु. 5.87 प्रदाय किया गया है. सामग्री का क्रय संचालनकर्ता समूहों द्वारा खुले बाजार से किया गया है. (ख) जी हां. विकासखण्ड मस्तूरी अंतर्गत प्रदायित सोयाबड़ी में से 143 किलोग्राम सोयाबड़ी खराब पायी गयी थी एवं विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत 5492 कि. ग्रा. खराब सोयाबड़ी प्राप्त हुआ था. खराब सोयाबड़ी के संबंध में तत्काल आपूर्तिकर्ता फर्म को सूचना दी गई. उक्त खराब सोयाबड़ी बदलकर संबंधित शाला को गुणवत्तायुक्त सोयाबड़ी प्रदाय कर दिया गया.

पामगढ़ तहसील अंतर्गत मकान/फसल क्षति का मुआवजा भुगतान

38. (क्र. 2218) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले की पामगढ़ तहसील अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 18-02-2021 तक मकान क्षति व फसल क्षति के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने लोगों को मकान क्षति व फसल क्षति का मुआवजा भुगतान किया गया है ? कितने लोगों को मुआवजा भुगतान करना बाकी है, शेष रहने का क्या कारण है, कब तक भुगतान किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में जांजगीर-चांपा जिले की पामगढ़ तहसील के 67 ग्रामों में कुल 1704 मकान क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है. फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. मकान क्षति के सभी प्रकरणों में मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है. कोई प्रकरण शेष नहीं है. शेष रहने का कारण बताने का प्रश्न ही नहीं है.

जांजगीर-चांपा जिला के छात्रावास/आश्रम हेतु भवन निर्माण

39. (क्र. 2219) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कितने छात्रावास/आश्रम संचालित है ? कितने शासकीय भवनों व कितने किराये के भवन में संचालित है ? (ख) कितने छात्रावास/आश्रमों में भवन निर्माण चल रहा है ? ब्लॉकवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 90 छात्रावास एवं 18 आश्रम संचालित है. 84 छात्रावास एवं 18 आश्रम स्वयं के भवन एवं अन्य शासकीय भवन में संचालित हैं तथा 06 छात्रावास किराये के भवन में संचालित है. (ख) 06 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, आश्रम भवन निर्माणाधीन नहीं है. ब्लॉकवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

फर्जी दस्तावेज तैयार कर धान बेचे जाने की शिकायतों पर कार्यवाही

40. (क्र. 2224) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में फर्जी दस्तावेज तैयार करके व किसानों की जानकारी के बिना धान बेचने की कितनी शिकायतें इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) क्या यह सही है कि सूरजपुर जिले के बसदेई सहकारी समिति व आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सूरजपुर में किसान की जानकारी के बिना व फर्जी दस्तावेज तैयार कर धान बेचे जाने की शिकायत/जानकारी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो दोषी कौन है व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में फर्जी दस्तावेज तैयार करके व किसानों की जानकारी के बिना धान बेचने की शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है, वरन सूरजपुर जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सूरजपुर के संबंध में

दैनिक समाचार पत्र आज की जनधारा में “फ़र्जी दस्तावेज तैयार कर आदिवासी किसान के नाम से बेचा 837 क्विंटल धान” शीर्ष से प्रकाशित समाचार के संबंध में तहसीलदार सूरजपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के माध्यम से कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला-सूरजपुर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला-सूरजपुर में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) सूरजपुर जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, बसदेई में किसान की जानकारी के बिना व फ़र्जी दस्तावेज तैयार कर धान बेचे जाने संबंधी शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सूरजपुर में अनियमितता किये जाने की प्रकाशित समाचार की जांच पर, कार्यवाही कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला-सूरजपुर में प्रक्रियाधीन है.

जिला बिलासपुर में भूमि सीमांकन के प्राप्त आवेदन

41. (क. 2225) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत 01 जनवरी 2019 से दिनांक 10-2-2021 तक कुल कितने आवेदन भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त हुए ? वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों पर सीमांकन किया गया और कितना आवेदन लंबित है. लंबित होने का कारण क्या है व लंबित आवेदनों का निराकरण कब-तक किया जावेगा ? वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बिलासपुर जिला अन्तर्गत 01 जनवरी 2019 से 10 फरवरी 2021 तक कुल 4716 सीमांकन के आवेदन प्राप्त हुए. वर्षवार एवं तहसीलवार जिले की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	01-01-2019 से 30-09-2020 तक दर्ज प्रकरण	01-10-2020 से 10-02-2021 तक दर्ज प्रकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिलासपुर	698	405
2.	बिल्हा	538	337
3.	मस्तूरी	394	349
4.	तखतपुर	840	556
5.	कोटा	62	43
6.	बेलगहना	28	16
7.	रतनपुर	152	98
8.	सकरी	80	120
योग		2792	1924

(ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	01-01-2019 से 30-09-2020		01-10-2020 से 10-02-2021		लंबित होने का कारण	लंबित आवेदनों का निराकरण
		निराकृत	लंबित	निराकृत	लंबित		
1.	बिलासपुर	552	148	205	198	कोविड-19	जिन्हें निर्धारित
2.	बिल्हा	538	00	250	87	महामारी के कारण	समयावधि में
3.	मस्तूरी	394	00	254	95	702 प्रकरण जिले	निराकृत कर
4.	तखतपुर	840	00	415	141	में लंबित है.	लिया जावेगा.
5.	कोटा	62	00	38	05		
6.	बेलगहना	28	00	13	03		
7.	रतनपुर	152	00	45	53		
8.	सकरी	80	00	00	120		
योग		2646	148	1220	702		

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत T और E संवर्ग में पदोन्नति के पद

42. (क्र. 2233) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत T और E संवर्ग में पदोन्नति हेतु प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, शिक्षक, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, व्याख्याता एवं प्राचार्य के प्रदेश में कुल कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत T और E संवर्ग के पदोन्नति हेतु रिक्त पद निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पद का नाम	पदोन्नति के रिक्त पद	
		ई संवर्ग	टी संवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला	9605	10842
2.	प्रधान पाठक माध्यमिक शाला	3875	2284
3.	शिक्षक	3049	3626
4.	व्याख्याता	2046	2350
5.	प्राचार्य	1216	1181

रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रियाधीन है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला कोरिया में प्राकृतिक आपदा से मृत एवं घायल व्यक्तियों को मुआवजा प्रदाय

43. (क्र. 2234) डॉ. विनय जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राकृतिक आपदा के तहत मृत एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है ? प्राकृतिक आपदाओं की विभिन्न श्रेणी सहित मुआवजा राशि की अलग-अलग जानकारी प्रदान करें ? (ख) कोरिया जिले में 2019-20, 2020-21 में दिनांक 10-02-21 तक किस-किस तहसील में कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिक विपत्तियों के कारण एवं गड्ढे में गिरने से मृत्यु होने पर, सर्प, बिच्छू, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने, नदी, तालाब, बांध, कुआ, नहर, नाला में डूबने से, नाव दुर्घटना एवं रसोई गैस का सिलेण्डर फटने, खदान धसकने, लू, तथा आग से जलने के कारण मृत्यु होने पर रुपये 4.00 लाख देने का प्रावधान है. बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों में सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर रुपये 2.00 लाख देने का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, तूफान, भूकम्प, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भू-स्खलन के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग की स्थाई रूप से हानि होती है, जैसे हाथ, पैर, या दोनों आंखों की हानि 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक अक्षमता होने पर रुपये 59,100/-, 60 प्रतिशत से अधिक अक्षमता होने पर रुपये 2.00 लाख, गंभीर शारीरिक क्षति होने के कारण तथा 1 सप्ताह तक या उससे अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर रुपये 12,700/- तथा 1 सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर रुपये 4,300/- देने का प्रावधान है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कोरिया जिले में दी गई अनुदान सहायता की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

तहसील	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (10-02-2021 तक)	
	संख्या	अनुदान राशि (लाख रुपयों में)	संख्या	अनुदान राशि (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैकुण्ठपुर	05	20.00	18	72.00
सोनहत	21	79.00	11	41.50
मनेन्द्रगढ़	22	88.00	25	100.00
खड़गवा	17	63.00	26	101.50
भरतपुर	16	64.00	12	48.00
योग	81	314.00	92	363.00

जिला जशपुर, ग्राम कुनकुरी में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा

44. (क्र. 2241) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम कुनकुरी थाना जिला-जशपुर में कास्टकारी भूमि खसरा नं. 262, रकबा 0.372 के टुकड़ों को अधिग्रहित किया गया है ? यदि हां तो कब-कब, किस-किस विभाग के लिए ? उक्त जमीन पर क्या-क्या शासकीय निर्माण हुआ है ? (ख) क्या उक्त जमीन के भू स्वामियों को मुआवजा दिया है ? यदि हां तो कब ? नहीं तो क्यों ? (ग) क्या कंडिका "क" के विषय में अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी में कोई प्रतिवेदन/ज्ञापन/जांच रिपोर्ट दिया था ? यदि हां तो कब व किस-किस को ? व उनकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता. खसरा नं. 262 रकबा 0.372 हे. के रकबा 0.040 हे. पर सड़क, रकबा 0.040 हे. पर सड़क रकबा 0.040 हे. पर शिव मंदिर, रकबा 0.263 हे. पर पुलिस थाना परिसर एवं बैरक, स्टाफ क्वार्टर निर्मित है. इसी खाते का टुकड़ा रकबा 0.029 हे. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयन कार्य हेतु अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित है. (ख) उक्त भूमि के भू-स्वामियों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है. खसरा नं. 262 में से रकबा 0.029 हे. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयन कार्य हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है. शेष संबंधित विभागों से भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही नहीं हुई है. (ग) थाना कुनकुरी के पत्र क्रमांक 600/2020 दिनांक 23-01-2020 के द्वारा थाना परिसर कुनकुरी का सीमांकन हल्का पटवारी से कराते हुए सीमांकन रिपोर्ट पंचनामा एवं खसरा पंचशाला, बी-1 प्रदाय करने हेतु लिखे जाने पर थाना प्रभारी कुनकुरी को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुनकुरी ने अपने पत्र क्रमांक 193/वाचक/2020 दिनांक 16-03-2020 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है. इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुनकुरी के पत्र क्रमांक 03/वाचक/2021 दिनांक 08-01-2021 के द्वारा पुलिस अधीक्षक जशपुर को तत्संबंध में अवगत कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है.

ग्राम बेवरा, तहसील नवागढ़ में शासकीय जमीन को निजी नामों में दर्ज करने की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

45. (क्र. 2242) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम बेवरा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा में शासकीय भूमि को लोगों के नाम पर दर्ज कर ऋण पुस्तिका बनाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कब क्या जांच कराई गई है ? (ख) जांच कब कराई गई ? जांच के क्या बिंदु थे ? जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई ? और किस-किस को दोषी पाया गया ? क्या कार्यवाही कब की गई ? (ग) क्या शासकीय भूमि को लोगों के नाम पर दर्ज करने सक्षम अधिकारी से भी अनुमति ली गई ? यदि हां तो किस-किस से, कब-कब ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम बेवरा, तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा शिकायतकर्ता श्री मनोहर सोनी ग्राम बेवरा द्वारा शासकीय भूमि को सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश अथवा वैध दस्तावेज के बिना भू-स्वामी हक में दर्ज करने बाबत शिकायत आवेदन पेश किया गया था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़ द्वारा राजस्व निरीक्षक संबलपुर से जांच कराया गया राजस्व निरीक्षक संबलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बेवरा के घास (चराई) मद में दर्ज भूमि जो वर्ष 2005 से 2010 में घास (चराई) मद में दर्ज है. वर्तमान में कम्यूटरीकृत अभिलेख में कतिपय व्यक्तियों के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज होना पाया गया है. उक्त संबंध में खसरा नंबर 864, 864/1, 864/3, 864/2 घास (चराई) मद से भूमि स्वामी हक में दर्ज होना पाया गया. (ख) उक्त संबंध में दिनांक 17-11-2020 को राजस्व निरीक्षक संबलपुर से जांच कराया गया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जांच किया गया. उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक संबलपुर द्वारा दिनांक 17-11-2020 को जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. उक्त संबंध में प्रकरण दर्ज कर संबंधित पक्षकारों को आहूत होने हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है जिसमें पक्षकारों को उक्त भूमि उनके नाम में किस प्रकार से आई है के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है. संबंधितों से जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् कार्यवाही का स्वरूप निर्धारित कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. (ग) जी नहीं. शासकीय भूमि पर सीधे लोगों के नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान भू-राजस्व संहिता, राजस्व पुस्तक परिपत्र अथवा अन्य सुसंगत अधिनियमों (सिलिंग आदि) में प्रावधानित नहीं है.

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण एवं विकास उपकर की प्राप्त एवं व्यय राशि

46. (क्र. 2245) श्री चंदन कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नारायणपुर, बस्तर एवं कोण्डागांव में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10-02-2021 तक खनिज विभाग में पर्यावरण उपकर और विकास उपकर की प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) उपरोक्त राशि को किस-किस कार्य हेतु कब-कब, कहाँ-कहाँ पर खर्च किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर में प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	जिला का नाम	अधोसंरचना विकास उपकर (राशि रुपये में)	पर्यावरण उपकर (राशि रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2019-20	नारायणपुर	6752	6752
		बस्तर	411544	411544
		कोण्डागांव	निरंक	निरंक
2.	2020-21 (10-02-2021 तक)	नारायणपुर	35440	35440
		बस्तर	467519	467519
		कोण्डागांव	2812.50	2812.50

(ख) उक्त राशि को प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में अनुश्रवण समिति की अनुशंसा के पश्चात् शासी निकाय की अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जाता है.

विकासखण्ड डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ में नवीन धान उपाजर्जन एवं खरीदी केन्द्र की स्थापना

47. (क्र. 2250) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2020 में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखंड में कितने नवीन धान उपाजर्जन/खरीदी केंद्र शुरू किये गये हैं ? (ख) यदि हां तो उक्त केन्द्रों में कितने कर्मचारियों की भर्ती किस आधार पर की गयी है ? केंद्र के प्रारंभ करने हेतु कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गयी है ? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2020 में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखंड में नवीन धान उपाजर्जन/खरीदी केंद्रों की जानकारी निम्नानुसार है :-

विकासखण्ड का नाम	नवीन धान उपाजर्जन केन्द्रों का नाम
डोंगरगांव	किरगी, कोहका, सोनसरार
डोंगरगढ़	रेंगाकटेरा, छीपा, रामटोला, मुढ़पार

(ख) उक्त धान खरीदी केंद्रों में कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गयी है. शेष प्रश्नांश की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

चारभाटा तथा रामटोला सोसायटी में धान बीमा से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

48. (क्र. 2251) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उपपंजीयक सहकारिता राजनांदगांव के अंतर्गत चारभाटा एवं रामटोला सोसायटी में धान बीमा से संबंधित किसानों को दोहरा लाभ देने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो किस स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव अंतर्गत मडियान समिति से पृथक होकर चारभाटा नवीन समिति का निर्माण हुआ है. अतः पूर्व समिति मडियान के संबंध में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही का

विवरण निम्नानुसार है :-

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मडियान में खरीफ वर्ष 2019-20 में फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई, जिसमें संस्था के कम्प्यूटर ऑपरेटर क्रमशः श्री पुनीत कुमार देवांगन के द्वारा 09 कृषकों की राशि रुपये 310361.15 एवं श्री शारदा प्रसाद कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा 04 किसानों की राशि रुपये 56105.47 कुल 13 किसानों की राशि रुपये 366466.62 दोहरी प्रविष्टि करना पाया गया, जिसकी राशि दोनों आपरेटरों द्वारा समिति के बचत खाते में जमा कर दी गयी. मडियान समिति के बोर्ड द्वारा दोनों कम्प्यूटर ऑपरेटरों की मानवीय मूल मानते हुए चेतावनी दी गयी है.

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि का प्रदाय

49. (क्र. 2252) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति का प्रावधान है ? (ख) यदि हां, तो वर्ष 2019 से 10-02-21 तक राजनांदगांव जिले के कितने निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि जारी की गई है और कितने विद्यालय शेष हैं ? विकासखंडवार, वर्षवार दें ?


आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. (ख) विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखण्ड	वर्षवार विद्यालयों की संख्या			
		2019-20		01-04-2020 से 10-02-2021 तक	
(1)	(2)	विद्यालयों की संख्या जिन्हें प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की गई	विद्यालयों की संख्या जिन्हें प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना शेष है	विद्यालयों की संख्या जिन्हें प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की गई	विद्यालयों की संख्या जिन्हें प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना शेष है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चौकी	17	2	15	4
2.	छुरिया	15	3	17	1
3.	छुईखदान	33	6	35	4
4.	डोंगरगांव	20	4	11	13
5.	डोंगरगढ़	30	11	35	6
6.	खैरागढ़	33	9	31	11
7.	मानपुर	10	2	10	2
8.	मोहला	6	4	8	2
9.	राजनांदगांव	71	35	89	17
योग		235	76	251	60

बजट सत्र

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 2222) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2020-21 में आबंटित, खर्च एवं शेष राशि की जानकारी

क्रमांक	मद का नाम	आबंटित राशि (रूपये)	व्यय राशि (रूपये)	शेष राशि (रूपये)
1	2	3	4	5
1	अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण निधी मद- निधी			
	लैब इक्युपमेंट एवं कक्ष रिनोवेशन कार्य	800000.00	0.00	800000.00
	पुस्तके	300000.00	0.00	300000.00
	स्टाफ शौचालय	500000.00	0.00	500000.00
	खेल सामग्री	500000.00	0.00	500000.00
	बच्चों हेतु फर्नीचर	1000000.00	1000000.00	0.00
	मेजर रिपेयर्स एवं मैटनेंस कार्य	2000000.00	0.00	2000000.00
	इंटरनेट कनेक्शन	250000.00	0.00	250000.00
	अन्य मद-विद्यालय उपयोग हेतु	3750000.00	1705904.00	2044096.00
	कुल	9100000.00	2705904.00	6394096.00
2	जिला खनिज न्यास मद-शाला जीर्णोधार व शाला प्रबंधन एवं संचालन मद			
	डिजिटल टिचिंग डिवाइस	2700000.00	2625000.00	75000.00
	सब्जेक्ट कंटेंट	180000.00	0.00	180000.00
	स्टुडेंट फर्नीचर	3632900.00	3583269.00	49631.00
	प्राचार्य कक्ष फर्नीचर	500000.00	0.00	500000.00
	सीसी टीवी	200000.00	160000.00	40000.00
	कम्प्युटर लैब	1000000.00	1000000.00	0.00
	हैंड सेनेटाइजर लैब	19000.00	17400.00	1600.00
	इंग्लिस लैंग्वेज लैब	336500.00	268000.00	68500.00
	आफिस प्रबंधन मद - रिनोवेशन	500000.00	500000.00	0.00
	भवन जीर्णोधार व निर्माण कार्य	9760000.00	2100000.00	7660000.00
	कुल	23328400.00	14753669.00	8574731.00
3	वेतन अनुदान	8332100.00	6872489.00	1459611.00
4	अन्य अनुदान	100000.00	0.00	100000.00
	महायोग	40860500.00	24332062.00	16528438.00

अर्थ प्लानिंग में
प्रभावित भूमि

केदार पिता धनीराम, हरिशचन्द्र आलमचंद	3088 / 2	1.303
मनीष पिता नानक सिंह	3088 / 3	0.004
अञ्जना सिंह पति चन्द्रशेखर सिंह	3088 / 4	0.405
अञ्जना सिंह पति चन्द्रशेखर सिंह	3088 / 5	0.809
विजय कुमार पिता मनोहर लाल	3243 / 4	0.182
कौशिल्या पति दयाराम	3301	0.032
गणेश राम वगैरह	3305	0.069
नम्रता पाण्डेय पिता पदमा	3306 / 1 / क	0.022
प्रफुल पाण्डेय पिता जयनारायण	3306 / 1 / ख	0.022
अवधेश कुमार पिता चंद्रिका	3307 / 1	0.255
अशोक अजय पिता हरनारायण	3306 / 8	0.010
परमेश्वर	3307 / 2-17 / 2	0.014
रामसिंह पिता मोहनलाल वगैरह	3315 / 1	0.053
राकेश कुमार पिता नरेन्द्र	3315 / 2	0.049
जगदीश पिता तिर्थ राम	3316	0.089
भागवत पिता ना.मा.	3361 / 1	0.315
राकेश कुमार पिता रामपाल गुप्ता	3361 / 2	0.091
रामनारायण पिता छोटेलाल	3362 / 1	0.008
भागवत पिता धनीलाल राठीर	3362 / 2	0.068
विवेन्द्र कुमार पिता होरिल प्रसाद	3362 / 4	0.020
रामप्रसाद पिता दयाराम	3362 / 5	0.348
ना.बा. अयज कुमार पिता रामकुमार	3362 / 6-336 4 / 3	0.032
लक्ष्मीप्रसाद पिता लखनदास वगैरह	3362 / 7	0.016
उषाबाई पति कृष्ण कुमार वगैरह	3362 / 8	0.020
भयुखर पिता कन्हैयालाल वगैरह	3362 / 9	0.067
राकेश कुमार पिता रामपाल गुप्ता	3362 / 10	0.006
राकेश कुमार पिता रामपाल गुप्ता	3362 / 11	0.009
राकेश कुमार पिता रामपाल गुप्ता	3362 / 12	0.020
त्रिलोक चंद पिता रामकुमार	3362 / 13	0.020
त्रिलोक चंद पिता रामकुमार	3362 / 14	0.020
राकेश कुमार पिता रामपाल गुप्ता	3362 / 15	0.024
जगदीश प्रसाद पिता बनारसी लाल	3362 / 16	0.008
रामलाल पिता छोटेलाल	3362 / 17	0.032
रामकिंकर पिता इतवारी राम	3362 / 18	0.032
विष्णु कुमार शरद कुमार पी. मातादीन	3362 / 19	0.042
अजय पिता बालकराम	3362 / 20	0.042
सुरज प्रसाद पिता राम प्रसाद	3362 / 21	0.016
रमेश कुमार पिता भागीरथी	3362 / 23	0.024
सुरज प्रसाद पिता राम प्रसाद	3362 / 24	0.008
हेमलता पिता सुशील कुमार	3362 / 26	0.016
हेमलता पिता सुशील कुमार	3362 / 27	0.045
छोटेलाल पिता सहसराम	3362 / 28	0.018
राजकुमार पति कोमल प्रसाद	3362 / 29	0.034
राजकुमार पति कोमल प्रसाद	3362 / 30	0.008
प्रकाश अग्रवाल पिता नवल किशोर	3362 / 33	0.004

05 / 12 / 2020

202012060300
006 / ब-121
/ 2020-21दिनांक 05.
12.2020
10.12.2020
15.12.2020
24.12.2020.डामरीकृत सड़क
निर्माण में प्रभावित
भूमि

जांजगीर

3

जांजगीर

10

विकास
पालीवाल एवं
अन्य साकिन
जांजगीर,

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1733) के भाग (क) की जानकारी]

सरगुजा संभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों की जिलेवार जानकारी

क्र.	सोसाइटी का प्रकार	सरगुजा संभाग	जिला का नाम					योग
			सरगुजा	बलरामपुर	सूरजपुर	कोरिया	जशपुर	
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	1	0	0	0	0	0	1
2	जिला सहकारी संघ	1	0	0	0	1	0	2
3	जिला लघु वनोपज सहकारी संघ	0	1	1	1	2	1	6
4	जिला अत्यावसायी सहकारी समितियां	0	1	1	1	1	1	5
5	जिला सह. थोक उपभोक्ता भण्डार	0	1	0	0	1		2
6	जिला वृक्ष सहकारी संघ	0	1	0	0	0	0	1
7	सहकारी शक्कर कारखाना	2	0	0	0	0	0	2
8	नागरिक सहकारी बैंक	1	0	0	0	0	0	1
9	संभाग स्तरीय प्राथ. सह. समितियां	2	0	0	0	0	0	2
11	प्राथ. कृषि साख सह. समिति(लेम्पस)	0	39	37	47	30	24	177
12	प्राथ. गैर कृषि साख सह. समितियां	0	6	0	1	5	3	15
13	प्राथ. खाद्य सु.पो एवं उप.सह. समि.	0	357	287	370	169	2	1185
14	प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार	0	11	6	8	13	6	44
17	प्राथ. गृह निर्माण सह. समितियां	0	5	0	0	1	0	6
18	प्राथ. लघुवनोपज सह. समितियां	0	14	45	31	34	24	148
19	प्राथ. बुनकर सहकारी समितियां	0	10	7	7	0	2	26
20	प्राथ. दुग्ध सहकारी समितियां	0	18	18	18	34	24	112
21	प्राथ. मत्स्य सहकारी समितियां	0	30	23	18	30	28	129
22	प्राथ. वृक्ष सहकारी समितियां	0	10	24	12	12	12	70
23	प्राथ. बीज उत्पादक, बीज भण्डार सहकारी	0	0	0	0	5	0	5
24	प्राथ. विप. एवं प्रक्रिया सह. समि.	0	5	5	4	4	3	21
25	प्राथ. फल फल सब्जी उत्पा. एवं विप. सह.	0	8	3	4	2	20	37
26	प्राथ. बहुउद्देशीय सहकारी समितियां	0	35	20	26	18	43	142
27	प्राथ. सामूहिक कृषि सहकारी समिति	0	0	0	0	3	0	3
28	प्राथ. औद्योगि. सहकारी समितियां	0	0	2	7	9	5	23
29	प्राथ. खनिज सहकारी समिति	0	16	13	20	23	27	99
30	प्राथ. यातायात सहकारी समितियां	0	4	1	3	1	3	12
31	प्राथ. श्रमिक सहकारी समितियां	0	6	0	11	10	2	29
32	प्राथ. सहकारी मुद्राणालय	0	2	0	0	1	0	3
34	प्राथ. आबकारी सहकारी समितियां	0	6	1	5	4	2	18
36	प्राथ. कुक्कुट पालन सहकारी समितियां	0	1	0	1	0	0	2
37	प्राथ. सेवा क्षेत्र/अन्य सहकारी समितियां	0	38	0	1	2	0	41
योग		7	625	494	596	415	232	2369

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1770) के भाग (ख) की जानकारी]

फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

स.क	विभाग का नाम	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पद	वर्ग	जाति	कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1	लोक निर्माण विभाग	श्री राकेश कुमार वर्मा	कार्यपालन अभियंता	अजजा	कोरवा	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2008 के पश्चात् श्री राकेश कुमार वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटीशन (एस) क्रमांक 2061/2009 दायर की गई। उक्त याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2016 को आदेश पारित करते हुए श्री राकेश कुमार वर्मा को जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के दिनांक 10.11.2008 के पूर्व जाति के आधार पर प्राप्त होने वाली सभी लाभ का हकदार माना गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा श्री राकेश कुमार वर्मा को पदोन्नति प्रदान की गई तथा "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2016 के परिपालन में जारी किये जा रहे आदेश भविष्य के लिये दृष्टांत नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
2	लोक निर्माण विभाग	श्री संजय जेम्स	उप अभियंता	अजजा	गोड़	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.सी. 3067/2019 में दिनांक 05.09.2019 को पारित आदेश द्वारा आगामी सुनवाई की तिथि तक स्थगन दिया गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 08.11.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।
3	जल संसाधन विभाग	श्रीमती संध्यारानी सिंह	सहा. ग्रेड-3	अजजा	उरांव	विभाग द्वारा दिनांक 01.03.2000 को श्रीमती संध्यारानी की सेवा समाप्ति की गई है।
4	जल संसाधन विभाग	श्री रूपराम	उपयंत्री	अजजा	बैगा	छानबीन समिति में प्रकरण की जांच के दौरान श्री रूपराम का आकस्मिक निधन दिनांक 26.11.2010 को हुआ। छानबीन समिति द्वारा दिनांक 19.09.2011 को आदेश पारित किया गया। प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
5	जल संसाधन विभाग	श्री दिनेश कुमार भगोरिया	अनुविभागीय अधिकारी	अजजा	धोवा	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 1211/2012 में दिनांक 23.03.2012 को पारित आदेश द्वारा आगामी सुनवाई की तिथि तक स्थगन दिया गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2018 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

स.क	विभाग का नाम	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पद	वर्ग	जाति	कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
6	जल संसाधन विभाग	श्री कैलाश धकाते	सहायक अनुसंधान	अजजा	हल्बा	विभाग द्वारा दिनांक 27.08.2008 को श्री कैलाश धकाते की सेवा समाप्ति की गई है।
7	जल संसाधन विभाग	श्रीमती सुनीता लिमजे	सहायक ग्रेड-3	अजजा	हल्बा	छ.ग., शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 14-2/2004/1-13 रायपुर दिनांक 18.04.2011 के अनुसार श्रीमती सुनीता लिमजे की सेवा संरक्षित है।
8	जल संसाधन विभाग	श्री जी.पी. कोष्टी	उप अभियंता	अजजा	हल्बा	छ.ग., शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 14-2/2004/1-13 रायपुर दिनांक 18.04.2011 के अनुसार श्री जी.पी. कोष्टी सेवा संरक्षित है।
9	जल संसाधन विभाग	श्री बाल मुकुन्द नामदेव	सहायक वर्ग-3	अजजा	नागेशिया	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 के परिपेक्ष्य में दिनांक 28.11.2019 को श्री बाल मुकुन्द नामदेव की सेवा समाप्ति की गई।
10	जल संसाधन विभाग	श्री सुनील कुमार नायडू	स्टेनोटाइपिस्ट	अजजा	मन्नेवार	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2016 के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क डब्ल्यू.पी.सी. 31/2017 में दिनांक 11.01.2017 को पारित आदेश द्वारा आगामी सुनवाई की तिथि तक स्थगन दिया गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 02.05.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।
11	जल संसाधन विभाग	श्री भगवती प्रसाद वर्मा	सहायक अभियंता	अजजा	मांझी	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 के परिपेक्ष्य में दिनांक 28.11.2019 को श्री भगवती प्रसाद की सेवा समाप्ति की गई।
12	जल संसाधन विभाग	श्री जितेन्द्र प्रसाद	सहायक ग्रेड-2	अजजा	गोंड	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2019 के परिपेक्ष्य में दिनांक 13.01.2020 को श्री जितेन्द्र प्रसाद की सेवा समाप्ति की गई।
13	जल संसाधन विभाग	श्री मधुकर कुम्भारे	सहायक अभियंता	अजजा	हल्बा	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2019 के परिपेक्ष्य में दिनांक 12.02.2020 को श्री मधुकर कुम्भारे की सेवा समाप्ति की गई।
14	जल संसाधन विभाग	श्री महेश हेडाऊ	कार्यपालन अभियंता	अजजा	हल्बा	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2019 के परिपेक्ष्य में दिनांक 14.07.2020 को श्री महेश हेडाऊ की सेवा समाप्ति की गई।
15	जल संसाधन विभाग	श्री लाल बहादुर शाह	कार्यपालन अभियंता	अजजा	गोंड	छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2019 के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क डब्ल्यू.पी.एस. 1442/2020 में दिनांक 03.03.2020 को पारित आदेश द्वारा आगामी सुनवाई की तिथि तक स्थगन दिया गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 28.01.2021 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।

130

स.क्र	विभाग का नाम	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पद	वर्ग	जाति	कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री वीरबहादुर सिंह	सहायक यंत्री	अजजा	गोंड	श्री वीर बहादुर के आकस्मिक निधन (दिनांक 17.05.2019) के पश्चात् छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 प्राप्त हुआ। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
17	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री राम प्रसाद बांगरे	सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता	अजजा	हल्बा	श्री रामप्रसाद बांगरे के सेवानिवृत्ति (30.06.2011) के पश्चात् दिनांक 27.06.2016 को छानबीन समिति का आदेश प्राप्त हुआ। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
18	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री नंदलाल साव	सहायक मानचित्रकार	अजजा	हलबा	श्री नंदलाल साव के सेवानिवृत्ति (30.06.2013) के पश्चात् दिनांक 26.12.2016 को छानबीन समिति का आदेश प्राप्त हुआ। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
19	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री बलराज दरवाड़े	उप-अभियंता	अजा	महार	प्रकरण में आदिम जाति एवं अनु. जाति विकास विभाग प्रथम प्रतिवादी है। प्रकरण में आदिम जाति एवं अनु. जाति विकास विभाग द्वारा दिनांक 07.02.2020 को जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है।
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री विजय कुमार पराते	निज सहायक	अजजा	हल्बा	प्रकरण में विभागीय आदेश दिनांक 19.01.2019 द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
21	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री अरविंद विलियम	मैकेनिक	अजजा	गोंड	श्री अरविंद विलियम के सेवानिवृत्त (दिनांक 31.05.2018) के पश्चात् छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2019 प्राप्त हुआ। प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन प्राप्त नहीं है। प्रभारी अधिकारी आदिम जाति एवं अनु. जाति विकास विभाग द्वारा दिनांक 03.12.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है।
22	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री श्यामराव सोनकुसरे	सहायक अभियंता	अजजा	हल्बा	विभागीय पत्र दिनांक 71.12.2020 द्वारा संचालक, आदिम जाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को स्थगन समाप्त कराने हेतु लिखा गया है।
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	श्री अनिल बच्चन	सहायक अभियंता	अजजा	गोंड	विभागीय पत्र दिनांक 26.12.2019 द्वारा नोडल अधिकारी, ला.स्वा.यां. को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर एवं प्रभारी अधिकारी, उप-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर से संपर्क कर, स्थगन समाप्त कराने हेतु लिखा गया है।

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1498) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा में पावर कंपनियों से प्रभावित किसानों को प्रदत्त नौकरी एवं मासिक भत्ता की जानकारी

स. क्र.	पावर कंपनी का नाम	ग्राम का नाम	किसानों की संख्या	रकबा (एकड़ में)	मुआवजे की दर प्रति एकड़	प्रभावित किसानों में से दी गई नौकरी की संख्या	प्रभावित किसानों में से नौकरी देने हेतु शेष किसानों की संख्या	मासिक भत्ता दिये जा रहे किसानों की संख्या	दिये जा रहे मासिक भत्ते की दर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RKM पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड उच्चापेडा	बाघापाली	4	6.48	12,92,479	0	10	-	-	माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। निराकरण उपरांत शासन के आदर्श पुनर्वास नीति 2007 में निर्धारित भत्ता के अनुसार देय होगा।
		धोबनीपाली	6	4.21	13,90,000					
		2 प्रकरण	10	10.69						
2	एथेना छ. ग. पावर लिमिटेड सिंघीतराई	बेनीपाली	18	20.94	10,00,000	0	466	-	-	वित्तीय संकट के कारण वर्तमान में कंपनी रिजाल्यूशन प्रोफेशनल हैदराबाद के अधीन है। रिजाल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा पावर प्लांट के समाधान हेतु दिये गये प्रस्तावों का ऋणदाता समूह ने अमान्य कर दिया है एवं इसकी जानकारी NCLT को प्रदान कर दी गई है। NCLT द्वारा विघटन की प्रक्रिया का आदेश प्राप्त होने का प्रतीक्षा है। मेसर्स एथेना छ. ग. पावर प्रा. लि. सिंघीतराई द्वारा प्रभावित 462 किसानों को दिसम्बर 2017 तक छ. ग. शासन की आदर्श पुनर्वास नीति के तहत नियमित रोजगार के एवज में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मासिक भत्ता दिया गया। रिजाल्यूशन प्रोफेशनल हैदराबाद के द्वारा 10 माह का मासिक भत्ता दिया गया है।
		निमोही	81	117.44	10,00,000					
		सिंघीतराई	194	392.99	10,00,000					
		ओड़ैकरा	155	229.08	10,00,000					
		सिंघीतराई	18	5.40	14,50,425					
योग	5 प्रकरण	466	765.85							
3	DB पावर लिमिटेड बांड़ादरहा	दुण्डी	43	81.30	10,00,000	312	2	-	-	भू-अर्जन से प्रभावित 02 किसानों को नौकरी देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		बांड़ादरहा	123	149.65½	10,00,000					
		बांड़ादरहा	96	69.18	11,73,102					
		दुण्डी	30	14.73	11,08,863					
		बांड़ादरहा	22	11.23	12,10,803					
योग	5 प्रकरण	314	326.09½							
	कुलयोग	12 प्रकरण	790	1102.63½		312	478			

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2239) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	क्या कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारी द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायत वर्ष 2020 में मिली है ?	यदि हां, तो कितने कोटवारों द्वारा कितनी-कितनी भूमि बेची है ?
1	बिलासपुर	प्रदेश में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारी द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः जिला बिलासपुर की जानकारी निरंक है।	निरंक
2	कोरबा	वर्ष 2020 में जिला कोरबा अंतर्गत तहसील कटघोरा में 01 कोटवार द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारी द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने के संबंध में शिकायत मिली है। शेष तहसील अंतर्गत संबंधित जानकारी निरंक है।	जिला कोरबा तहसील कटघोरा अंतर्गत 01 कोटवार द्वारा रकबा 0.196 हेक्टेयर विक्रय किया गया है, जिसका नामांतरण निरस्त किया जाकर अंतरण शून्य किये जाने की कार्यवाही की गई है। शेष तहसील अंतर्गत संबंधित जानकारी निरंक है।
3	जांजगीर-चांपा	जिला जांजगीर-चांपा में तहसीलदारों से प्राप्त जानकारी अनुसार कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारी द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायत वर्ष 2020 में प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2020 की स्थिति में जिला जांजगीर-चांपा में कोटवारों द्वारा कोटवारी भूमि की बिक्री नहीं की गई है।	निरंक
4	मुंगेली	मुंगेली जिले में वर्ष 2020 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	निरंक
5	रायगढ़	इस जिले में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारी द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायत वर्ष 2020 में नहीं मिली है।	निरंक
6	गौरैला-पेन्द्रा-मरवाही	जिला-गौरैला-पेन्द्रा-मरवाही में 1950 के पूर्व मालगुजारी द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायत वर्ष 2020 में नहीं मिली हैं।	निरंक
7	रायपुर	जानकारी निरंक है।	निरंक
8	गरियाबंद	गरियाबंद जिले अंतर्गत किसी भी तहसील में कोटवारी भूमि बेचने की शिकायत वर्ष 2020 में नहीं मिली है।	निरंक

9	बलौदाबाजार - भाटापारा	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली है।	निरंक
10	महासमुन्द	महासमुन्द जिले में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने के संबंध में वर्ष 2020 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक मानी जावे।	निरंक
11	धमतरी	जी हां, जिला धमतरी के तहसील धमतरी अंतर्गत 01 कोटवार द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायत वर्ष 2020 में प्राप्त हुई है।	जिला धमतरी के तहसील धमतरी अंतर्गत 01 कोटवार द्वारा 0.150 हे. भूमि विक्रय किया गया है।
12	दुर्ग	दुर्ग जिला अंतर्गत कोटवारों के द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली है।	निरंक
13	राजनांदगांव	प्रदेश के राजनांदगांव जिले में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली है। अतः जानकारी निरंक है।	निरंक
14	बालोद	बालोद जिले के अंतर्गत तहसीलों में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं प्राप्त हुई हैं। अतः जिला बालोद की जानकारी निरंक है।	निरंक
15	बेमेतरा	बेमेतरा जिला में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली हैं।	निरंक
16	कबीरधाम	जिला कबीरधाम के अंतर्गत कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली है।	निरंक
17	बस्तर	बस्तर जिले में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली है? तदनुसार जानकारी निरंक है।	निरंक

18	नारायणपुर	जिला नारायणपुर में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि का वर्ष 2020 में बेचने की कोई शिकायत नहीं मिली है।	निरंक
19	बीजापुर	जानकारी निरंक है।	निरंक
20	दंतेवाड़ा	जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।	निरंक
21	सुकमा	सुकमा जिले में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने के संबंध में कोई शिकायत वर्ष 2020 में प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है।	निरंक
22	कांकेर	जिला उत्तर बस्तर कांकेर अन्तर्गत मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि तथा शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को कोटवारों के बिक्री नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है।	निरंक
23	कौंडागांव	निरंक	निरंक
24	सरगुजा	जिला सरगुजा के अंतर्गत कोटवार द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में भूमि प्राप्त नहीं हुआ है व शासन द्वारा दी गई भूमि को बेचने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।	निरंक
25	जशपुर	जशपुर जिला अंतर्गत कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और किसी भी कोटवार द्वारा भूमि नहीं बेची गई है। अतः जानकारी निरंक है।	निरंक
26	बलरामपुर - रामानुजगंज	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की कोई शिकायत वर्ष 2020 में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कोटवारों द्वारा बेची गई भूमि की जानकारी निरंक है।	निरंक
27	सूरजपुर	सूरजपुर जिले में कोटवारों द्वारा 1950 के पूर्व मालगुजारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली है।	निरंक
28	कोरिया	कोरिया जिले में कोटवारों द्वारा कोटवारी के एवज में दी गई भूमि व शासन द्वारा समय-समय पर दी गई भूमि को बेचने की शिकायतें वर्ष 2020 में नहीं मिली है। जानकारी निरंक है।	निरंक

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 347) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नवीन शाला, आश्रम एवं छात्रावास भवनों के नाम

कं.	वित्तीय वर्ष	संस्था का प्रकार	संस्था का नाम	कार्य प्रारंभ / अप्रारंभ / पूर्ण
1	2019-20	शाला	शास.प्राथ.शा. गौटियापारा कुमरता	अप्रारंभ
2	2019-21	शाला	शास.प्राथ.शा. गौटियापारा कुमरता	प्रारंभ
3	2019-20	शाला	शास. हाईस्कूल पुरुंगा	प्रारंभ
4	2019-20	शाला	शास. हाईस्कूल ससकोबा	प्रारंभ
5	2020-21	छात्रावास	पो.मै.आदि.क. छात्रावास घरघोड़ा	प्रारंभ
6	2020-21	छात्रावास	प्री.मै.आदि.बा. छात्रावास कुडुमकेला	प्रारंभ
7	2020-21	छात्रावास	प्री.मै.आदि.बा. छात्रावास पखनाकोट	प्रारंभ
8	2020-21	छात्रावास	प्री.मै.आदि.बा. छात्रावास कुडेकेला	प्रारंभ
9	2020-21	छात्रावास	पो.मै.आदि.क. छात्रावास महाराजगंज	प्रारंभ

उक्त के अलावा कोई प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1934) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की राशि
1	2	3
1	आदर्श एकलव्य शाला एवं कन्या शिक्षा परिसर के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विज्ञान गणित, अंग्रेजी की कोचिंग।	2.496
2	आश्रम स्कूलों में स्मार्ट/नालेज क्लास रूम।	5.250
3	आवासीय विद्यालयों, छात्रावास और आश्रम में सौर ऊर्जा का उपयोग।	20.000
4	छात्रावास और आश्रमों में आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना	9.000
5	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सोलर विद्युत संयंत्र की स्थापना।	10.000
6	कन्या आश्रम एवं छात्रावासों में निवासरत छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन का प्रदाय, भस्मक मशीन की स्थापना सहित।	16.500
7	68 नग ट्यूबवेल खनन सबमर्सिबल पंप विद्युतीकरण।	102.000
8	85 नग पुल का निर्माण।	1057.250
9	500 सीटर (250 बालक/250 बालिका) छात्रावास भवन निर्माण।	239.210
10	500 सीटर (250 बालक/250 बालिका) छात्रावास भवन निर्माण।	239.240
11	100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण।	93.980
12	100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण।	93.980
13	कन्या शिक्षा परिसर निर्माण।	311.260
	कुलयोग	2200.166

प्रपत्र "ब"

क.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की स्थिति			अप्रारंभ का कारण
		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6
1	आदर्श एकलव्य शाला एवं कन्या शिक्षा परिसर के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विज्ञान गणित, अंग्रेजी की कोचिंग।	पूर्ण	—	—	—
2	आश्रम शालाओं में स्मार्ट क्लास रूम	पूर्ण	—	—	—
3	आवासीय शालाओं, छात्रावास एवं आश्रमों में सोलर उर्जा का उपयोग।	पूर्ण	—	—	—
4	आश्रम एवं छात्रावासों में आर0 ओ0 वाटर प्यूरीफायर की स्थापना।	पूर्ण	—	—	—
5	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सोलर विद्युत संयंत्र की स्थापना।	पूर्ण	—	—	—
6	कन्या आश्रम एवं छात्रावासों में निवासरत छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन का प्रदाय, भस्मक मशीन की स्थापना सहित।	पूर्ण	—	—	—
7	68 नग ट्यूबवेल खनन सबमर्सिबल पंप विद्युतीकरण।	पूर्ण	—	—	—
8	मुख्य मार्ग आदनार से बड़को मार्ग में 6मी 02 नग पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
9	बोरगाव से प्लाटपारा में 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
10	मुख्य मार्ग से कोलिहापारा आमागुडा मार्ग पर 1.5 मी पुलिया निर्माण	पूर्ण	—	—	—
11	मुख्य मार्ग से कोलिहापारा आमागुडा मार्ग पर 1.5 मी पुलिया निर्माण	पूर्ण	—	—	—
12	मुख्य मार्ग से कोलिहापारा आमागुडा मार्ग पर 1.5 मी पुलिया निर्माण	पूर्ण	—	—	—
13	भेलकू बघेल पारा से छोटैकुरुबनार मार्ग में 1.5 मी. 03 नग पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
14	कुरमेल चौक से परौदा मार्ग पर 1.5 मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
15	कुकुरमर से परौदा मार्ग पर 1.5 मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
16	कुकुरमुडी पी.एम.जी.एस.वाय. पुलिया के आगे टेंगनाखपखना मार्ग पर 1.5 मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
17	कांगा (कुकुरमुडी) पी.एम.जी.एस.वाय. पुलिया के आग्र टेंगनाखपखना मार्ग पर 6X2 मी पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
18	मुख्य सड़क से खासपारा गौरवपथ तक मार्ग पर 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
19	नवदल पारा में 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—

क.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की स्थिति			अप्रारंभ का कारण
		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6
20	बयानार मुख्य मार्ग से पुजारी पारा टेमरुगाव द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण 02किमी. एवं 2मी. 04 नग पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
21	कोरेका नाला में 2मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
22	स्कूल से मालम मार्ग में अमर सिंह घर के पास 3मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
23	भदरू खेत के पास 3मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
24	लक्ष्मण घर के पास 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
25	मस्सु खेत के पास 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
26	मुख्य मार्ग से कुम्हारपारा मार्ग में तालाब के पास 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
27	गोदरू घर के पास 1.5मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
28	सरपंच पारा से कत्री मार्ग पर 2.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
29	सरपंच पारा मार्ग में 2.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
30	डाउल डबरी के पास 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
31	आवास प्लाटपारा आसमन घर के पास 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
32	चेमा मुख्य मार्ग से नहकानार मार्ग में 2.5मी. 03 नग पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
33	कांगा मार्ग पर 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
34	मडानार से मंगवाल मार्ग में 3मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
35	बालक आश्रम से सरपंच पारा मार्ग में 1.5मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
36	हरिजन पारा में 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
37	खस पारा में 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
38	पदर पारा में 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
39	लोहार घर के पास 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
40	मुख्य मार्ग माटी होटल के पास 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
41	पदनार पारा में 1.5मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
42	बनियापारा के खेत के पास 2मी. पुलिया निर्माण	पूर्ण	—	—	—
43	शंकर घर के पास 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
44	स्कूल पारा में 1.5मी 2 नग पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
45	पोहमार मार्ग मार्ग में सीता घर के पास 1.5मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
46	कंगलू मुण्डा के पास 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
47	पोहमार मार्ग में बीसनाथ घर के पास 1.5मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
48	मस्सु घर के पास 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की स्थिति			अप्रारंभ का कारण
		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6
49	आमनाली के पास बडेपारा में 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
50	पदनार से आदनार के बीच बड़कोनाला में 6X2 मी पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
51	पदनार तरई से बड़े झूलना के मध्य 6X2 मी पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
52	पोलंग मार्ग पर 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
53	पदनार पारा में 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
54	पदनार स्कूल पारा मार्ग में पण्डरी पानी नाला पर 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
55	पदलामण्डा में 2मी. पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
56	मटवाल मार्ग पर 1.5मी. 2 नग पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
57	सरपच पारा मार्ग में 1.5मी पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
58	बड़ेझर नाला में 2मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
59	मुख्य मार्ग से प्राथमिक शाला मार्ग में 1.5मी 03 नग पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
60	मलनार मार्ग पर 1.5मी. पुलिया निर्माण।	पूर्ण	—	—	—
61	हंगवा-से चमई मार्ग में चमई नाला में 10मी. पुलिया निर्माण।	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
62	कांगा (कुकुरमुडी) पी.एम.जी.एस.वाय. पुलिया के आगे टेंगनाखपखना मार्ग पर 6 मी. 4 रोव आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।
63	छोटेकुरुषनार मार्ग पर 6X3 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
64	मुख्य मार्ग से तेलगा मार्ग पर 3 मी. स्पान 2 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
65	सोनाबाल मार्ग से खालेपारा मार्ग में बिसरू घर के पास 4 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
66	मुख्य मार्ग से गाडापारा मार्ग में 4 मी. स्पान 2 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
67	बयानार से जतरबेडा मार्ग में 2 मी. स्पान 3 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
68	बयानार से बड़को मार्ग में 5 मी. स्पान 2 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
69	मंगवाल से राजापारा मार्ग में 2 मी. स्पान 3 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
70	मड़ानार से चिंगडोंगरी मार्ग में रमेश खेत के पास 1.5 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ	—
71	किटका पदर में 2 नग पुलिया निर्माण 1.5 मी.	—	—	अप्रारंभ	—

क.	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की स्थिति			अप्रारंभ का कारण	
		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ		
1	2	3	4	5	6	
72	जोड़गा से पोहमार्ग के मध्य बास्ता नाला पर पुलिया निर्माण 60 मी	—	—	अप्रारंभ	स्वीकृत कार्य के स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित किए जाने के फलस्वरूप कार्य अप्रारंभ है।	
73	कौंगेरा से पाला के मध्य पुलिया निर्माण 6X2 मी. स्पान	—	—	अप्रारंभ		
74	एमरा मार्ग में पुलिया निर्माण 6X2 मी. स्पान	—	—	अप्रारंभ		
75	खोड़सानार मार्ग में पुलिया निर्माण 6X2 मी. स्पान	—	—	अप्रारंभ		
76	मड़ानार किटकापारा में 1.5 मी. आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 2 नग	—	—	अप्रारंभ		
77	नयापारा सरपंच घर तक मार्ग में 1.5 मी. आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 3 नग	—	—	अप्रारंभ		
78	बनसिंह घर से महादेव के घर मार्ग पर 3 नग 1.5 मी. पुलिया	—	—	अप्रारंभ		
79	कुकुरकुमर खड़पडी से परौदा मार्ग पर 6 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ		
80	स्कूल के पास 2 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ		
81	पोहमार्ग से सुलपारा से बाघ बेडा मार्ग में चमरू घर के पास 1.5 मी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ		
82	मड़ानार में शामनाथ घर के समीप 1.5 मी. आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	—	—	अप्रारंभ		
83	500 सीटर (250 बालक/250 बालिका) छात्रावास भवन निर्माण।	पूर्ण	—	—		
84	100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण।	पूर्ण	—	—		
85	100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण।	पूर्ण	—	—		
86	कन्या शिक्षा परिसर निर्माण।	—	अपूर्ण			
87	500 सीटर (250 बालक/250 बालिका) छात्रावास भवन निर्माण।	—	अपूर्ण			

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "नौ"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 107) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2019-20 में 01-04-2019 से दिनांक 26-01-2021 तक मदवार/सामग्री/राशि एवं एजेंसी की जानकारी

मद का नाम	कय की गई सामग्री का नाम	दर	राशि	फर्म / एजेंसी का नाम	
1	2	3	4	5	
विभागीय मद सामग्री प्रतिपूर्ति मद	एल0ई0डी0 बल्ब (12 वाट)	249.75	215792.00	सूरज इंटरप्राइजेस जरहा भाठा बिलासपुर	
		246.40	216832.00	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस सूरजपुर	
	फिनाईल	44.83	538079.00	नलिन मेडिकल स्टोर सूरजपुर	
	रंगीन चादर	323.27	1616350.00	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं वितरण सहकारी संघ मर्या0 रायपुर	
		339.40	1697167.00		
	मच्छरदानी	204.75	778049.00	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स केरता रोड सूरजपुर	
	गद्दा			449900.00	अग्रवाल फाउण्डरी एंड फेब्रीकेशन वर्क्स कोरबा रोड, चांपा
			4166.00	416600.00	रिबिन साल्युशन, अनुपम नगर रायपुर
				833200.00	आर. जे. फर्निचर हाउस, लोधी पारा, रायपुर
	लोहा पलंग	5999.00	529900.00	अग्रवाल फाउण्डरी एंड फेब्रीकेशन वर्क्स कोरबा रोड, चांपा	
	लोहा पलंग	5800.00	1740000.00	रिबिन साल्युशन, अनुपम नगर रायपुर	
	चम्मच/बड़ा वाला	219.90	23759.00	मनीषा इण्डस्ट्रीज सक्ती	
	करछूल	219.90	23759.00		
	झारा	219.90	23759.00		
	गिलास	99.99	299997.00		
	पानी टंकी	1800.00	194400.00		
	जग	500.00	108000.00		
	प्रेसर कूकर, 10ली.	4500.00	90000.00		
	प्रेसर कूकर, 20ली.	5000.00	440000.00		
	कंबल उलन रंगीन	594.36	297182.00		छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं वितरण सहकारी संघ मर्या0 रायपुर
रंगीन चादर	339.43	101830.00			
कम्प्यूटर सेट+प्रिंटर	54000.00	54000.00	कम्प्यूटर जोन, निक रोड जांजगीर		
योग		10688555.00			

143

मद का नाम	कय की गई सामग्री का नाम	दर	राशि	फर्म / एजेंसी का नाम	
1	2	3	4	5	
डी.एम.एफ. मद	एल0जी0 वाशिंग मशीन	29900.00	538200.00	टूटेजा इंटरप्राइजेस, तेलीपाना जांजगीर	
	एल0जी0 फ्रीज	32990.00	3562920.00		
	लोहा तखत	5542.00	4489020.00		
	गद्दा	4953.00	4953000.00	सागर इण्डस्ट्रीज, शारदा चौक जांजगीर	
	सिलिंग फेन	2452.45	49049.00		
		2048.00	1855488.00		
	सी.सी.टी.वी. कैमरा	100000.00	2711700.00	आसियन इंटरप्राइजेस, शारदा चौक जांजगीर	
	सी.सी.टी.वी. कैमरा		2188270.00	सात्युशन डाट कॉम भटगांव चौक, राधा स्वामी नगर रायपुर	
योग			20846679.00		
कार्यालयीन मद	सिलिंग फेन	1450	49150.00	राजेश कुमार अग्रवाल इले. एंड कान्ट्रेक्टर जांजगीर	
	एल0ई0डी0	450			
	स्ट्रीट लाईट	5500	49500.00		
	एल0ई0डी0 लैम्प	950	44590.00		
	ईनवर्टर बैटरी (कम्पलीट फिटिंग)	48500	48500.00		
	टेबल एक्सक्लूसिव,	7900	49900.00		
	रिवालविंग चेयर,	5900			
	फोल्डिंग पलंग,	4550			
	स्टील चेयर	4500			
	पंजी का छपाई	260	28600.00		ऋषि प्रिंटर्स जांजगीर
	विद्यार्थी उपस्थिति पंजी, कय पंजी का छपाई	260	57200.00		
	कैश बुक का छपाई	260	19759.00		
	चालान बुक का छपाई	260	1992.00		
	खाद्यान्न बुक का छपाई	260	15340.00		त्रिलोक आफसेट प्रेस जांजगीर
	केश व खाद्यान्न बुक का छपाई	260	19760.00		
खाद्यान्न बुक का छपाई	260	2340.00			
योग			386631.00		

अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट "दस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1667) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विगत 02 वर्षों में शासकीय शालाओं में भूमि अतिक्रमण की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	शालाओं का नाम	अतिक्रमण की स्थिति
1	2018-19	जानकारी निरंक	
1	2019-20	शास.आदर्श उ.मा.वि.बालोद	अतिक्रमण मुक्त
2	2019-20	शास.उ.मा.वि. झंलमला	अतिक्रमण मुक्त
3	2019-20	शास.हाईस्कूल चिचलगोंदी	अतिक्रमण मुक्त
4	2019-20	शास.प्राथ.शाला कमरौद	अतिक्रमण मुक्त
5	2019-20	शास.क.उ.मा.वि. पलारी	प्रक्रियाधीन
6	2019-20	शास.प्राथ.शाला मोखा	प्रक्रियाधीन
7	2019-20	शास.पूर्व माध्य.शाला मोखा	प्रक्रियाधीन
8	2019-20	शास.उ.मा.वि.ओडारसकरी	प्रक्रियाधीन
9	2019-20	शास.पूर्व माध्य.शाला पैरी	प्रक्रियाधीन
10	2019-20	शास.उ.मा.वि. चौरेल	प्रक्रियाधीन
11	2019-20	शास.क.उ.मा.वि. डौ.लोहारा	प्रक्रियाधीन
12	2019-20	शास.हाईस्कूल कसहीकला	प्रक्रियाधीन
13	2019-20	शास.उ.मा.वि.अरजपुर	प्रक्रियाधीन
14	2019-20	शास.उ.मा.वि. दुधली	प्रक्रियाधीन
15	2019-20	शास.हाईस्कूल कामता	प्रक्रियाधीन
16	2019-20	शास.हाईस्कूल पथराटोला	प्रक्रियाधीन
17	2019-20	शास.उ.मा.वि. चिखली	प्रक्रियाधीन
18	2019-20	शास.हाईस्कूल बम्हनी	प्रक्रियाधीन
19	2019-20	शास.हाईस्कूल चिपरा	प्रक्रियाधीन
20	2019-20	शास.उ.मा.वि. बिटाल	प्रक्रियाधीन

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1916) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अधीक्षण अभियंता (मां.संसा.) 2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना मड़वा-तेन्दूभाठा जिला-जांजगीर-चाम्पा
को निराकरण हेतु प्रेषित किये गये वर्ष 2020 में प्राप्त आवेदन/शिकायत पत्र की जानकारी

स.क.	दिनांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम	ग्राम का नाम	विषय	प्राप्त शिकायत मुआवजा से संबंधित/पुनर्वास नीति से संबंधित	कार्यवाही	कैफियत
1	2	3	4	5	6	9	10
1	03.01.2020	रामकृष्ण यादव पिता धनसाय यादव	सिवनी	मड़वा-तेन्दूभाठा पावर प्रोजेक्ट हेतु खेत में निर्माणधीन टावर का उचित मुआवजा व स्थायी नौकरी बाबत आवेदन।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 3079/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 03.02.2020 को प्रेषित किया गया।	
2	30.01.2020	नंदकुमार सूर्यवंशी पिता तिरिथ राम	कन्हाईवंद	सविदा लाईन परिचारक के पद में नियुक्ति प्रदान करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 690/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 11.03.2020 को प्रेषित किया गया।	
3	18.02.2020	रविन्द्र कुमार जायसवाल पिता श्री दशरथ	तेन्दूभाठा	मड़वा-तेन्दूभाठा पावर प्रोजेक्ट अंतर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भूमिस्वामी को नियमानुसार लाभ प्रदाय करने बाबत।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2514/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 19.10.2020 को प्रेषित किया गया।	
4	18.02.2020	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) सूर्या अपार्टमेंट के सामने नेताजी चौक रायपुर (छ.ग.)	रायपुर	अटल बिहारी वाजपेयी पावर प्लांट द्वारा लिए गए ग्रामीणों की जमीन का अनुबंध अनुसार मुआवजा एवं नौकरी के संबंध में।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2488/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 12.10.2020 को प्रेषित किया गया।	
5	23.02.2020	जीतबहादुर पिता जोहनलाल साहू	जांजगीर	सी.एस.पी.जी.सी.एल. मड़वा तेन्दूभाठा पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण व एक सदस्य नौकरी प्रावधान के तहत नौकरी देने हेतु।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 11.08.2020	
6	24.02.2020	राजेन्द्र कुमार यादव पिता तीर्थराम यादव	सरखो	मड़वा-तेन्दूभाठा पावर प्लांट में अधिग्रहित किये गये भूमि के एवज में पुनर्वास नीति के तहत नौकरी दिलाये जाने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2016/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 06.08.2020 को प्रेषित किया गया।	

7	24.02.2020	नंदकुमार सूर्यवंशी पिता तिरिथ राम	कन्हाईबंद	संविदा लाईन परिचारक के पद में नियुक्ति प्रदान करने बावत ।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 680/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 11 03.2020 को प्रेषित किया गया।
8	24.02.2020	विरेन्द्र कुमार साहू पिता कैलाश साहू	सरखों	मड़वा तेन्दूभाठा पावर प्लांट में भू-विस्थापित को मेटेनेन्स टेका कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 670/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 11 03.2020 को प्रेषित किया गया।
9	27.02.2020	राजाराम पिता वेदराम	नैला	प्रबंधक छ0ग0रा0वि0 उत्पादन कंपनी 2x500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा विद्युत परियोजना जिला-जांजगीर-चाम्पा छ0ग0 के माध्यम से नौकरी हेतु आवेदन/दस्तावेज में तहसीलदार जांजगीर एवं अ0वि0अ0 रा0 जांजगीर का हस्ताक्षर हेतु भेजा गया है, परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के संबंध में शिकायत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 06.11.2020
10	02.03.2020	दिनदयाल साहू	मड़वा	मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2575/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 11. 09.2020 को प्रेषित किया गया।
11	04.03.2020	चेतन प्रसाद पिता दिलसाय	लछनपुर	अ.वि.वा.ता.वि.गृ. मड़वा परियोजना हेतु भू-अर्जन से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास लाभ-चेतन प्रसाद सम्मतलाल पिता दिलसाय द्वारा अभ्यर्थी सीताराम साहू पिता अच्छेलाल साहू को दी गई नौकरी के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच बावत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1859/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 15. 07.2020 को प्रेषित किया गया।
12	10.06.2020	कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा	सरखों	अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना मड़वा-तेन्दूभाठा पावर प्लांट के लिये अधिग्रहित भूमि के भू-स्वामियों को आवश्यक सहायता देने विषयक।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2649/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 24. 10.2020 को प्रेषित किया गया।
13	16.06.2020	हरिदास	जर्वे-व	2x500 MW ABVTPS CSPGCL Co-operative society मड़वा-तेन्दूभाठा के राखड़ बांध से सेनोस्फेयर निकालने का टेका कार्य भू-विस्थापित Co-operative society को न देकर अन्य बाहरी टेकेदारों को देने के संबंध में।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1716/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 07. 07.2020 को प्रेषित किया गया।

LR

7	24.02.2020	नंदकुमार सूर्यवंशी पिता तिरिथ राम	कन्हाईबंद	संविदा लाईन परिचारक के पद में नियुक्ति प्रदान करने वावत् ।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 680/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 11 03.2020 को प्रेषित किया गया।
8	24.02.2020	विरेन्द्र कुमार साहू पिता कैलाश साहू	सरखों	मडवा तेन्दूभाठा पावर प्लांट में भू-विस्थापित को मेटेनेन्स टेका कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 670/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 11 03.2020 को प्रेषित किया गया।
9	27.02.2020	राजाराम पिता वेदराम	नैला	प्रबंधक छ0ग0रा0वि0 उत्पादन कंपनी 2x500 मेगावाट मडवा तेन्दूभाठा विद्युत परियोजना जिला-जांजगीर-चाम्पा छ0ग0 के माध्यम से नौकरी हेतु आवेदन/दस्तावेज में तहसीलदार जांजगीर एवं अ0वि0अ0 रा0 जांजगीर का हस्ताक्षर हेतु भेजा गया है, परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के संबंध में शिकायत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 06.11.2020
10	02.03.2020	दिनदयाल साहू	मडवा	मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2575/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 11. 09.2020 को प्रेषित किया गया।
11	04.03.2020	चेतन प्रसाद पिता दिलसाय	लछनपुर	अ.वि.वा.ता.वि.गू. मडवा परियोजना हेतु भू-अर्जन से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास लाभ-चेतन प्रसाद सम्पतलाल पिता दिलसाय द्वारा अभ्यर्थी सीताराम साहू पिता अच्छेलाल साहू को दी गई नौकरी के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच वावत्।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1859/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 15. 07.2020 को प्रेषित किया गया।
12	10.06.2020	कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा	सरखों	अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना मडवा-तेन्दूभाठा पावर प्लांट के लिये अधिग्रहित भूमि के भू-स्वामियों को आवश्यक सहायता देने विषयक।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2649/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 24. 10.2020 को प्रेषित किया गया।
13	16.06.2020	हरिदास	जर्वे-व	2x500 MW ABVTPS CSPGCL Co-operative society मडवा-तेन्दूभाठा के राखड़ बांध से सेनोस्फेयर निकालने का टेका कार्य भू-विस्थापित Co-operative society को न देकर अन्य बाहरी ठेकेदारों को देने के संबंध में।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1716/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 07. 07.2020 को प्रेषित किया गया।

LR

14	17.06.2020	मडवा ताप विद्युत कामगार एवं भूविस्थापित श्रमिक संघ मडवा	मडवा	मडवा ताप विद्युत कामगार एवं भूविस्थापित श्रमिक संग मडवा जिला-जांजगीर-चापा द्वारा निरंतर इस परियोजना के द्वारा अधिग्रहित भूमि के भूविस्थापितों व कामगारों के वैधानिक समस्या के निराकरण हेतु निरंतर दिये जा रहे ज्ञापन पर कार्यवाही में उपेक्षा बंद कर इस ज्ञापन पर तत्काल उचित कार्यवाही करने कृत बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2857/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 10.11.2020 को प्रेषित किया गया।
15	25.06.2020	कैलाश वर्मा (विशेष सहायक)	औराईकला	जमीन अधिग्रहण के एवज में नौकरी प्रदान करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 23.07.2020
16	23.06.2020	रामलाल महारा पिता दाऊलाल महारा, संतराम गोड़ पिता खोलवहरा गोड़	तेन्दूभाटा	नौकरी/रोजगार में नहीं रखने की शिकायत पर उचित कार्यवाही करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 11.08.2020
17	10.07.2020	हरिकेश उपाध्याय पिता स्व. गजाधर प्रसाद उपाध्याय	जांजगीर	मडवा परियोजना के अंतर्गत भू-अधिग्रहण परिपेक्ष्य में नौकरी प्रदान करने आदेश पत्र।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 3302/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 24.12.2020 को प्रेषित किया गया।
18	28.07.2020	अश्वनी कुमार साहू पिता स्व. शिवरतन साहू	औराईकला	जमीन अधिग्रहण के एवज में नौकरी प्रदान करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 11.08.2020
19	26.08.2020	जमुनाबाई स्व. मनोज कुमार साहू	लछनपुर	अधिग्रहित भूमि का मुआवजा एवं उनके वारिसों को नौकरी प्रदान करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 10.07.2020
20	28.08.2019	विरेंद्र कुमार साहू पिता कैलाश साहू	सरखों	मडवा तेन्दूभाटा पावर प्लांट में भू-विस्थापित को मेटेनेंस टेका कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 670/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 11.03.2020 को प्रेषित किया गया।
21	01.09.2020	उमाशंकर पिता रामाधीन	तेन्दूभाटा	सी.एस.पी.जी.सी.एल. मडवा-तेन्दूभाटा पावर प्रोजेक्ट अंतर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भूमि स्वामी नियमानुसार लाभ प्रदाय करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2723/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 29.10.2020 को प्रेषित किया गया।

22	20.09.2020	महासचिव मडवा ताप विद्युत कामगार एवं भूविस्थापित संघ मडवा जिला-जांजगीर -चांपा (छ.ग.)	मडवा	अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र गडवा तेन्दुभाटा परियोजना के भू-विरथापितों को पुनर्वास जीवन निर्वाह माहवारी भत्ता पुनः प्रारंभ करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2576/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 11.09.2020 को प्रेषित किया गया।
23	23.09.2020	रामलाल पिता दाऊलाल महंत	तेन्दूभाटा	नौकरी में नहीं रखने की शिकायत पर उचित कार्यवाही करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 11.08.2020
24	23.09.2020	रितिका प्रसाद	तेन्दूभाटा	मडवा तेन्दूभाटा पावरार प्रोजेक्ट अंतर्गत भूअर्जन से प्रभावित भूमिसवामी को नियमानुसार लाभ प्रदरय करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1860/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 15.07.2020 को प्रेषित किया गया।
25	02.10.2020	विक्रम प्रताप सिंह पिता रामपाल सिंह	खटोला	मडवा पावर प्लांट के लिए 400 के.वी.लिनो पारंपण हेतु टावर सीपना एवं टावर लाईन विछाने हेतु भूमि के क्षतिपूर्ति की गणना कर अब तक अप्राप्त मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु आदेश करने बाबत।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1520/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 25.06.2020 को प्रेषित किया गया।
26	09.10.2020	हीरालाल पटेल पिता बाबूलाल	और्राईकला	मडवा तेन्दूभाटा पावर प्लांट में भू-सीपित को मेटेनेन्स टेका कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 672/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 11.03.2020 को प्रेषित किया गया।
27	09.10.2020	भूनि पुत्र किसान कल्याण समिति	और्राईकला एवं अन्य	मडवा तेन्दूभाटा के भू-विरथापितों की सहकारी समितियों को रु. 15 लाख तक निविदाओं में प्रतिस्पर्धा लेने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2855/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 10.11.2020 को प्रेषित किया गया।
28	10.10.2020	मनोज कुमार साहू पिता जयराम साहू	सरखों	अधिग्रहित कृषि भूमि के एवज में आदर्श पुनर्वास नीति 2008 के तहत लाईन परिचारक संविदा के स्थान पर आई.टी.आई. के आधार पर संयंत्र परिचारक श्रेणी-2 के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 3280/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 22.12.2020 को प्रेषित किया गया।
29	15.10.2020	अध्यक्ष मडवा ताप विद्युत कामगार एवं भूविस्थापित संघ मडवा	मडवा	मडवा ताप विद्युत परियोजना में अधिग्रहित भूमि के हितग्राहियों व क्षेत्र के बेरोजगारों को संयंत्र में नौकरी में लाने तब तक नियमानुसार आर्थिक लाभ प्रदान करने ज्ञापन।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 3278/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 22.12.2020 को प्रेषित किया गया।
30	09.12.2020	भरतलाल	तेन्दूभाटा	मडवा तेन्दूभाटा ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत ग्राम तेन्दूभाटा के अर्जित भूमि में स्थित तालाब का मूल्यांकन करने बाबत।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 37/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 02.01.2020 को प्रेषित किया गया।

149

31	11.12.2020	कृष्ण कुमार पिता तेरसराम केवट	मड़वा	खातेदार कृष्णकुमार पिता स्व. तेरसराम मड़वा वाले का धोखा से भत्ता काटे गये को पूर्ववत भत्ता जारी करने वावत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 3372/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 30. 12.2020 को प्रेषित किया गया।
32	12.12.2020	ज्योति प्रकाश राठौर	कन्हाईचंद	अधिग्रहित कृषि भूमि के ऐंज में आदर्श पुनर्वास नीति के द्वारा लाईन परिचारक (सविदा) के स्थान पर डिप्लोमा-इन-फार्मसी योग्यता के आधार पर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति कराने बावत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2767/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 25. 11.2020 को प्रेषित किया गया।
33	16.12.2020	श्रमिक किसान मजदूर कल्याण समिति एवं समस्त भू-विस्थापितों ग्रामवासियों तथा ग्राम पंचायत मड़वा-तेन्दूभाटा	मड़वा-तेन्दूभाटा	छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन गृह निर्माण कराने वास्ते ग्राम मड़वा तेन्दूभाटा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के कृषि भूमि को छ.ग. शासन द्वारा प्रस्तावित पुनर्वास नियम 2007 के तहत एवं जिला राजस्व प्रशासन न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा बैठक दिनांक 01.10.2008 को टीप क्र.01 से क्र.06 तक प्रस्तावित सहमति के अनुसार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सामिलात खातेदारों सहखातेदारों के नामित व्यक्तियों को पुनर्वास नौकरी देने की आश्वासन देकर कृषि भूमि को अधिग्रहण किया गया जिसके अनुसार नौकरी दिये गये में से बचत खातेदारों सहखातेदारों के नामित व्यक्तियों को उक्त नियम के तहत नौकरी या भत्ता दिया जाना बंद कर दिया गया था, जिसमें ठेकेदारी पर मेंटेनेंस कार्य में नियुक्ति करने का पंजीयन हेतु सूचना दिया गया है, जिस पर समस्त भू-विस्थापितों को पुनर्वास जीविकोपार्जन के बारे में बैठक आयोजन कर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया जो मांगों के समर्थन में प्रभावित ग्रामवासी उद्वलित होकर कभी भी अनिश्चितकालीन घोर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिसके छ.ग. शासन विद्युत प्रशासन जिम्मेदार रहने का सूचनार्थ वावत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1623/अ.वि.अ. /भू-अर्जन/2020 दिनांक 03. 06.2020 को प्रेषित किया गया।

प्रपत्र "ब"

स.क.	दिनांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम	ग्राम का नाम	विषय	प्राप्त शिकायत मुआवजा से संबंधित/पुनर्वास नीति से संबंधित	कार्यवाही	कैफियत
1	2	3	4	5	6		8
1	20.03.2020	श्री शेरसिंह महामंत्री छ.ग. पावर मजदूर संघ	नरियरा	नियमित भूविस्थापित कर्मचारियों की बरखास्तगी पत्र के संबंध में;	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 31.08.2020	श्रम विभाग
2	20.03.2020	श्री खुबचंद कैंवट	अमोरा	के.एस.के. महानदी संयंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में।	मुआवजा से संबंधित	निराकृत दिनांक 18.09.2020	के०एस०के०
3	23.04.2020	भुप्रभावित जीवन निर्वाह भत्ता लाभार्थी समिति	नरियरा	नौकरी के एवज में दिए जाने वाला तीन माह का बकाया मासिक भत्ता प्रदान कराने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1758/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 10.07.2020 को प्रेषित किया गया।	के०एस०के०
4	23.04.2020	श्री संजय कुमार सिंह अन्य 17 भू-प्रभावित जीवन निर्वाह भत्ता लाभार्थी समिति जिला-जांजगीर-चांपा	नरियरा	नौकरी के एवज में दिए जाने वाला तीन माह का बकाया मासिक भत्ता प्रदान कराने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	कंपनी द्वारा दस्तावेज की जांच कर उनका नाम कंपनी के लेनदारी की सूची से संबंधित वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।	के०एस०के०
5	06.05.2020	भू-प्रभावित जीवन निर्वाह भत्ता लाभार्थी समिति	नरियरा	नौकरी के एवज में दिए जाने वाला तीन माह का बकाया मासिक भत्ता प्रदान कराने बाबत।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1528/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 25.06.2020 को प्रेषित किया गया।	श्रम विभाग
6	27.05.2020	छत्तीसगढ़ पावर मजदूर संघ	नरियरा	के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा 20 भूविस्थापित नियमित कर्मचारियों को सेवा शर्तों एवं स्थायी आदेश के अवहेलना और 18 सितम्बर 2019 के समझौते के उल्लंघन करते हुए नौकरी से बर्खास्त करने के संबंध में।	पुनर्वास नीति से संबंधित	निराकृत दिनांक 31.08.2020	के०एस०के०
7	08.07.2020	श्री समारू राम टंडन पिता बालमुकुंद टंडन	नरियरा	भू.पू. सैनिक की भूमिस्वामी हक को के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा बिना मुआवजा अधिग्रहण के पश्चात शेष बचत भूमि रकमा 3 एकड़ को हल्का पटवारी कम्प्यूटर में दर्ज कराने बाबत।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2020/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 06.08.2020 को प्रेषित किया गया।	के०एस०के०
8	10.07.2020	श्रीमती तुलसी कैंवट	अमोरा	भू-विस्थापित को किसी प्रकार की पेशान/नौकरी नहीं मिलने के संबंध में।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1755/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 10.07.2020 प्रेषित को किया गया।	के०एस०के०

स.क्र.	दिनांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम	ग्राम का नाम	विषय	प्राप्त शिकायत मुआवजा से संबंधित/पुनर्वास नीति से संबंधित	कार्यवाही	कैफियत
1	2	3	4	5	6		8
9	15.07.2020	श्री लोभन साहू एवं अन्य 06	नरियरा	के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा 20 भूविस्थापित को बहाल करने के संबंध में।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1893/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 21.07.2020 प्रेषित को किया गया।	श्रम विभाग
10	24.07.2020	श्री नैमिशरण सिंह	तरौद	कुमारी दिपिका सिंह को नॉपिनी में सम्मिलित करते हुए पैशन प्रदाय वादत	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 1613/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 03.07.2020 प्रेषित को किया गया।	श्रम विभाग
11	25.07.2020	श्री खुशबू सिंह	अमोरा	खुशबू सिंह एवं अन्य द्वारा आवेदिका के साथ किये गये धोखाधड़ी संबंध में।	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2389/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 31.08.2020 प्रेषित को किया गया।	श्रम विभाग
12	18.08.2020	श्री घनश्याम सिंह पिता संतु सिंह	अमोरा	अभ्यावेदक श्री घनश्याम सिंह पिता संतुसिंह ग्राम अमोरा तहसील अकलतरा से प्राप्त अभ्यावेदन न्यायालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा के प्रकरण क्र. 152/अ/21/2014-15 ग्राम अमोरा तहसील अकलतरा के पारित आदेश खसरा क्र. 1000/7 रकबा 0.30 एकड़ जमीन के संबंध में।	मुआवजा से संबंधित	प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आवेदक को मुगतान करने हेतु आहूत किया गया है।	के0एस0के0
13	29.09.2020	श्री सुमित सिंह चंदेल	तरौद	के.एस.के. पाँवर प्लांट नरियरा द्वारा निजी भूमि में राखड़ फेककर वंजर करने के संबंध में।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2717/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 29.10.2020 को प्रेषित किया गया।	के0एस0के0
14	08.10.2020	श्री कोशल प्रसाद पिता हरिदयाल नारायण प्रसाद पिता कोशल	नरियरा	ग्राम तरौद में स्थित भूमि खसरा नं. 1985/5 रकबा 0.23 एकड़ एवं खसरा नं. 1985/4 रकबा 0.22 एकड़ का मुआवजा वर्ष 2010 के गाईड लाईन के अनुसार दिलाये जाने हेतु।	मुआवजा से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक /अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 10.11.2020 को प्रेषित किया गया।	के0एस0के0
15	19.10.2020	श्री लुकेश कुमार साहू पिता छेदीलाल साहू	सलखन	के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा/अकलतरा जिला-जांजगीर चाम्पा में वायलर फिल्ट ऑपरेटर के पद पर पदस्थ करने के संबंध में	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 2859 /अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 10.11.2020 को प्रेषित किया गया।	के0एस0के0
16	18.12.2020	श्री विश्वनाथ प्रसाद साहू	नरियरा	वेतन पुनरीक्षण हेतु नाग पत्र	पुनर्वास नीति से संबंधित	ज्ञापन क्रमांक 3304/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2020 दिनांक 24.12.2020 प्रेषित को किया गया।	के0एस0के0

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 2006) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55 के अनुसार					
खसरा नंबर	रकबा (एकड़ में)	मद	ख0न0	रकबा (एकड़ में)	मद
230	7.04	घास	606/1	1.05	घास
231	0.33	घास	606/2	12.00	घास
293/6-7	3.84	घास	606/10	1.40	घास
293/2	0.34	घास	643/1	0.14	घास
318	0.05	घास	643/2	8.18	घास
322	0.05	घास	643/3	1.20	घास
357/1	1.40	घास	678	2.70	घास
357/2	0.70	घास	833/1	10.00	घास
357/3	0.26	घास	833/2	7.79	घास
357/6	0.05	घास	833/3	2.50	घास
358/1	0.40	घास	835/1	7.58	घास
358/2	1.40	घास	835/2	3.64	घास
359/2	17.91	घास	835/3	2.40	घास
359/3	1.50	घास	886	0.10	घास
359/4	4.00	घास	913	2.61	घास
378	0.19	घास	916	4.20	घास
386	0.76	घास	918/1	10.00	घास
410/1	0.10	घास	918/5	14.51	घास
410/3	0.74	घास	918/6	2.00	घास
417	1.88	घास	929/13	23.50	घास
			929/13	0.40	
				23.90	
495/1	0.53	घास	929/2	36.65	घास
			929/14	1.35	
			929/16	10.43	
				48.43	घास
495/2	4.50	घास	929/3	4.80	घास

495/3	1.50	घास	929/29	0.40	घास
508	0.17	घास	929/4	16.05	घास
511	0.10	घास	930/2	17.03	घास
532/2	3.60	घास	931	4.12	घास
533	0.44	घास	934	5.48	घास
556/1	0.26	घास	1045	0.26	घास
556/6	0.50	घास	1068	16.31	घास
556/7	4.98	घास	1069	0.52	घास
560/2 से 7 तक	0.67	घास	1086	0.14	घास
560/8	0.62	घास	1264	3.90	घास
561	2.12	घास	557/126 8	0.25	घास
564/14	2.08	घास	564/10	5.50	घास
564	1.50	घास	564/11	10.00	घास
564/3	14.82	घास	564/12	20.00	घास
564/9	1.50	घास	योग-72	354.01	घास

प्रपत्र "ब"

हाल नं०	साबिक नं०	क्षेत्रफल	घास	कैफियत
328	230,231	3.29 हे०	घास	
330	564 / 11	0.32	घास	
397	357	0.08	घास	
404	358 / 1	0.37	घास	
445	359 / 2-3	1.38	घास	
451	359 / 1	0.20	घास	
469	359 / 6	0.18	घास	
691	930 का टु०	0.37	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
694	930 का टु०	1.86	घास	
696	835 / 2-3	0.04	घास	
699	934	2.51	घास	
712	930 / 3 का टु०	0.17	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
738	929 / 2, 4, 13, 19	20.52	घास	ख०नं० 738 / 2 रकबा 0.60 हे० एवं ख०नं० 738 / 3 रकबा 1.80 हे० अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
756	929 / 4 का टु०	3.55	घास	
757	929 / 4 टु०	0.78	घास	
759	929 / 3 टु०	0.46	घास	
765	929 / 3 टु०	0.27	घास	
766	929 / 3 टु०	0.10	घास	
771	929 / 27	0.27	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
783	929 / 4 टु०	0.22	घास	
785	386	0.24	घास	
786	359 / 3	1.22	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
805	389	0.30	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
830	929 / 3 टु०	0.24	घास	

855	929/3-4 दु0	0.51	घास	ख0न0 855/2 रकबा 0.13 हे0 अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
858	—	0.20	—	भूमि-स्वामी स्वत्व से अभिलेख सुधार पश्चात् घास मद् मे दर्ज। (न्या0 ना0तह0 नवापारा के रा0प्र0क0 192 अ/6 अ वर्ष 2008-09 आदेश दिनांक 30.09.2009)
861	918/1-5	7.10	घास	
992	1006	0.17	घास	
997	934 दु0	1.04	घास	
996	934 दु0	0.03	घास	
1095	1045	0.28	घास	
1119	918/6	1.44	घास	
1122	916	1.72	घास	
1125	913	1.04	घास	
1174	678	0.65	घास	
1182	918/5	1.97	घास	
1184	643/2	2.11	घास	
1216	643/1	0.31	घास	
1220	495/2	0.15	घास	
1223	929/25	0.14	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
1254	410/1-3	0.25	घास	
1340	511	0.04	घास	
1378	417	0.76	घास	
1415	1359/7	0.63	घास	
1434	359/2-3-9	0.30	घास	
1563	359/1	0.06	घास	
1646	293/2 का दु0	0.14	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
1648	293/2 का दु0	0.05	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व मे दर्ज
1649	293/2 दु0	0.13	घास	
1654	293/2 दु0	0.05	घास	

1659	293/1 का दु0	0.15	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व में दर्ज
1676	293/6	0.07	घास	
1726	293/4		घास	
1758	293/2 दु0	0.14	घास	
1760	293/1 दु0	0.40	घास	
1805	532/2	0.20	घास	
1808	533	0.13	घास	
1815	577/1	0.55	घास	
1895	554/14	0.22	घास	
1999	564/3	3.05	घास	
2017	606/3	1.41	घास	
2019	606/5	0.13	घास	
2024	564/3	0.18	घास	
2026	564/2	0.61	घास	
2056	606/1	0.42	घास	
2083	606/11-10 दु0	1.60	घास	
2107	557/7 दु0	0.08	घास	
2108	559/7	0.38	घास	
2119	532/2	0.61	घास	ख0न0 2119/2 रकबा 0.001/2 हे0 अभिलेख सुधार पश्चात् आबादी सूद में दर्ज।
2141	689/1	0.31	घास	
2315	892	0.09	घास	
2327	886	0.04	घास	
2387	835/1-3	2.76	घास	
2397	835/1-3	0.94	घास	

2396	835/1-3	2.11	घास	
2435	835/3 टु0	0.25	घास	
2667	1261	1.21	घास	
2718	1239/7	0.23	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व में दर्ज
2573	833/1-2-3	6.86	घास	
2737	1223/1	0.12	घास	
2751	1231/1	0.10	घास	अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व में दर्ज
2752	1231/2	0.06	घास	
2845	1181	0.04	घास	
2991	1151/5 टु0	0.08	घास	
2992	1151/5 टु0	0.18	घास	
3031	1097/4	0.17	घास	
3067	1086	0.06	घास	
3085	1068/1	4.57	घास	
3088	1068/1	0.13	घास	
756/3122	929/1 टु0	0.66	घास	
2745/3152	1231 टु0	0.13	घास	
3029/3153	1068/1	0.75	घास	
3100/3154	1069	0.21	घास	
2728/3156	1068/2	0.47	घास	
1307/3164	495/1-2	1.30	घास	ख0नं0 1307/2 रकबा 0.24 हे0 अभिलेख सुधार पश्चात् भूमि-स्वामी स्वत्व में दर्ज।
2667/3165	1264	0.75	घास	
2573/3128	-	0.05	-	भूमि-स्वामी स्वत्व से अभिलेख सुधार पश्चात् घास मद् से दर्ज (न्या. ना.तह. नवापारा के रा.प्र. क. 19अ/6 अ वर्ष 2008-09 आदेश दिनांक 30.09.2009)
योग	97	-	96.32	

प्रपत्र "स"

खसरा न०	रकबा	नाम	आदेश दिनांक
691	0.37 हे०	मथुरा दास/गोकुल दास	न्यायालय नायब तहसीलदार नवापारा के रा०म०क० 40 अ/6 (अ) 01-02 में पारित आदेश दिनांक 08/02/02
712	0.17	जमुनादास/गो कुल दास	न्यायालय नायब तहसीलदार नवापारा के रा०म०क० 41 अ/6 (अ) 01-02 में पारित आदेश दिनांक 08/02/02
738/2	0.60	रसाल द्विवेदी/बी. एन. द्विवेदी	न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर के राजस्व अपील क्र० 202011970100005/30 ब/121 वर्ष 2020-21 आदेश दिनांक 05.01.2021 के परिपालन में तहसीलदार नवापारा के ज्ञापन क्र०/ /तह. /वा-2/2021 दिनांक 05.02.2021 के अनुसार
738/3	1.80	रसाल द्विवेदी/बी. एन. द्विवेदी	न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर के राजस्व अपील क्र० 202011970100005/30 ब/121 वर्ष 2020-21 आदेश दिनांक 05.01.2021 के परिपालन में तहसीलदार नवापारा के ज्ञापन क्र०/ /तह. /वा-2/2021 दिनांक 05.02.2021 के अनुसार
771/1	0.15	मालिक राम पिता साखू	न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा रा०प्र०क० 146 अ/6 (अ) वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 31.08.2012 के अनुसार बंदोबस्त त्रुटि सुधार
771/2	0.12	रामस्वरूप पिता बिरझू साहू	न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा रा०प्र०क० 146 अ/6 (अ) वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 31.08.2012 के अनुसार बंदोबस्त त्रुटि सुधार
786/1	0.48	माखन लाल पिता बंशीलाल	न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय रायपुर के राजस्व मामला क्र० 12 अ/59 वर्ष 2007-08 आदेश दिनांक 30.12.2007 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के रा०प्र०क० 01 अ/19 नामांतरण क्र० 185 आदेश दिनांक 24.02. 2009 के अनुसार शासन से पट्टा प्राप्त।
786/2	0.84	रमाकांत पिता बलराम तिवारी	अपर कलेक्टर महोदय के रा०प्र०क० 12 अ/59 आदेश दिनांक 30.12.2007 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार नवापारा आदेश दिनांक 30.07.2008 के अनुसार शासन से पट्टा प्राप्त।
805/1	0.16	माखन लाल पिता बंशीलाल	श्रीमान् कलेक्टर महोदय रायपुर के रा०प्र०क० अ/59 आदेश दिनांक 30.12.2007 एवं न्या० ना० तह० गोबरा नवापारा 01 अ/19 नामांतरण क्र० 185 आदेश दिनांक 24.02.2009 के अनुसार शासन से पट्टा प्राप्त।

805/2	0.14	रमाकांत पिता बलराम तिवारी	अपर कलेक्टर महोदय रायपुर के रा0प्र0क0 12 अ/59 आदेश दिनांक 30.12.2007 एवं न्यायालय ना0तह0 नवापारा के आदेश दिनांक 30.07.2008 के अनुसार शासन से पट्टा प्राप्त।
855/2	0.13	कुमारी पिता इतवारी	न्या0 ना0तह0 नवापारा का रा0प्र0क0 21 अ/6 अ आदेश दिनांक 24.02.2009 के अनुसार नामांतरण क0 186
1646	0.14	मदन लाल पिता रामबिशाल	न्या0 ना0तह0 नवापारा के रा0प्र0क0 05 अ/6 अ आदेश दिनांक 30.10.2006 के परिपालन में एवं रकबा में कमी से अभिलेख दुरुस्त
1648	0.05	शंकर लाल पिता सुनहर	न्या0 ना0तह0 नवापारा के रा0प्र0क0 05 अ/6 अ आदेश दिनांक 30.10.2006 के परिपालन में अभिलेख दुरुस्त
1659	0.15	जितेन्द्र शर्मा पिता कुंजलाल	न्या0 ना0तह0 नवापारा के प्रकरण क0 123 अ/6 अ वर्ष 2011-12 आ0 दिनांक 24.08.2012 के आदेशानुसार
1815/2	0.04	लखन पिता सीताराम	न्या0 ना0तह0 नवापारा का प्रकरण क0 89 अ/6 आदेश दिनांक 04.04.2008 के अनुसार त्रुटि सुधार से।
2119/2	0.01/2	आबादी	न्या0 अपर कलेक्टर रायपुर के रा0प्र0क0 10 अ/59 2000-01 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2001 को आबादी घोषित होने से
2718	0.23	कुंजलाल पिता हेमधर	न्या0 ना0तह0 नवापारा के रा0प्र0क0 41 अ/6 अ आदेश दिनांक 26.02.2007 के परिपालन में।
2751	0.10	बंशीलाल पिता बिसाहू राम	न्या0 ना0तह0 नवापारा के रा0प्र0क0 39 अ/6 अ वर्ष 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2010 के अनुसार बंदोबस्त त्रुटि सुधार से।
1307/316 4/2	0.24	भरत पिता सुखूराम ढीमर	कैफियत कॉलम में उल्लेख नहीं।
1223	0.14	शरद पिता कलीराम	न्या0ना0 तह0 नवापारा के रा0मा0क0 40 अ/6 (अ) वर्ष 2010-11 आदेश दिनांक 30.06.2011

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2179) के भाग (क) की जानकारी]

जिला - बलौदाबाजार

स.क.	चयनित वर्ष	विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्राम का नाम
1	2	3	5
1	2018-2019	बलौदाबाजार	जुड़ा
2			पलारी
3		सुन्दरावन	
4		अछोली	
5		कसडोल	मडवा
6		सिमगा	चकरवाय
7		बिलाईगढ़	पंडरीपाली
8			सेन्दुरस
9			ओड़काकन
10			जमगहन
11	2019-2020	बलौदाबाजार	डोटोपार
12			कर्माडीह
13		पलारी	जुनवानी
14			नवागांव
15		सिमगा	बैकोनी
16			डिग्गी
17			माढर
18		बिलाईगढ़	देवरबोड़
19			तिहलीपाली
20			मोहतरा
21			दुरुंग
22			मुड़पार
23			बलौदी
24			सरधाभाटा
25	बिसनपुर		
26	2020-2021	बलौदाबाजार	परसाबाडर
27			परसाडीह
28			खम्हरिया
29			डाबाडीह

स.क.	चयनित वर्ष	विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्राम का नाम
1	2	3	5
30		पलारी	खपरी
31			खैरा
32			परसवानी
33			चुचरुंगपुर
34			मुड़ियाडीह
35		भाटापारा	मजगांव
36			भरतपुर
37			कैठी
38			राजपुर
39		सिमगा	हरिनभाटा (हरिनभट्ट)
40		बिलाईगढ़	भिनौदा
41			डोमुहानी
42			पीपरडुला
43			कोदवा
44			सोहागपुर
45			बगलोटा
46			धानगांव
47			खैरझिटी
48			जोगेसरा
49			गदहाभाटा
50			कोट
51			जोरापाली
52			रमतला
53			गाड़ापाली
54			मुछमल्दा
55		करबाडबरी	

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2186) के भाग (क) की जानकारी]

डीएफएफ मद से प्राप्त राशि की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	तिथि	राशि	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
वर्ष 2019-20				
1	जांजगीर-चाम्पा	20.02.2020	4161600	हाई स्कूल में लैब स्थापना
2		04.03.2020	1000000	लायब्रेरी हेतु पुस्तक क्रय
योग			5161600	
3	रायगढ़	10.10.2019	8847348	शिक्षण कार्य हेतु मानदेय
4		20.11.2019	7226000	सेनेटरी नेपकिन
5		20.11.2019	33500000	स्मार्ट क्लास की स्थापना
6		23.11.2019	10040310	व्हाइट बोर्ड की आपूर्ति हेतु
			59613658	
वर्ष 2020-21				
7	जांजगीर-चाम्पा	22.05.2020	4161600	हाई स्कूल में लैब स्थापना
8		22.05.2020	3141632	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना
9		22.05.2020	11195840	ग्रीनबोर्ड प्रदाय
10		22.05.2020	21373670	विद्यार्थी फर्नीचर की आपूर्ति
11		16.07.2020	8400000	स्मार्ट क्लास की स्थापना
12		14.07.2020	16775702	व्हाइट बोर्ड की आपूर्ति हेतु
13		11.08.2020	16184000	हाई स्कूल में लैब स्थापना
14		14.08.2020	18101200	हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल में शुद्ध पेयजल सुविधा हेतु आर.ओ.
15		14.08.2020	2798960	ग्रीनबोर्ड प्रदाय
16		14.08.2020	16173080	विद्यार्थी फर्नीचर की आपूर्ति
17		27.08.2020	12600900	स्मार्ट क्लास रूम हेतु डिजिटल टिचिंग डिवाइस
18		03.09.2020	5343418	विद्यार्थी फर्नीचर की आपूर्ति
19		07.09.2020	785408	मॉड्यूलर क्लास रूम की स्थापना
20		21.09.2020	6126800	हाई स्कूल में लैब स्थापना
21		20.10.2020	4193136	व्हाइट बोर्ड की आपूर्ति हेतु
22		24.10.2020	4043980	विद्यार्थी फर्नीचर की आपूर्ति

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2227) के भाग (ख) एवं (घ) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरिया जिला अंतर्गत शालाओं हेतु फर्नीचर क्रय की मात्रा एवं दर की जानकारी

क्र.	सप्लायर/संस्था/फर्म का नाम	फर्नीचर का प्रकार	फर्नीचर सप्लाय विवरण	
			संख्या	दर रु.
1	2	3	4	5
वर्ष 2019-20				
1	महालक्ष्मी इण्डस्ट्रीज सूरजपुर	स्टूडेंट डेस्क	1402	1106
		स्टूडेंट बैंच	1402	866
		टेबल	150	3190
		चेयर	290	1760
		आलमारी	65	7315
2	जयमहामाया फर्नीचर बैकुण्ठपुर	स्टूडेंट डेस्क	810	1106
		स्टूडेंट बैंच	810	866
3	महामाया स्टील बैकुण्ठपुर	स्टूडेंट डेस्क	1592	1106
		स्टूडेंट बैंच	1592	866
		टेबल	100	3190
		चेयर	301	1760
		आलमारी	38	7315
4	महामाया इंजीनियरिंग बैकुण्ठपुर	स्टूडेंट डेस्क	228	1106
		स्टूडेंट बैंच	328	866
		टेबल	70	3190
		चेयर	134	1760
		आलमारी	41	7315
		रैक	30	2243
5	आर.के. सेल्स बिलासपुर	स्टूडेंट डेस्क	472	1106
		स्टूडेंट बैंच	472	866
		टेबल	30	3190
		चेयर	60	1760
		रैक	12	2243
		स्टूल	120	509
		टेबल बड़ा	20	9084
		टेबल छोटा	40	3823
		आलमारी बड़ा	38	7315

क्र.	सप्लायर/संस्था/फर्म का नाम	फर्नीचर का प्रकार	फर्नीचर सप्लाइ विवरण	
			संख्या	दर रु.
1	2	3	4	5
		आलमारी छोटा	20	4046
		रैक	120	2453
		रिवाल्विंग चेयर	20	2758
		आफिस चेयर	180	1760
		कम्प्यूटर चेयर	20	1980
		कम्प्यूटर टेबल	20	2475
6	शुभम इंजीनियरिंग बैकुण्ठपुर	स्टूडेंट डेस्क	580	1106
		स्टूडेंट बैंच	580	866
		टेबल	40	3190
		चेयर	80	1760
		स्टूल	140	509
		आलमारी बड़ा	44	7315
		रैक	16	2243
		टेबल बड़ा	20	9084
		टेबल छोटा	40	3823
		आलमारी छोटा	20	4046
		रैक	120	2453
		रिवाल्विंग चेयर	120	2758
		आफिस चेयर	180	1760
		कम्प्यूटर चेयर	20	1980
		कम्प्यूटर टेबल	20	2475
7	अम्बिका फेब्रिकेशन बैकुण्ठपुर	स्टूडेंट डेस्क	339	1106
		स्टूडेंट बैंच	339	866
		टेबल	50	3190
		चेयर	100	1760
		आलमारी	30	7315
		रैक	19	2243
8	अजय इण्डस्ट्रीज बिलासपुर	स्टूडेंट डेस्क	232	1106
		स्टूडेंट बैंच	232	866
		टेबल	15	3190
		चेयर	30	1760
		स्टूल	30	509
		आलमारी	9	7315
		रैक	6	2243
9	बालाजी स्टील इण्डस्ट्रीज रायपुर	टेबल बड़ा	11	9084
		टेबल छोटा	22	3823
		आलमारी बड़ा	11	7315
		आलमारी छोटा	11	4046
		रैक	66	2453

क्र.	सप्लायर/संस्था/फर्म का नाम	फर्नीचर का प्रकार	फर्नीचर सप्लाय विवरण	
			संख्या	दर रु.
1	2	3	4	5
		रिवाल्विंग चेयर	11	2758
		आफिस चेयर	99	1760
		स्टूल	33	
		कम्प्यूटर चेयर	11	1980
		कम्प्यूटर टेबल	11	2475
10	खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन बिलासपुर	टेबल बड़ा	30	9084
		टेबल छोटा	60	3823
		आलमारी बड़ा	30	7315
		आलमारी छोटा	30	4046
		रैक	180	2453
		रिवाल्विंग चेयर	30	2758
		आफिस चेयर	270	1760
		स्टूल	90	509
		कम्प्यूटर चेयर	30	1980
		कम्प्यूटर टेबल	30	2475
योग (वर्ष 2019-20)			15544	
वर्ष 2020-21 (10 फरवरी 2021 तक)				
1	एस.आर. ट्रेडलिंक्स मनेन्द्रगढ़	टेबल	161	4000
		चेयर	763	1760
		स्टूल	168	509
		आलमारी	76	7315
		रैक	56	2453
2	के.जी.एन. स्टील धमतरी	स्टूडेन्ट डेस्क	1339	1106
		स्टूडेन्ट बैंच	1339	866
3	स्टार इंजीनियरिंग वर्क धमतरी	स्टूडेन्ट डेस्क	1356	1106
		स्टूडेन्ट बैंच	1357	866
4	महावीर इण्डस्ट्रीज धमतरी	टेबल	89	4000
		चेयर	2403	1760
		स्टूल	178	509
		आलमारी	89	7315
		रैक	267	2453
योग (वर्ष 2020-21)			9641	

प्रपत्र "ब"

फर्नीचर विहीन शालाओं की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	शाला का नाम
1	2	3
1	खडगवा	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, सकडा
2	खडगवा	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, मेन्डा
3	खडगवा	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, पैनरी
4	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, बेलबहरा
5	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, धरमपुर
6	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, सोनहरी
7	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, बिछियाटोला
8	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, बिरौरीडांड
9	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, बहेराटोला
10	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, भौता
11	मनेन्द्रगढ़	शास. पूर्व माध्यमिक शाला, फरसगढ़ी

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "सोलह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 377) के भाग (क) की जानकारी]

क	तहसील का नाम	सीमांकन	आयवर्सन	नामांतरण (विवादित)	नामांतरण (अविवादित)	बटाकन/ बटवारा (विवादित)	बटाकन/ बटवारा (अविवादित)
		लंबित	लंबित	लंबित	लंबित	लंबित	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायगढ़	242	102	657	158	57	0
2	पुसौर	149	0	143	0	108	0
3	खरसिया	66	60	282	0	131	0
4	सारंगढ़	46	86	270	0	110	0
5	बरमकेला	41	0	15	0	41	0
6	घरघोडा	80	51	168	0	48	0
7	तमनार	39	0	155	0	62	0
8	लैलूंगा	51	26	55	0	34	0
9	धरमजयगढ़	138	33	162	0	74	0
	योग	852	358	1907	158	665	0

A-45

[16 मार्च, 2021]

परिशिष्ट "सत्रह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1201) के भाग (ग) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत परियोजना मद से प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य	कार्यवार स्वीकृत राशि	विकास खण्ड का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य की स्थिति			कार्यवार एजेंसी को भुगतान की गई राशि
							पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2019-20	20.000	पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों एवं ईएमआरएस में कम्प्यूटर लैब की स्थापना	20.000	अंतागढ़	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकर	-	-	अप्रारंभ	0.00
2	2019-20	1.725	आश्रम एवं छात्रावासों में पेयजल की सुविधा हेतु (आर.ओ.वाटर प्यूरीफायर और वाटर कूलर)	1.725	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	
3	2019-20	20.000	पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों एवं ईएमआरएस में कम्प्यूटर लैब की स्थापना	20.000	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
4	2019-20	5.180	आश्रम शालाओं में निवासरत छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकीन का प्रदाय	5.180	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
5	2019-20	1.200	स्वस्थ साथी पहल	1.200	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
6	2019-20	2.720	लाख उत्पादन प्रशिक्षण	2.720	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
7	2019-20	2.200	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में टी.बी. से बचाव हेतु पहल	2.200	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
8	2019-20	1.000	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण	1.000	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
9	2019-20	0.420	सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम	0.420	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00

क्र	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत परियोजना मद से प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य	कार्यवार स्वीकृत राशि	विकास खण्ड का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य की स्थिति			कार्यवार एजेंसी को भुगतान की गई राशि
							पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	2019-20	0.520	पारंपरिक दाईयों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	0.520	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
11	2019-20	0.880	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जीव जंतुओं के काटने पर उपचार	0.880	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
12	2019-20	9.840	शिशुओं एवं माताओं में कुपोषण दर में कमी लाने हेतु फुलवारी केन्द्रों का पुनरुद्धार हेतु	9.840	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
13	2019-20	4.590	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में बाईक एम्बुलेंस का प्रदाय	4.590	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
14	2019-20	0.250	क्रेडा विभाग की सौर सुजला योजना से सोलर पंप की स्थापना कृषि सिंचाई हेतु	0.250	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
15	2019-20	0.250	क्रेडा विभाग की सौर सुजला योजना से सोलर पंप की स्थापना कृषि सिंचाई हेतु	0.250	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
16	2019-20	4.000	प्राथमिक आश्रम शालाओं के लिए कम्प्यूटर एडेड लर्निंग	4.000	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
17	2019-20	6.040	आश्रम शालाओं और स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना	6.040	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00
18	2019-20	18.000	स्थानीय नरवा, गरवा,घुरवा बाड़ी अवधारणा सहित छ.ग. के जनजातीय कृषि प्रणालियों का पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत मिलेट रिजर्विनेशन प्रोजेक्ट सहित	18.000	अंतागढ़	मु.का.अधि.ज.पं. अंतागढ़	-	-	अप्रारंभ	0.00

क्र	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत परियोजना मद से प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य	कार्यवार स्वीकृत राशि	विकास खण्ड का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य की स्थिति			कार्यवार एजेंसी को भुगतान की गई राशि
							पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	2019-20	2.415	आश्रम एवं छात्रावासों में पेयजल की सुविधा हेतु (आर.ओ.वाटर प्यूरीफायर और वाटर कूलर)	2.415	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
20	2019-20	7.770	आश्रम शालाओं में निवासरत छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकीन का प्रदाय	7.770	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
21	2019-20	3.300	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में टी.बी. से बचाव हेतु	3.300	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
22	2019-20	1.800	स्वस्थ साथी पहल	1.800	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
23	2019-20	4.000	लाख उत्पादन प्रशिक्षण	4.000	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
24	2019-20	1.500	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण	1.500	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
25	2019-20	0.660	सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम	0.660	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
26	2019-20	1.040	पारंपरिक दाईयों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	1.040	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.पं. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00

क्र	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत परियोजना मद से प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य	कार्यवार स्वीकृत राशि	विकास खण्ड का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य की स्थिति			कार्यवार एजेंसी को भुगतान की गई राशि
							पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	2019-20	1.360	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जीव जंतुओं के काटने पर उपचार	1.360	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.प. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
28	2019-20	14.760	शिशुओं एवं माताओं में कुपोषण दर में कमी लाने हेतु फुलवारी केन्द्रों का पुनरुद्धार हेतु	14.760	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.प. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
29	2019-20	0.500	कृषि सिंचाई हेतु सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप की स्थापना	0.500	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.प. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
30	2019-20	0.250	कृषि सिंचाई हेतु सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप की स्थापना	0.250	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.प. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
31	2019-20	9.664	आश्रम शालाओं और स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना	9.664	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.प. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
32	2019-20	4.000	प्राथमिक आश्रम शालाओं के लिए कम्प्यूटर एडेड लर्निंग	4.000	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.प. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
33	2019-20	18.000	स्थानीय नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी अवधारणा सहित छ.ग. के जनजातीय कृषि प्रणालियों का पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत मिलेट रिजुविनेशन प्रोजेक्ट सहित	18.000	कोयलीबेड़ा	मु.का.अधि.ज.प. कोयलीबेड़ा	-	-	अप्रारंभ	0.00
34	2019-20 (आबंटन वर्ष 2020-21)	16.000	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ में जूनियर साईंस लैब की स्थापना (प्रति इकाई 16.00 लाख की दर से) 1 इकाई	16.000	अंतागढ़	-	-	-	अप्रारंभ	0.00

क्र	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत परियोजना मद से प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य	कार्यवार स्वीकृत राशि	विकास खण्ड का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य की स्थिति			कार्यवार एजेंसी को भुगतान की गई राशि
							पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	2019-20 (आबंटन वर्ष 2020-21)	500.000	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ का उन्नयन- स्टॉफ क्वाटर, बाउंड्रीवाल एवं आडिटोरियम भवन का निर्माण(प्रति इकाई 500.00 लाख की दर से) 1 इकाई	500.000	अंतागढ़	-	-	-	अप्रारंभ	0.00
36	2019-20 (आबंटन वर्ष 2020-21)	99.953	प्री.मै. अनु.जनजाति.कन्या छात्रावास बड़गांव भवन निर्माण (प्रति इकाई 152.97 लाख की दर से) 1 इकाई	99.953	कोयलीबेड़ा	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जिला कांकेर	-	-	अप्रारंभ	0.00
37	2019-20 (आबंटन वर्ष 2020-21)	15.000	कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर लैब की स्थापना 5.00 लाख प्रति इकाई की दर से 03 संस्था (आयुक्त बस्तर संभाग से प्राप्त)	15.000	अंतागढ़, कोयलीबेड़ा	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर	-	अपूर्ण	-	0.00
योग :-		800.787		800.787						

परिशिष्ट "अट्ठारह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1319) के भाग (ख) की जानकारी]

शासकीय राजपत्र 1989 तथा औकाफ की पंजी के अनुसार जिलेवार वक्फ संपत्तियों की स्थिति

शासकीय राजपत्र 1989 तथा औकाफ की पंजी के अनुसार जिलेवार वक्फ संपत्तियों की स्थिति		
1	बालोद	24
2	बलौदाबाजार	22
3	बलरामपुर	25
4	बेमेतरा	44
5	बीजापुर	11
6	बिलासपुर	40
7	दत्तेवाड़ा	9
8	धमतरी	22
9	दुर्ग	38
10	गरियाबंद	19
11	जगदलपुर	8
12	जांजगीर चांपा	70
13	जशपुर	8
14	कांकेर	11
15	कवर्धा	24
16	कोण्डागांव	6
17	कोरबा	24
18	कोरिया	47
19	महासमुन्द	30
20	मुंगेली	24
21	रायगढ़	25
22	रायपुर	25
23	राजनांदगांव	61
24	सुरजपुर	82
25	सुकमा	7
26	सरगुजा	86
27	पेण्ड्रा	8
28	नारायणपुर	1
	कुल	801

परिशिष्ट "उन्नीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1981) के भाग (क) की जानकारी]

क0	जिले का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	विकाससमूहवार भरे पदों का विवरण					रिक्त पद	टिप्पणियाँ
					कोण्डागांव	माकडी	फरसगांव	केशकाल	बडेराजपुर		
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोण्डागांव	अपर कलेक्टर	1	0	0	0	0	0	0	1	जिला स्तर के पद
2		संयुक्त कलेक्टर	1	0	0	0	0	0	0	1	जिला स्तर के पद
3		डिप्टी कलेक्टर	5	7	0	0	0	0	0	0	जिला स्तर के पद उप जिला निर्वाचन अधिकारी के स्वीकृत पद के विरुद्ध 01 पद कार्यरत एवं 01 पद अधिक कार्यरत ।
4		तहसीलदार	5	3	0	0	1	1	1	2	
5		अतिरिक्त तहसीलदार	1	0	0	0	0	0	0	1	
6		नायब तहसीलदार	9	7	2	1	2	2	0	2	
7		अधीक्षक भू अभिलेख	1	0	0	0	0	0	0	1	जिला स्तर के पद
8		सहायक अधीक्षक भू अभिलेख	4	4	0	0	0	0	0	0	जिला स्तर के पद
9		राजस्व निरीक्षक	23	16	9	1	3	2	1	7	
10		पटवारी	150	150	47	27	30	25	21	0	
		योग :-	200	187	58	29	36	30	23	15	

परिशिष्ट "बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2012) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा उपार्जन केन्द्रवार धान खरीदी की जानकारी

(मात्रा क्विंटल व राशि लाख में)

क्र.	ग्रामों का नाम जहां समिति स्थापित है	ग्रामों का नाम जहां उपार्जन केन्द्र स्थापित है	धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या	कुल उपार्जित धान की मात्रा
1	सकरी	सकरी	842	36765.20
2	सिवनी	सिवनी	961	43500.40
3	बेन्दी	बेन्दी	623	27415.20
4	अभनपुर	अभनपुर	1451	54624.40
5	चण्डी	चण्डी	901	37885.60
6	केन्दी	केन्दी	1222	52941.20
7	पचेडा	पचेडा	815	33452.80
8	रवेली	रवेली	1087	41589.60
9	सारखी	सारखी	901	37287.60
10	ढोढर्रा	ढोढर्रा	803	30347.20
11	परसदा	परसदा	823	35746.80
12	टिकारी	टिकारी	1225	47406.40
13	खोरपा	खोरपा	1426	54445.20
14	खिलौरा	खिलौरा	628	24357.20
15	मानिकचौरी	मानिकचौरी	1820	66821.20
16	तोरला	तोरला	979	37585.60
17	तामासिवनी	तामासिवनी	1126	43022.40
18	पटेवा	पटेवा	1044	35215.60
19	बंजारी	बंजारी	714	27996.40
20	पिपरौद	पिपरौद	1066	40753.60
21	नवापारा	नवापारा	1131	37216.40
22	पोड	पोड	1349	55444.00
23	चांपाझर	चांपाझर	914	36072.00
24	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा	1400	55228.80
25	टीला	टीला	1027	39666.40
26	कठिया	कठिया	889	37123.60
27	जामगांव	जामगांव	1118	50487.20
28	मोखला	मोखला	1035	52970.00
29	पंधी	पंधी	535	18831.20
30	भिलाई	भिलाई	799	33809.60
31	भलेरा	भलेरा	573	24320.00
32	गोईन्दा	गोईन्दा	1147	50487.60
33	गौरभाठ	गौरभाठ	1203	46414.00
	योग		33577	1347230.40

परिशिष्ट "ईक्कीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2188) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला-जाजगीर-चांपा

(राशि रूपए लाख में)

क	वर्ष	विधानसभा का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	2019-20	जाजगीर-चांपा	20.00
2	2019-20	पामगढ़	44.88
3	2019-20	अकलतरा	20.00
4	2019-20	जैजैपुर	71.50
5	2019-20	सक्ती	25.00
6	2019-20	चन्द्रपुर	73.50
योग			254.88
1	2020-21	जाजगीर-चांपा	19.50
2	2020-21	पामगढ़	35.00
3	2020-21	अकलतरा	20.00
4	2020-21	जैजैपुर	72.40
5	2020-21	सक्ती	33.20
6	2020-21	चन्द्रपुर	76.30
योग			256.40

प्रपत्र "ब"

जिला-जाजगीर-चांपा

(राशि रूपए लाख में)

क	वर्ष	कार्य का विवरण एवं स्वीकृत कार्य स्थल	विधानसभा	स्वीकृत राशि	अनुशंसा
1	2	3	4	5	6
1	2019-20	सायकल स्टैंड शोड निर्माण (शा.कन्या उच्च. मा. वि. पामगढ़) पामगढ़	पामगढ़	2.00	मान. विधायक पामगढ़
2	2019-20	अतिरिक्त कक्ष निर्माण (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़) पामगढ़	पामगढ़	5.00	मान. विधायक पामगढ़
3	2019-20	शौचालय निर्माण (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़) पामगढ़	पामगढ़	5.00	मान. विधायक पामगढ़
4	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (बसंत दुकान से कंजीनाला की ओर) बेल्हा	पामगढ़	5.00	मान. विधायक पामगढ़
5	2019-20	नाली निर्माण (प्रा.शा. से आगे की ओर) बेल्हा	पामगढ़	3.94	मान. विधायक पामगढ़
6	2019-20	नाली निर्माण (प्रेमचंद के घर से कंजीनाला की ओर) बेल्हा	पामगढ़	3.94	मान. विधायक पामगढ़
7	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण लगरा	पामगढ़	5.00	मान. विधायक पामगढ़
8	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण भिलौनी	पामगढ़	5.00	मान. विधायक पामगढ़
9	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण पड़रिया	पामगढ़	5.00	मान. विधायक पामगढ़
10	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण तुस्मा	पामगढ़	5.00	मान. विधायक पामगढ़
11	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (भरत घर से के.डी. घर की ओर) जेठा	सक्ती	5.00	मान. विधायक सक्ती
12	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (हीरालाल घर से शा.प्रा.शा. की ओर) बारद्वारा बस्ती	सक्ती	5.00	मान. विधायक सक्ती
13	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (दीप्रक घर से चारमांठा तालाब की ओर) लहंगा	सक्ती	5.00	मान. विधायक सक्ती
14	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (पुनीराम घर से सोनीराम घर की ओर) किरारी	सक्ती	5.00	मान. विधायक सक्ती
15	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (सुकुल कोसले के घर स दिलसाय कुरे घर की ओर) बाराद्वारा बस्ती	सक्ती	5.00	मान. विधायक सक्ती
16	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (संजय घर से हेमलाल घर तक) कटेकोनी छोटे	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
17	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (मिलनदास घर से नकटा तालाब की ओर) देवरघटा	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
18	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (डोरी घर से चौहान घर तक) सकराली	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
19	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (स्कूल से आंगनबाड़ी की ओर) केनापाली	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
20	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (केलहा घर से पनखल्ली की ओर) बरतुंगा	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
21	2019-20	नाली निर्माण (अशोक चन्द्रा के घर से नाला की ओर) अण्डी	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
22	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (मेनरोड से धनीराम कुरे घर की ओर) चारपारा	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
23	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (निर्मला घाट से बैगा घर की ओर) सर्करा	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
24	2019-20	छतदार चबूतरा निर्माण (पुनीराम अंचल घर के पास) बासिन	चन्द्रपुर	1.50	मान. विधायक चन्द्रपुर
25	2019-20	छतदार चबूतरा निर्माण (बाजार पारा में शास.प्रा.शा. के पास) पिरदा	चन्द्रपुर	2.00	मान. विधायक चन्द्रपुर

क्र	वर्ष	कार्य का विवरण एवं स्वीकृत कार्य स्थल	विधानसभा	स्वीकृत राशि	अनुशस
1	2	3	4	5	6
26	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (पूलिया से बुदराम खाण्डे घर की ओर) चारपारा	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
27	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (सुभाष के घर से चंदन तालाब की ओर) नगझर	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
28	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (प्रदीप खुटे घर से आगे की ओर) जमगहन	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
29	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (गोपाल घर से नहरपार की ओर) कुसमुल	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
30	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (बट्टुलाल चन्द्रा घर से ठाकुर देवता की ओर) कटारी	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
31	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (मेनरोड से प्राथमिक शाला की ओर) चरौंदी	चन्द्रपुर	5.00	मान. विधायक चन्द्रपुर
32	2019-20	सामुदायिक भवन निर्माण जगमहंत	जांजगीर	10.00	मान. विधायक जांजगीर
33	2019-20	सामुदायिक भवन निर्माण बनारी	जांजगीर	10.00	मान. विधायक जांजगीर
34	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (गोलू घर से मुक्तिधाम की ओर) जर्वे	जैजैपुर	10.00	मान. विधायक जैजैपुर
35	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (अनुरूप रात्रे घर से रामाधार घर की ओर) जर्वे	जैजैपुर	10.00	मान. विधायक जैजैपुर
36	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (मुख्य मार्ग से गुरुदयाल साहू घर की ओर) आमगांव	जैजैपुर	10.00	मान. विधायक जैजैपुर
37	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (दर्री तालाब से चंदन साहू घर की ओर) आमगांव	जैजैपुर	10.00	मान. विधायक जैजैपुर
38	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (ठाकुरदेव घर से दामो घर की ओर) कुम्हारीकला	जैजैपुर	5.00	मान. विधायक जैजैपुर
39	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (मन्नाराम घर से मेनरोड की ओर) दर्री बंजर	जैजैपुर	5.00	मान. विधायक जैजैपुर
40	2019-20	मंगल भवन निर्माण रोहरा	जैजैपुर	5.00	मान. विधायक जैजैपुर
41	2019-20	मंगल भवन निर्माण मुडपार (अफरीद)	जैजैपुर	5.00	मान. विधायक जैजैपुर
42	2019-20	छतदार चबूतरा निर्माण बहेराडीह	जैजैपुर	1.50	मान. विधायक जैजैपुर
43	2019-20	मंगल भवन निर्माण जर्वे	जैजैपुर	5.00	मान. विधायक जैजैपुर
44	2019-20	सी.सी. रोड निर्माण (बेदराम घर से राधाराम घर की ओर) सलिहाभांठा (अकलसरा)	जैजैपुर	5.00	मान. विधायक जैजैपुर
45	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण भांठापारा (रसौटा)	अकलतरा	2.00	मान. विधायक अकलतरा
46	2019-20	पचरी निर्माण (परभांठा तालाब में) औराईखुर्द	अकलतरा	3.00	मान. विधायक अकलतरा
47	2019-20	एनीकट निर्माण (नाला में) सुवरमाल	अकलतरा	10.00	मान. विधायक अकलतरा
48	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (दुलेश बाई के घर से पंचराम यादव के घर तक) बाना	अकलतरा	2.00	मान. विधायक अकलतरा
49	2019-20	सी0सी0 रोड निर्माण (जयस्तम्भ मोहल्ला में) चंदनिया	अकलतरा	3.00	मान. विधायक अकलतरा
		योग	-	254.88	-

वर्ष 2020-21

1	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (त्रिभुवन घर से ब्यास घर की ओर) तुलसी	पामगढ़	5.20	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
---	---------	---	--------	------	---

क	वर्ष	कार्य का विवरण एवं स्वीकृत कार्य स्थल	विधानसभा	स्वीकृत राशि	अनुशंसा
1	2	3	4	5	6
2	2020-21	कांफ्रीटीकरण 200 मीटर (जयस्तंभ के पास) भदरा	पामगढ़	5.20	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
3	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (कमलेश घर से रामदयाल के घर तक) कुटराबोड	पामगढ़	5.20	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
4	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर ससहा	पामगढ़	5.20	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
5	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (समेलाल घर से तालाब की ओर) कुकदा	पामगढ़	5.20	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
6	2020-21	छतदार मंच निर्माण (सतनामी मोहल्ला) डिघोरा	पामगढ़	2.00	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
7	2020-21	छतदार मंच निर्माण (जयस्तंभ के पास) गंगाजल	पामगढ़	2.00	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
8	2020-21	छतदार मंच निर्माण (अंबेडकर चौक) मिस्दा	पामगढ़	2.00	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
9	2020-21	छतदार मंच निर्माण (सतनामी मंडली मोहन दिवाकर के घर के पास जयस्तंभ के बगल में) कटौद	पामगढ़	3.00	श्रीमती इंदू बंजारे, मान0 विधायक पामगढ़
10	2020-21	सामुदायिक भवन निर्माण पोड़ीकला (हराभांटा)	सक्ती	6.50	श्री चरणदास महंत, मान0 विधायक सक्ती
11	2020-21	नाली निर्माण 300 मीटर (मनोज जांगड़े घर से नहर की ओर) लीमतरा	सक्ती	6.00	श्री चरणदास महंत, मान0 विधायक सक्ती
12	2020-21	नाली निर्माण 300 मीटर (गांधी पारा अनुसूचित जाति मोहल्ला में) जाजंग	सक्ती	6.00	श्री चरणदास महंत, मान0 विधायक सक्ती
13	2020-21	सामुदायिक भवन निर्माण (अनुसूचित जाति मोहल्ला में) सुन्दरेली	सक्ती	6.50	श्री चरणदास महंत, मान0 विधायक सक्ती
14	2020-21	रंगमंच निर्माण (मुकेश सतनामी घर के पास) लीमतरा	सक्ती	3.00	श्री चरणदास महंत, मान0 विधायक सक्ती
15	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (समता चौहान घर से सलु घर की ओर) गढ़गाढी	सक्ती	5.20	श्रीमती छाया वर्मा, मान राज्य सभा सांसद
16	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (खोलबहरा घर से आगे की ओर) चंदलीडीह (कटारी)	चन्द्रपुर	5.20	श्री के.टी.एस. तुलसी, मान राज्य सभा सांसद
17	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (बबलू घर से आगे की ओर) छोटेसीपत	चन्द्रपुर	5.20	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
18	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (लोचन घर से राजेन्द्र बंजारे घर की ओर) अण्डा	चन्द्रपुर	5.20	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
19	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (मेन रोड से डाक्टर सतनामी घर की ओर) चरौदी	चन्द्रपुर	5.20	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
20	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (मुख्य सड़क से आगे की ओर) सिंघरा	चन्द्रपुर	5.20	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
21	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (महेत्तर घर से राजे के खेत की ओर) छोटेसीपत	चन्द्रपुर	5.20	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
22	2020-21	नाली निर्माण 200 मीटर (गुरुप्रसाद टंडन घर से नारायण घर की ओर) धुरकोट	चन्द्रपुर	3.50	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
23	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (मोहन सांडे घर से आगे की ओर) जमगहन	चन्द्रपुर	5.20	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
24	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (कुशल चंद घर से मुरीद घर की ओर) मेढापाली	चन्द्रपुर	5.20	श्री रामकुमार यादव, मान0 विधायक चन्द्रपुर
25	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (अनिल बढई घर से नहर की ओर) छोटेसीपत	चन्द्रपुर	5.20	माननीय अध्यक्ष महोदय
26	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (धजबाई घर से आगे की ओर) छोटेसीपत	चन्द्रपुर	5.20	माननीय अध्यक्ष महोदय

क	वर्ष	कार्य का विवरण एवं स्वीकृत कार्य स्थल	विधानसभा	स्वीकृत राशि	अनुशास
1	2	3	4	5	6
27	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (लाखा राम बरेठ के बाड़ी से गोठान की ओर) नगझर	चन्द्रपुर	5.20	श्री गुहाराम अजगल्ले, मान0 सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चौपा
28	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (कुशल घर से संतोषी घर की ओर) मेढापाली	चन्द्रपुर	5.20	श्री गुहाराम अजगल्ले, मान0 सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चौपा
29	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (गयाराम घर से नारायण चंद्रा घर की ओर) डोगा	चन्द्रपुर	5.20	श्री गुहाराम अजगल्ले, मान0 सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चौपा
30	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (गौरीबाई घर से आगे की ओर) अचरितपाली	चन्द्रपुर	5.20	श्री गुहाराम अजगल्ले, मान0 सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चौपा
31	2020-21	सामुदायिक भवन निर्माण (स्थान सूर्याश धाम) खोखरा	जांजगीर	6.50	श्री नारायण चंदेल, मान0 विधायक जांजगीर-चौपा
32	2020-21	सामुदायिक भवन निर्माण (अनुसूचित जाति वार्ड) पुटपुरा	जांजगीर	6.50	श्री नारायण चंदेल, मान0 विधायक जांजगीर-चौपा
33	2020-21	सामुदायिक भवन निर्माण (अनुसूचित जाति वार्ड) बनारी	जांजगीर	6.50	श्री नारायण चंदेल, मान0 विधायक जांजगीर-चौपा
34	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (सुखलाल कमलेश घर से भुनेश्वर सत. घर तक) बहेराडीह	जैजैपुर	3.90	श्रीमती फूलो देवी नेताम, मान. राज्य सभा सांसद
35	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 150 मीटर (खेमलाल कमलेश घर से पनखल्ली तालाब तक) छिराडीह (आमाकोनी)	जैजैपुर	3.90	श्रीमती फूलो देवी नेताम, मान. राज्य सभा सांसद
36	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 150 मीटर (बुधराम घर से साहेबलाल घर की ओर) बेलादुला	जैजैपुर	3.90	श्रीमती फूलो देवी नेताम, मान. राज्य सभा सांसद
37	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 150 मीटर (धनुहार पारा में) सलनी	जैजैपुर	3.90	श्रीमती फूलो देवी नेताम, मान. राज्य सभा सांसद
38	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (मेन रोड से जौहरी घर की ओर) तुशार	जैजैपुर	5.20	श्री के.टी.एस. तुलसी, मान. राज्य सभा सांसद
39	2020-21	मुक्तिधाम शेड सह चबूतरा सह बाऊपट्टी वाल गेट आमगांव	जैजैपुर	9.20	श्री के.टी.एस. तुलसी, मान. राज्य सभा सांसद
40	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (विजय घर से महादेव घर की ओर) ओड़ेकरा	जैजैपुर	5.20	माननीय अध्यक्ष महोदय
41	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (राम प्रसाद के घर से दीपक घर की ओर) जर्द	जैजैपुर	5.20	माननीय अध्यक्ष महोदय
42	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 100 मीटर (नंदे घर से मुन्ना घर की ओर) गाडामोर	जैजैपुर	2.60	माननीय अध्यक्ष महोदय
43	2020-21	छतदार चबूतरा निर्माण (ठकुराईन दाई के पास) धमनी	जैजैपुर	2.00	श्री केशव प्रसाद चंदा, मान0 विधायक जैजैपुर
44	2020-21	सामुदायिक भवन निर्माण (रामभाटा मोहल्ला में) ठठारी	जैजैपुर	6.50	श्री केशव प्रसाद चंदा, मान0 विधायक जैजैपुर
45	2020-21	छतदार चबूतरा निर्माण (प्राथ0 शाला प्रांगड में) खरवानी (बेलादुला)	जैजैपुर	2.00	श्री केशव प्रसाद चंदा, मान0 विधायक जैजैपुर
46	2020-21	छतदार चबूतरा निर्माण (सुन्दर नगर मोह0 में राकेश बर्मन घर के पास) बासिन	जैजैपुर	2.00	श्री केशव प्रसाद चंदा, मान0 विधायक जैजैपुर
47	2020-21	मंगल भवन (सतनाम सामुदायिक भवन) निर्माण देवरघट्टा	जैजैपुर	6.50	श्री केशव प्रसाद चंदा, मान0 विधायक जैजैपुर
48	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 200 मीटर (कोलिहा तालाब से मक्लू घर की ओर) हरदी	जैजैपुर	5.20	श्रीमती छाया वर्मा, मान. राज्य सभा सांसद
49	2020-21	सी.सी. रोड निर्माण 200 मीटर (श्याम पटेल घर से गुरुधासीदास चबूतरा की ओर) डोटमा	जैजैपुर	5.20	श्री गुहाराम अजगल्ले, मान0 सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चौपा
50	2020-21	मंच निर्माण (जैतखम के पास) चंदनिया	अकलतरा	2.00	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
51	2020-21	पचरी निर्माण (लोधिआ तालाब में) बुडगहन	अकलतरा	1.00	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा

क	वर्ष	कार्य का विवरण एवं स्वीकृत कार्य स्थल	विधानसभा	स्वीकृत राशि	अनुशंसा
1	2	3	4	5	6
52	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 100 मीटर पनोरा	अकलतरा	2.60	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
53	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 100 मीटर (धमहा धरसा पहुंच मार्ग में) खिसोरा	अकलतरा	2.60	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
54	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 100 मीटर (मुक्ति धाम तक) कोरबी	अकलतरा	2.60	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
55	2020-21	पचरी निर्माण (डबरी तालाब में) खैजा	अकलतरा	1.00	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
56	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण (मतवार यादव घर से पनपिया तालाब पचरी तक) हरदीविशाल	अकलतरा	2.60	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
57	2020-21	सी0सी0 रोड निर्माण 100 मीटर (पतिराम कुरें घर से गोपी कुरें घर तक) रोगदा	अकलतरा	2.60	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
58	2020-21	पचरी निर्माण 03 नग (अडबंधा तालाब में) रोगदा	अकलतरा	3.00	श्री सौरभ सिंह, मान0 विधायक अकलतरा
		योग	—	256.40	—

परिशिष्ट “बाईस”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2193) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विभागीय छात्रावास/आश्रमों में अनुरक्षण/लघु निर्माण मद अंतर्गत कराये गये कार्य

वर्ष 2019-20

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	कन्या छात्रावास बड़े किलेपाल	बास्तानार	कन्या छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	4.87	0	कार्य प्रगति पर
2	बालक छात्रावास बास्तानार	बास्तानार	बालक छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	4.97	0	कार्य प्रगति पर
3	बालक छात्रावास बड़े बोदेनार	बास्तानार	बालक छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	4.66	0	कार्य प्रगति पर
4	बालक आश्रम मूतनपाल	बास्तानार	बालक आश्रम भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	4.91	4.28	कार्य पूर्णता पर
5	पो0मे0 अनु0 जनजाति बालक छात्रावास धरमपुरा	जगदलपुर	पो0मे0 अनु0 जनजाति बालक छात्रावास का जीर्णोद्धार कार्य।	2.62	0	कार्य प्रगति पर
6	प्री.मे. बालक छात्रावास मांदलापाल	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास मांदलापाल का विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49650	0.497	कार्य पूर्ण
7	प्री.मे. बालक छात्रावास सोरगांव	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास सोरगांव का विद्युत मरम्मत कार्य।	0.4935	0.494	कार्य पूर्ण
8	प्री.मे. कन्या छात्रावास ढोढरेपाल	दरभा	प्री.मे. कन्या छात्रावास ढोढरेपाल का विद्युत मरम्मत कार्य।	0.4990	0.499	कार्य पूर्ण
9	प्री.मे. बालक छात्रावास मूली	बकावण्ड	प्री.मे. बालक छात्रावास बकावण्ड का विद्युत मरम्मत कार्य।	0.41282	0.412	कार्य पूर्ण
10	प्री.मे. विशिष्ट बालक छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	प्री.मे. विशिष्ट बालक छात्रावास जगदलपुर के खिड़की मरम्मत कार्य।	0.10855	0.109	कार्य पूर्ण
11	पं. नेहरू बालक छात्रावास नयापारा जगदलपुर	जगदलपुर	पं. नेहरू बालक छात्रावास नयापारा जगदलपुर में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.47963	0.4790	कार्य पूर्ण
12	प्री.मे. बालक छात्रावास कोडेनार	बास्तानार	प्री.मे. बालक छात्रावास कोडेनार में लघुमूल कार्य।	1.90728	1.907	कार्य पूर्ण
13	प्री.मे. बालक छात्रावास केशरपाल	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास केशरपाल में लघुमूल कार्य।	4.898	4.89	कार्य पूर्ण
14	प्री.मे. बालक छात्रावास पिपलावण्ड	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास फरसागुडा में लघुमूल कार्य।	1.115	1.115	कार्य पूर्ण
15	बालक आश्रम पिच्चीकोडे	लोहण्डीगुडा	बालक आश्रम भवन का जीर्णोद्धार कार्य भाग-01।	4.60	3.85	कार्य पूर्ण

क्रं.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
16	बालक आश्रम पिच्चौकोडेर	लोहण्डीगुडा	बालक आश्रम भवन का जीर्णोद्धार कार्य भाग-02।	4.97	3.95	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
17	बालक आश्रम पिच्चौकोडेर	लोहण्डीगुडा	बालक आश्रम भवन का जीर्णोद्धार कार्य, भाग-03।	4.92	4.49	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
18	बालक आश्रम पिच्चौकोडेर	लोहण्डीगुडा	बालक आश्रम भवन का जीर्णोद्धार कार्य भाग-04।	4.99	4.07	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
19	बालक आश्रम करपावण्ड	बकावण्ड	बालक आश्रम करपावण्ड का जीर्णोद्धार कार्य।	4.18	3.42	कार्य पूर्ण
20	बालक आश्रम बुरगुम	बास्तानार	बालक आश्रम बुरगुम का जीर्णोद्धार कार्य।	1.14	1.09	कार्य पूर्ण
21	बालक आश्रम शाला कापानार	बास्तानार	बालक आश्रम शाला कापानार जीर्णोद्धार कार्य।	4.87	2.17	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
22	बालक आश्रम पालानार	बास्तानार	बालक आश्रम पालानार का जीर्णोद्धार कार्य।	1.30	1.24	कार्य पूर्ण
23	कन्या आश्रम पुजारीपारा किलेपाल	बास्तानार	कन्या आश्रम पुजारीपारा किलेपाल का विद्युत मरम्मत कार्य।	1.37	1.29	कार्य पूर्ण
24	बालक आश्रम चिड़पाल	दरभा	बालक आश्रम चिड़पाल में भवन के छत का स्लेब सीपेज ट्रीटमेंट कार्य।	7.95	7.78	कार्य पूर्ण
25	बालक आश्रम बिसपुर	दरभा	बालक आश्रम बिसपुर में भोजन कक्ष एवं किचन में आर.सी.सी. स्लेब कार्य।	4.55	0	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
26	कन्या आश्रम शाला चितापुर	दरभा	कन्या आश्रम शाला चितापुर का जीर्णोद्धार कार्य।	4.90	4.29	कार्य प्रगति पर
27	कन्या आश्रम शाला सेड़वा	दरभा	कन्या आश्रम शाला सेड़वा का जीर्णोद्धार कार्य।	4.85	4.31	कार्य पूर्ण
28	बालक आश्रम तिरिया	जगदलपुर	बालक आश्रम तिरिया का मरम्मत कार्य।	4.78	4.66	कार्य पूर्ण
29	बालक आश्रम नाकटोका	बास्तानार	बालक आश्रम नाकटोका में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण (वर्ष 2016-17 के अपूर्ण कार्य को पूर्ण किये जाने हतु)	3.777	3.777	कार्य पूर्ण
30	प्री.मे. बालक छात्रावास रायकोट	रायकोट	प्री.मे. बालक छात्रावास रायकोट में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण (वर्ष 2016-17 के अपूर्ण कार्य को पूर्ण किये जाने हतु)	4.25	1.66	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
31	कन्या आश्रम मधोता	बस्तर	कन्या आश्रम मधोता में लघुमूल कार्य।	0.48828	0.48828	कार्य पूर्ण
32	बालक आश्रम रतैगा	बस्तर	बालक आश्रम रतैगा में लघुमूल कार्य।	0.48635	0.48635	कार्य पूर्ण
33	बालक आश्रम एरकोट	तोकापाल	बालक आश्रम एरकोट में लघुमूल कार्य भाग-01	0.45816	0.45816	कार्य पूर्ण
34	बालक आश्रम मारीगुडा सतोषा	बकावण्ड	बालक आश्रम मारीगुडा सतोषा में लघुमूल कार्य।	1.28632	1.28632	कार्य पूर्ण

क्रं.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
35	कन्या आश्रम बड़े बोदेनार	बास्तानार	कन्या आश्रम बड़े बोदेनार में लघुमूल कार्य	0.95890	0.95890	कार्य पूर्ण
36	बालक आश्रम छोटे किलेपाल	बास्तानार	बालक आश्रम छोटे किलेपाल में लघुमूल कार्य भाग-01	0.48916	0.48916	कार्य पूर्ण
37	बालक आश्रम नागटोका	बास्तानार	बालक आश्रम नागटोका में लघुमूल कार्य	0.49027	0.49027	कार्य पूर्ण
38	कन्या आश्रम रेटावण्ड	बस्तर	कन्या आश्रम रेटावण्ड में लघुमूल कार्य	1.20029	1.20029	कार्य पूर्ण
39	कन्या आश्रम सोनारपाल	बस्तर	कन्या आश्रम सोनारपाल में लघुमूल कार्य	1.14533	1.14533	कार्य पूर्ण
40	कन्या आश्रम भानपुरी	बस्तर	कन्या आश्रम भानपुरी में लघुमूल कार्य	1.02007	1.02007	कार्य पूर्ण
41	कन्या आश्रम चिंगपाल	दरभा	कन्या आश्रम चिंगपाल में लघुमूल कार्य।	0.05386	0.05386	कार्य पूर्ण
42	बालक आश्रम छोटे किलेपाल	बास्तानार	बालक आश्रम छोटे किलेपाल में लघुमूल कार्य	0.97833	0.97833	कार्य पूर्ण
43	बालक आश्रम पालानार	बास्तानार	बालक आश्रम पालानार में लघुमूल कार्य	0.49882	0.49882	कार्य पूर्ण
44	बालक आश्रम मूतनपाल	बास्तानार	बालक आश्रम मूतनपाल लघुमूल कार्य	0.49837	0.49837	कार्य पूर्ण
45	बालक आश्रम गड़दा	लोहण्डीगुड़ा	बालक आश्रम गड़दा में लघुमूल कार्य	0.95692	0.95692	कार्य पूर्ण
46	कन्या आश्रम मारीकोडेर	लोहण्डीगुड़ा	कन्या आश्रम मारीकोडेर में लघुमूल कार्य	1.04947	1.04947	कार्य पूर्ण
47	कन्या आश्रम पारापुर	लोहण्डीगुड़ा	कन्या आश्रम पारापुर में लघुमूल कार्य	1.84400	1.84400	कार्य पूर्ण
48	बालक आश्रम वाहनपुर	बास्तानार	बालक आश्रम वाहनपुर में लघुमूल कार्य	2.75734	2.75734	कार्य पूर्ण
49	बालक आश्रम एरकोट	तोकपाल	बालक आश्रम एरकोट में लघुमूल कार्य	0.49144	0.49144	कार्य पूर्ण
50	बालक आश्रम महकापाल	दरभा	बालक आश्रम महकापाल में लघुमूल कार्य	0.34640	0.34640	कार्य पूर्ण
51	कन्या आश्रम बागमुण्डी पनेड़ा	बास्तानार	कन्या आश्रम बागमुण्डी पनेड़ा में लघुमूल कार्य	3.88649	3.88649	कार्य पूर्ण
52	कन्या आश्रम पुजारीपारा किलेपाल	बास्तानार	कन्या आश्रम पुजारीपारा किलेपाल में लघुमूल कार्य	0.32000	0.32000	कार्य पूर्ण
53	बालक आश्रम करपावण्ड	बकावण्ड	बालक आश्रम करपावण्ड में लघुमूल कार्य।	3.06058	3.06	कार्य पूर्ण
54	कन्या आश्रम रेटावण्ड	बस्तर	कन्या आश्रम रेटावण्ड में लघुमूल कार्य।	3.462	3.462	कार्य पूर्ण

क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
55	102 आश्रम अधीक्षकों को राशि प्रदाय	जिला बस्तर	102 आश्रमों में 40000/- व 25000/- के मान से आकस्मिक कार्य हेतु अधीक्षकों राशि प्रदाय।	30.60	30.60	छात्रावास भवनों में छोटे-छोटे लघु निर्माण / मरम्मत जैसे आकस्मिक कार्य हेतु राशि अधीक्षकों को प्रदाय।
56	बालक आश्रम जामगांव	बास्तानार	बालक आश्रम जामगांव का जीर्णोद्धार कार्य।	3.57	3.46509	कार्य पूर्ण
57	बालक आश्रम छिन्दावाड़ा	दरभा	बालक आश्रम छिन्दावाड़ा में बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक 01-01 नग शौचालय निर्माण कार्य।	1.75	0	कार्य प्रगति पर
58	बालक आश्रम पेदावाड़ा	दरभा	बालक आश्रम पेदावाड़ा का मरम्मत कार्य।	4.95	3.70	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
59	बालक आश्रम गुमगा	बस्तर	बालक आश्रम गुमगा में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49200	0.49200	कार्य पूर्ण
60	कन्या आश्रम भानपुरी	बस्तर	कन्या आश्रम भानपुरी में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.60585	0.60585	कार्य पूर्ण
61	कन्या आश्रम मुण्डागांव	बस्तर	कन्या आश्रम मुण्डागांव में लघुमूल कार्य।	0.24951	0.24951	कार्य पूर्ण
62	कन्या आश्रम चमिया	बस्तर	कन्या आश्रम चमिया में लघुमूल कार्य।	0.9195	0.9195	कार्य पूर्ण
63	कन्या आश्रम सोरगांव	बस्तर	कन्या आश्रम सोरगांव में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.75600	0.75600	कार्य पूर्ण
64	बालक आश्रम ईरपा	बास्तानार	बालक आश्रम ईरपा में लघुमूल कार्य।	0.47000	0.47000	कार्य पूर्ण
65	बालक आश्रम पालानार	बास्तानार	बालक आश्रम पालानार में लघुमूल कार्य।	0.48700	0.48700	कार्य पूर्ण
66	बालक आश्रम तिरथुम	बास्तानार	बालक आश्रम तिरथुम में लघुमूल कार्य।	0.56821	0.56821	कार्य पूर्ण
67	125 छात्रावास अधीक्षकों को राशि प्रदाय	जिला, बस्तर	35 पो.में व 88 प्री.में छात्रावासों में 40000/- व 25000/- के मान से आकस्मिक कार्य हेतु अधीक्षकों राशि प्रदाय।	32.40	32.40	छात्रावास भवनों में छोटे-छोटे लघु निर्माण / मरम्मत जैसे आकस्मिक कार्य हेतु राशि अधीक्षकों को प्रदाय।
68	बालक छात्रावास फरसागुड़ा	बस्तर	बालक छात्रावास का विद्युत मरम्मत कार्य।	0.45183	0.45141	पूर्ण
69	कन्या आश्रम सोनारपाल	बस्तर	कन्या आश्रम में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49047	0.48593	पूर्ण
70	बालक छात्रावास मांदलापाल	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.48973	0.48898	पूर्ण
71	बालक छात्रावास सोनारपाल	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49762	0.49664	पूर्ण
72	बालक छात्रावास रेटावण्ड	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49375	0.49181	पूर्ण
73	बालक छात्रावास ईच्छापुर	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49603	0.49478	पूर्ण
74	बालक छात्रावास सोरगांव	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49400	0.48977	पूर्ण
75	कन्या आश्रम देऊरगांव	बस्तर	कन्या आश्रम में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49938	0.49671	पूर्ण

क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
55	102 आश्रम अधीक्षकों को राशि प्रदाय	जिला बस्तर	102 आश्रमों में 40000/- व 25000/- के मान से आकस्मिक कार्य हेतु अधीक्षकों राशि प्रदाय।	30.60	30.60	छात्रावास भवनों में छोटे-छोटे लघु निर्माण / मरम्मत जैसे आकस्मिक कार्य हेतु राशि अधीक्षकों को प्रदाय।
56	बालक आश्रम जामगांव	बास्तानार	बालक आश्रम जामगांव का जीर्णोद्धार कार्य।	3.57	3.46509	कार्य पूर्ण
57	बालक आश्रम छिन्दावाड़ा	दरभा	बालक आश्रम छिन्दावाड़ा में बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक 01-01 नग शौचालय निर्माण कार्य।	1.75	0	कार्य प्रगति पर
58	बालक आश्रम पेदावाड़ा	दरभा	बालक आश्रम पेदावाड़ा का मरम्मत कार्य।	4.95	3.70	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
59	बालक आश्रम गुमगा	बस्तर	बालक आश्रम गुमगा में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49200	0.49200	कार्य पूर्ण
60	कन्या आश्रम भानपुरी	बस्तर	कन्या आश्रम भानपुरी में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.60585	0.60585	कार्य पूर्ण
61	कन्या आश्रम मुण्डागांव	बस्तर	कन्या आश्रम मुण्डागांव में लघुमूल कार्य।	0.24951	0.24951	कार्य पूर्ण
62	कन्या आश्रम चमिया	बस्तर	कन्या आश्रम चमिया में लघुमूल कार्य।	0.9195	0.9195	कार्य पूर्ण
63	कन्या आश्रम सोरगांव	बस्तर	कन्या आश्रम सोरगांव में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.75600	0.75600	कार्य पूर्ण
64	बालक आश्रम ईरपा	बास्तानार	बालक आश्रम ईरपा में लघुमूल कार्य।	0.47000	0.47000	कार्य पूर्ण
65	बालक आश्रम पालानार	बास्तानार	बालक आश्रम पालानार में लघुमूल कार्य।	0.48700	0.48700	कार्य पूर्ण
66	बालक आश्रम तिरथुम	बास्तानार	बालक आश्रम तिरथुम में लघुमूल कार्य।	0.56821	0.56821	कार्य पूर्ण
67	125 छात्रावास अधीक्षकों को राशि प्रदाय	जिला, बस्तर	35 पो.मे. व 88 प्री.मे. छात्रावासों में 40000/- व 25000/- के मान से आकस्मिक कार्य हेतु अधीक्षकों राशि प्रदाय।	32.40	32.40	छात्रावास भवनों में छोटे-छोटे लघु निर्माण / मरम्मत जैसे आकस्मिक कार्य हेतु राशि अधीक्षकों को प्रदाय।
68	बालक छात्रावास फरसागुड़ा	बस्तर	बालक छात्रावास का विद्युत मरम्मत कार्य।	0.45183	0.45141	पूर्ण
69	कन्या आश्रम सोनारपाल	बस्तर	कन्या आश्रम में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49047	0.48593	पूर्ण
70	बालक छात्रावास मांदलापाल	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.48973	0.48898	पूर्ण
71	बालक छात्रावास सोनारपाल	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49762	0.49664	पूर्ण
72	बालक छात्रावास रेटावण्ड	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49375	0.49181	पूर्ण
73	बालक छात्रावास ईच्छापुर	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49603	0.49478	पूर्ण
74	बालक छात्रावास सोरगांव	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49400	0.48977	पूर्ण
75	कन्या आश्रम देऊरगांव	बस्तर	कन्या आश्रम में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49938	0.49671	पूर्ण

क्रं.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की मौलिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
76	कन्या आश्रम बेसुली	बस्तर	कन्या आश्रम में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.48608	0.48551	पूर्ण
77	बालक छात्रावास खोरखोसा	बस्तर	बालक छात्रावास में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.49098	0.48821	पूर्ण
78	कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर में मोटर पम्प एवं केसिंग पाईप स्थापना कार्य।	1.18	0	कार्य प्रगति पर
79	बालक छात्रावास बास्तानार	बास्तानार	बालक छात्रावास का जीर्णोद्धार कार्य।	2.55	0	कार्य प्रगति पर
80	कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर के एन.सी.सी. केम्प में पम्प एवं पाईप लाईन व विद्युत कार्य।	1.55	0	कार्य प्रगति पर
81	पो0मे0 कन्या छात्रावास धरमपुरा	जगदलपुर	पो0मे0 कन्या छात्रावास में चहार दिवारी निर्माण कार्य।	8.92	0	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष
82	प्री.मे. बालक छात्रावास आड़ावाल	जगदलपुर	प्री.मे. बालक छात्रावास आड़ावाल में लघुमूल कार्य।	0.48916	0.48916	कार्य पूर्ण
83	प्री.मे. बालक छात्रावास लामकेर	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास लामकेर में लघुमूल कार्य।	0.48916	0.48916	कार्य पूर्ण
84	प्री.मे. कन्या छात्रावास कुंगारपाल	बस्तर	प्री.मे. कन्या छात्रावास कुंगारपाल में लघुमूल कार्य।	0.48916	0.48916	कार्य पूर्ण
85	पो.मे. कन्या छात्रावास मूली	बकावण्ड	पो.मे. कन्या छात्रावास मूली में चित्रकारी कार्य।	0.98700	0.98700	कार्य पूर्ण
86	प्री.मे. बालक छात्रावास रेटावण्ड	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास रेटावण्ड में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.32157	0.32157	कार्य पूर्ण
87	प्री.मे. बालक छात्रावास फरसागुडा	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास फरसागुडा में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.32705	0.32705	कार्य पूर्ण
88	प्री.मे. कन्या छात्रावास दरभा	दरभा	प्री.मे. कन्या छात्रावास दरभा में विद्युत मरम्मत कार्य।	0.43600	0.43600	कार्य पूर्ण
89	प्री.मे. बालक छात्रावास बकावण्ड	बकावण्ड	प्री.मे. बालक छात्रावास बकावण्ड में लघुमूल कार्य।	1.296	1.296	कार्य पूर्ण
90	प्री.मे. बालक छात्रावास चिऊरगांव	बकावण्ड	प्री.मे. बालक छात्रावास चिऊरगांव में लघुमूल कार्य।	1.0335	1.0335	कार्य पूर्ण
91	प्री.मे. बालक छात्रावास सालेमेटा	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास सालेमेटा में लघुमूल कार्य।	0.54153	0.54153	कार्य पूर्ण
92	बालक विज्ञान विकास केन्द्र धुरगुडा जगदलपुर	जगदलपुर	बालक विज्ञान विकास केन्द्र धुरगुडा जगदलपुर में मरम्मत कार्य।	8.88	8.88	कार्य पूर्ण
93	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड	बकावण्ड	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड में लघुमूल कार्य।	0.73275	0.73275	कार्य पूर्ण
94	आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य बालक छात्रावास धरमपुरा जगदलपुर	जगदलपुर	आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य बालक छात्रावास धरमपुरा जगदलपुर में लघुमूल कार्य।	2.37615	2.37615	कार्य पूर्ण

क्रं.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
95	कन्या शिक्षा परिसर, भानपुरी	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर, भानपुरी में लघुमूल कार्य।	0.68110	0.68110	कार्य पूर्ण
96	प्री.मे. बालक छात्रावास केशरपाल	बस्तर	प्री.मे. बालक छात्रावास केशरपाल में लघुमूल कार्य।	0.38000	0.38000	कार्य पूर्ण
97	कन्या क्रीडा परिसर, धरमपुरा	जगदलपुर	कन्या क्रीडा परिसर, धरमपुरा में लघुमूल कार्य।	1.13000	1.13000	कार्य पूर्ण
98	शासकीय आवासगृह क्रं. 05,06, 07 एवं 08	जगदलपुर	शासकीय आवासगृह क्रं. 05,06, 07 एवं 08 नयापारा जगदलपुर में मरम्मत कार्य।	5.92	5.81	कार्य पूर्ण
99	कन्या छात्रावास (पिछड़ा वर्ग) जगदलपुर	जगदलपुर	कन्या छात्रावास (पिछड़ा वर्ग) जगदलपुर में लघुमूल कार्य	5.60	5.60	कार्य पूर्ण
100	कन्या छात्रावास (पिछड़ा वर्ग) जगदलपुर	जगदलपुर	कन्या छात्रावास (पिछड़ा वर्ग) जगदलपुर में लघुमूल कार्य	3.92	2.98215	कार्य पूर्ण
101	अनु. जाति कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जगदलपुर में लघुमूल कार्य भाग-01।	4.68	4.68	कार्य पूर्ण
			योग :-	265.68	214.20	

प्रपत्र "ब"

विभागीय छात्रावास/आश्रम भवनों में अनुरक्षण/लघु निर्माण मद अंतर्गत कराये गये कार्य

वर्ष 2020-21

(राशि लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1	कन्या आश्रम शाला बागमुण्डी पनेड़ा	बास्तानार	100 सीटर कन्या आश्रम शाला बागमुण्डी पनेड़ा का जीर्णोद्धार एवं शौचालय-स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	21.790	शौचालय स्नानागार कार्य पूर्ण एवं भवन का मरम्मत कार्य पूर्ण,
2	प्री.मे. कन्या छात्रावास बड़े किलेपाल	बास्तानार	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास बड़े किलेपाल का जीर्णोद्धार एवं शौचालय-स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	16.48	भवन का मरम्मत कार्य अंतर्गत टाईल्स कार्य एवं पोताई पेन्टिंग कार्य पूर्ण, खिड़कियों में ग्रिल लगाने का कार्य प्रगति पर
3	कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल	बस्तर	245 सीटर कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल का जीर्णोद्धार एवं शौचालय- स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	6.48	शौचालय स्नानागार में टाईल्स कार्य प्रगति पर भवन का मरम्मत कार्य अंतर्गत खिड़की दरवाजा मरम्मत व पोताई, पेन्टिंग एवं खिड़की-दरवाजा में एल्युमिनियम सेक्शन कार्य प्रगति पर
4	प्री.मे. कन्या छात्रावास लोहण्डीगुड़ा	लोहण्डी गुड़ा	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास लोहण्डीगुड़ा का जीर्णोद्धार एवं शौचालय-स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	9.12	अहाता निर्माण कार्य एवं किचन गार्डन, कोटयार्ड, किचन शेड, पोताई पेटिंग कार्य व मैदान समतलीकरण कार्य में से किचन गार्डन कार्य प्रगति पर
5	प्री.मे. कन्या छात्रावास दरभा	दरभा	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास दरभा का जीर्णोद्धार एवं शौचालय- स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	7.45	भवन का मरम्मत अंतर्गत सम्पवेल, आर.सी.सी. सेप्टिक टैंक आर.सी.सी., छत का ग्रेडिंग कार्य पूर्ण, टाईल्स कार्य, मैदान समतलीकरण कार्य, अंतर्गत टाईल्स कार्य प्रगति पर
6	प्री.मे. कन्या छात्रावास मावलीभाटा	तोकापाल	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास मावलीभाटा का जीर्णोद्धार एवं शौचालय-स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	23.14	शौचालय स्नानागार कार्य पूर्ण, एवं भवन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्णता पर

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
7	प्री.मे. कन्या छात्रावास करपावण्ड	बकावण्ड	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास करपावण्ड का जीर्णोद्धार एवं शौचालय-स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	11.61	शौचालय स्नानागार कार्य पूर्ण, एवं भवन जीर्णोद्धार कार्य पूर्णता पर
8	प्री.मे. कन्या छात्रावास धरमपुरा	जगदलपुर	150 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास धरमपुरा का जीर्णोद्धार एवं शौचालय- स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	23.46	शौचालय स्नानागार निर्माण पूर्ण, भवन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण।
9	क्रीडा परिसर धरमपुरा	जगदलपुर	100 सीटर क्रीडा परिसर धरमपुरा का जीर्णोद्धार एवं शौचालय-स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	23.29	शौचालय स्नानागार निर्माण पूर्ण, भवन जीर्णोद्धार कार्य पूर्णता पर
10	प्री.मे. कन्या आश्रम विश्रामपुरी	बस्तर	50 सीटर प्री.मे. कन्या आश्रम विश्रामपुरी का जीर्णोद्धार एवं शौचालय- स्नानागार निर्माण कार्य।	25.00	0.00	भवन में Building as Learning Aid के तहत भवन चित्रकारी का कार्य पूर्ण। बाउण्ड्रीवॉल का ऊंचाईकरण, किचन शेड, किचन गार्डन एवं बोर खनन कार्य प्रगति पर
11	82 छात्रावास अधीक्षकों को राशि प्रदाय	जिला बस्तर	82 प्री.मे. छात्रावासों में 40000/- व 25000/- के मान से आकस्मिक कार्य हेतु अधीक्षकों राशि प्रदाय।	22.45	22.45	छात्रावास भवनों में छोटे- छोटे लघु निर्माण /मरम्मत जैसे आकस्मिक कार्य हेतु राशि अधीक्षकों को प्रदाय।
12	प्री.मे. कन्या छात्रावास भवन तोकापाल	तोकापाल	प्री.मे. कन्या छात्रावास भवन तोकापाल का जीर्णोद्धार एवं पोताई पेंटिंग कार्य।	4.85	4.85	कार्य पूर्ण
13	प्री.मे. बालक छात्रावास करंजी	तोकापाल	प्री.मे. बालक छात्रावास करंजी का मरम्मत कार्य।	3.21	3.21	कार्य पूर्ण
14	कन्या आश्रम कोलेंग	दरभा	कन्या आश्रम कोलेंग का जीर्णोद्धार कार्य।	19.95	0.00	अप्रारम्भ
15	कन्या आश्रम कोलेंग	दरभा	कन्या आश्रम कोलेंग में चहार दिवारी व वैनलिकड फेंसिंग कार्य।	15.60	0.00	अप्रारम्भ
16	कन्या आश्रम कोलेंग	दरभा	कन्या आश्रम कोलेंग सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य।	0.50	0.00	अप्रारम्भ

क्र.	संस्था का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	कार्य की भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
17	बालक आश्रम कोलैंग	दरभा	बालक आश्रम कोलैंग सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य।	0.50	0.00	अप्रारम्भ
18	कन्या आश्रम कोलैंग	दरभा	कन्या आश्रम कोलैंग में किचन शेड निर्माण कार्य।	3.14	0.00	अप्रारम्भ
19	बालक आश्रम कोलैंग	दरभा	बालक आश्रम कोलैंग में शौचालय व स्नानागार निर्माण कार्य।	7.96	0.00	अप्रारम्भ
20	प्री.मे. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जगदलपुर (बोधघाट)	जगदलपुर	प्री.मे. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जगदलपुर (बोधघाट) का जीर्णोद्धार कार्य।	20.00	20.00	अप्रारम्भ
	योग :-			348.16	193.33	

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 2201) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

भारी बरसात के कारण प्रभावित ग्रामों की जानकारी

क्रमांक.	तहसील का नाम	प्रभावित ग्राम का नाम
1	जैजैपुर	पर्थरा, कोटेतरा, हरदी, जैजैपुर, अरसिया, मुक्ता, चोरभट्टी, आमगांव, दतौद, ठठारी, कचंदा, बेलादूला, नंदेली, पड़ाहरदी, गुचकुलिया, रीवांडीह, हरदीडीह, धनुहारपार, सलनी, मुरलीडीह, करौवाडीह, कुम्हारीपठान, सिरली, रायपुरा, खम्हारडीह, डोंगिया, कलमीडीह, खजुरानी सेन्दुरस, ठूठी, भोथिया, मलनी, आमापाली, खम्हरिया, अकलसरा, केकराभाठा, कांशीगढ़, करही, देवरीमठ, गुंजियाबोड़, चिस्दा, सेन्द्ररी, घिवरा, जमड़ी, घोराडीपा, हरेईखुर्द, डोमाडीह, अमलीडीह, हसौद, धमनी, ढोटमा, भनेतरा, अमोदा, बरेकेलकला, पेण्डी, बैहागुडरु, पिसौद, लालमाटी, परसदा, शिकारीनार, भोथिडीह, खम्हरिया, झालरौदा, बर्रा, चिखलरौदा, लोहराकोट, कैथा, नगारीडीह।
2	बम्हनीडीह	सरवानी, परसापाली, लखाली, झर्रा, मोहगांव, पचोरी, पुछेली, खपरीडीह, अमोदी, रोहदा, भंवरेली, बम्हनीडीह, लखुरी, भदरा, औवराडीह, मौहाडीह, कोनियापाठ, षोड़ीशंकर, कनकपुर, चारपारा, बरगडी, सोनाईडीह, करनौद, गोविंदा, कपिस्दा, बंसुला, नक्टीडीह, सेमरिया, बरकुट, चोरहादेवरी, सोनादह, बनडभरा, डभराखुर्द, तालदेवरी, बोरसी, गतवा, सिलादेही, मौहाडीह, देवरानी, बिर्रा, बसंतपुर, देवरहा।
3	मालखरौदा	कुधरी, नगझर, मरघट्टी, पिरदा, अमलीडीह, भूतहा, छोटेबरेली, पिहरीद, बड़ेरबेली, बरभांठा, जोगीडीपा, भड़ोरा, भेड़िकोना, रनपोटा, मुड़पार, सकर्रा, बन्दोरा, सिंघरा, चरौदी, बड़ेपाडरमुड़ा, चरौदा, भांटा, परसा, सपिया, बोकरेल, फगुरम, झर्रा, तौलीपाली, सारसकेला, अण्डा, औरदा, मोहंदीखुर्द, सुलौनी, पिकरीपार, कटारी, पोता, मालखरौदा, मुक्ता, घोघरी, छपोरा, बुन्देली, मोहंदीकला, सकर्रा, बसंतपुर, गोरखापाली, नवरंगपुर, सोनादुला, मन्द्रागोढी, डिक्सी, कनाईडीह, खर्री, बेल्लाडीह, चांटीपाली, खेमड़ा, बड़ेसीपत, किरकार, दलालपाली, छोटेकोट, बड़ेमुड़पार, तुलसीडीह, किरारी, परसाडीह, भठोरा, अमेराडीह, सारसडोल, सतगढ़, चिखली, बड़ेकोट, छोटेसीपत, चारपारा, नरियरा, मिरौनी, बासीन, अचरितपाली, डोमा, कुरदी, बिलाईगढ़, नवापारा, कुरदा, हरदी, अड़भार, देवगांव, बोड़ासागर, सेरो, ढिमानी, आडिल, बीरभांठा, कर्रापाली, दारीमुड़ा, आमनदुला, नवागांव, करिगांव, बरपाली।

प्रपत्र "ब"

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत मकान क्षति हेतु मुआवजा दिये गये ग्रामों की जानकारी

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम
1	जैजैपुर	पर्थरा, कोटेतरा, हरदी, जैजैपुर, अरसिया, मुक्ता, चोरभट्टी, आमगांव, दतौद, ठठारी, कचंदा, बेलादुला, नंदेली, पड़ाहरदी, गुचकुलिया, रीवांडीह, हरदीडीह, धनुहारपार, सलनी, मुरलीडीह, करौवाडीह, कुम्हारीपठान, सिरली, रायपुरा, खम्हारडीह, डोंगिया, कलमीडीह, खजुरानी सेन्दुरस, ठूठी, भोथिया, मलनी, आमापाली, खम्हरिया, अकलसरा, केकराभाठा, कांशीगढ़, करही, देवरीमठ, गुजियाबोड़, चिस्दा, सेन्द्ररी, घिवरा, जमडी, घोराडीपा, हरेईखुर्द, डोमाडीह, हसौद, धमनी, डोटमा, भनेतरा, अमोदा, बरेकेलकला, पेण्डी, बैहागुड़रु, पिसौद, लालमाटी, परसदा, शिकारीनार, भोथिडीह, खम्हरिया, झालरौदा, बर्रा, चिखलरौदा, लोहराकोट, कैथा, नगारीडीह।
2	बम्हनीडीह	सरवानी, परसापाली, लखाली, झर्रा, मोहगांव, पचोरी, पुछेली, खपरीडीह, अमोदी, रोहदा, भंवरेली, बम्हनीडीह, लखुरी, भदरा, औवराडीह, मौहाडीह, कोनियापाठ, पौंडीशंकर, कनकपुर, चारपारा, बरगड़ी, सोनाईडीह, करनौद, गोविंदा, कपिस्दा, बंसुला, नक्टीडीह, सेमरिया, बरकुट, चोरहादेवरी, सोनादह, बनडभरा, डभराखुर्द, तालदेवरी, बोरसी, गतवा, सिलादेही, मौहाडीह, देवरानी, बिर्रा, बसंतपुर, देवरहा।
3	मालखरौदा	कुधरी, नगझर, मरघट्टी, पिरदा, अमलीडीह, भूतहा, छोटेरबेली, पिहरीद, बड़ेरबेली, बरभांठा, जोगीडीपा, भडोरा, भेडिकोना, रनपोटा, मुडपार, सकर्रा, बन्दोरा, सिंघरा, चरौदी, बड़ेपाडरमुड़ा, चरौदा, भांठा, परसा, सपिहा, बोकरेल, फगुरम, झर्रा, तौलीपाली, सारसकेला, अण्डा, औरदा, मोहंदीखुर्द, सुलौनी, पिकरीपार, कटारी, पोता, मालखरौदा, मुक्ता, घोघरी, छपोरा, बुन्देली, मोहंदीकला, सकर्रा, बसंतपुर, गोरखापाली, नवरंगपुर, सोनादुला, मन्द्रागोढ़ी, डिकसी, कनाईडीह, खर्री, बेल्हाडीह, चांटीपाली, खेमड़ा, बड़ेसीपत, किरकार, दलालपाली, छोटेकोट, बड़ेमुडपार, तुलसीडीह, किरारी, परसाडीह, भठोरा, अमेराडीह, सारसडोल, सतगढ़, चिखली, बड़ेकोट, छोटेसीपत, चारपारा, नरियरा, मिरौनी, बासीन, अचरितपाली, डोमा, कुरदी, बिलाईगढ़, नवापारा, कुरदा, हरदी, अडभार, देवगांव, बोड़ासागर, सेरो, ढिमानी, आडिल, बीरभांठा, कर्रापाली, दारीमुड़ा, आमनदुला, नवागांव, करिगांव, बरपाली

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2219) के भाग (ख) की जानकारी]

निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	वि.खं.	स्वी. वर्ष	स्वी. राशि	(राशि रु. लाखों में) कार्य की वास्तविक मौक्तिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास भवन राहौद (भुईगांव)	पामगढ	2017-18	152.97	ईट जोडाई कार्य व सुपर स्ट्रेक्चर
2	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास भवन अफरिद	बम्हनीडीह	2017-18	152.97	कालम कार्य प्रगति पर
3	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास भवन बिरा	बम्हनीडीह	2017-18	152.97	लेटर छज्जा कार्य पूर्ण
4	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास भवन कोटमी	डभरा	2017-18	152.97	प्लिथ कार्य पूर्ण
5	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास भवन हसौद	जैजैपुर	2017-18	152.97	नीव कार्य प्रारंभ
6	पो.मै.अ.जा.बालक छात्रावास भवन अकलतरा	अकलतरा	2017-18	152.97	प्लीथ बिम्ब कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 2250) के भाग (ख) की जानकारी]

नवीन धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ करने हेतु व्यय राशि की जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र.	विकासखंड का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	कम्प्युटर सेट्स	स्केनर	प्रिंटर	नमीमापक यंत्र	कांटाबांट	टेबलेट	फंड की साफ सफाई	फंड हेतु विद्युत कनेक्शन	फंड की तारघेरा	अन्य व्यय	कुल व्यय
1	डोंगरगांव	कोहका	48500	7000	10500	18000	26500	12500	20000	20000	20000	15000	198000
2		किरगी	33323	0	9334	11500	54000	10593	0	3500	63200	36000	221450
3		सोनेसरार	33323	0	9334	11500	54000	10593	0	3500	79000	25500	226750
4	डोंगरगढ़	छीपा	59837	0	17500	10030	16000	14500	45500	46700	44003	20700	274770
5		रेंगाकठेरा	43311	0	9746	16520	52500	10593	0	5000	0	0	137670
6		रामाटोला	51710	0	12850	16250	17000	12950	0	10250	0	0	121010
7		मुढपार	38400	0	11600	16520	13125	12500	0	5000	0	0	97145